लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

3rd LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र]

Fifteenth Session

[खंड 57 में अंक 1 से 10 तक हैं]
[Vol. LVII contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 9—गुरुवार, 4 अगस्त, 1966/13 श्रावण, 1888 (शक)

No. 9—Thursday, August 4, 1966/Sravana 13, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
241	प्रधान मंत्री का निवास स्थान	Prime Minister's Residence . . .	
240	सरकारी क्षेत्र के निगमों में नियुक्तियां	Appointment in Public Sector Corporation	6—10
242	अनुसूचित जातियों को अनुसूची में से निकालना	De-Scheduling of Scheduled Castes .	10—14
243	कलकत्ता के लिये वृत्ताकार रेलवे	Circular Railway for Calcutta .	14—17

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या — SHORT NOTICE QUESTION

1	कोचीन "शिपयार्ड"	Cochin Shipyard . . .	17—23
3	इंस्टीट्यूट आफ इन्टरनेशनल स्टडीज	Institute of International Studies . .	23—28

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या S. Q. Nos.			
244	स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि	Samadhi of Late Prime Minister Lal Bahadur Shastri . . .	28
245	केरल अराजपत्रित अधिकारी संघ की मांगें	Demands of Kerala Non-Gazetted Officer's Federation . . .	29
246	रोकी गई (फ्रोजन) अमरीकी सहायता	Frozen U.S. Aid . . .	29—30
247	भारत सहायता क्लब	Aid India Club . . .	30
248	गांवों में बेरोजगारी	Unemployment in Villages . . .	31

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
249	मेसर्स चमन लाल ब्रदर्स से वसूली / Recovery From M/s. Chaman Lal Brothers	31–32
250	आर्थिक समीक्षा / Economic Review	32
251	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक से ऋण / Loans from I.M.F. and World Bank	32—33
252	कांगसाबती परियोजना / Kangsabati Project	33
253	आसाम के पहाड़ी जिलों का विकास / Development of Assam Hill Districts	33
254	कोसी नहर बिजली घर / Kosi Canal Power House	34
255	प्लाटों की बिक्री सम्बन्धी नीति / Policy *re.* Disposal of Plots	34
256	ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिये डाक्टरों को प्रोत्साहन / Incentives for Doctors for Rural areas	35
257	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विषयों के उल्लंघन से सम्बन्धित छापे / Raids connected with Foreign Exchange Violations	35–36
258	जीवन बीमा निगम सम्बन्धी विनियमन / L.I.C. Regulations	36
259	केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों द्वारा खर्च / Expenditure by Central Ministers	36–37
260	कृषि में बिजली की खपत / Consumption of Electricity in Agriculture	37–38
261	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की मांगें / Grievances of C.G.H.S. Doctors	38–39
262	इलेक्ट्रोनिक संगणक (कम्प्यूटर) / Electronic Computors	39
263	रोगियों पर स्वास्थ्य शुल्क लगाना / Health Cess Levy on Patients	40
264	औषधि नियंत्रण अधिनियम संबंधी समिति का प्रतिवेदन / Report of Committee on Drugs Control Act	40–41
265	ऋणों का जमाखोरी के लिये उपयोग / Utilisation of Credits for Hoarding Purposes	41
266	सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम / Public Sector Programmes	41–42
267	अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों की प्रधान मंत्री से भेंट / Meeting of Representatives of Minorities with the Prime Minister	42
268	अत्यावश्यक औषधियों सम्बन्धी समिति / Committee on Essential Drugs	42
269	घटिया किस्म की औषधियां / Sub-Standard Drugs	43

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1232	राजघाट में महात्मा गांधी के उपदेशों का अन्तरंकन (इंसक्रिप्शन)	Inscription of Teachings of Mahatma Gandhi in Rajghat . . .	43-44
1233	कृषि भवन, नई दिल्ली में ब्राह्मी सांड	Brahmi Bulls at Krishi Bhavan, New Delhi	4
1234	इडिक्की नियन्त्रण बोर्ड	Idikki Control Board .	44–45
1235	केन्द्रीय देशी औषध परिषद्	Central Council of Indigenous Medicine	45
1236	कुष्ठ रोगियों के लिये पुनर्वास केन्द्र	Rehabilitation Centre for Leprosy Patients	45
1237	शोलायार पन-बिजली परियोजना	Sholayar Hydro-electric Project . .	45–46
1238	केरल में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बिजली	Electricity for Rural Areas in Kerala	46
1239	केरल मे बिक्री कर और कृषि आय-कर की बकाया राशि	Arrears of Sales Tax and Agricultural Income Tax in Kerala . . .	46–47
1240	आपातकालीन जोखिम बीमा योजना	Emergency Risk Insurance Scheme .	47
1241	गन्दी बस्तियों का हटाना	Slum Clearance . . .	47–48
1242	एकीकृत आवास योजना	Unified Housing Scheme . .	48–49
1243	दिल्ली में क्वार्टरों का दिया जाना	Allotment of Quarters in Delhi .	49
1244	आदिवासियों, हरिजनों तथा भूमिहीन लोगों का कल्याण	Welfare of Adivasis, Harijans and Landless	49–50
1247	पाकिस्तान में बने हुए भारतीय नागरिकों को पेंशन	Pension to Indian Citizens settled in Pakistan . . .	50
1248	परिवहन अनुसन्धान केन्द्र	Transport Research Centre .	50–51
1249	सरकारी क्षेत्र के निगम	Public Sector Corporations . .	51
1250	बागान उद्योग	Plantation Industry .	51–52
1251	कोलम्बो योजना के अन्तर्गत तकनीकी सहायता	Technical assistance under Colombo Plan	52–53

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1252	दिल्ली विकास प्राधिकरण	Delhi Development Authority . .	53
1253	कृषि पुनर्वित निगम	Agricultural Re-finance Corporation .	54
1254	कनाट सर्कस, नई दिल्ली	Connaught Circus, New Delhi . .	54
1255	जवाहर ज्योति	Jawahar Jyoti	55
1256	आत्म निर्भरता तथा अपने साधनों से विकास करना	Self-Reliance and Self-Generating Growth	55
1257	भिन्न-भिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि	Increase in National Income in different Classes	55–56
1258	नगर मंहगाई भत्ते तथा मकान किराया भत्ते की दृष्टि से नगरों का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Cities for grant of City Compensatory and House Rent Allowances	56
1259	नई औद्योगिक बस्तियों में नगरपालिकाएं	Municipalities in New Industrial Townships	56–57
1260	पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले क्षेत्रों में महामारी	Epidemics in Areas bordering East Pakistan	57
1261	ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें	Rural Water Supply Schemes	57–58
1262	राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project . .	58
1263	बम्बई में बरामद गांजा	Ganja recovered in Bombay . .	58–59
1264	डाक्टरों की कमी	Shortage of Doctors .	59
1265	केरल में बिजली की कमी	Power Shortage in Kerala .	59–60
1266	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आदेश में संशोधन करने के लिये प्रारूप विधेयक	Draft Bill to amend S.C. and S.T. Order	60
1267	पालना में ताप-बिजली घर	Thermal Power Station at Palna .	60–61
1268	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रेषण योजना	National Defence Remittance Scheme .	61
1269	दामोदर नौवहन नहर	Damodar Navigational Canal . .	61–62
1270	नागपुर के श्रीराम दुर्गाप्रसाद के मामले	Affairs of Sriram Durga Prasad of Nagpur	62
1271	योजना में सम्मिलित परियोजनाओं का निष्पादन	Execution of Plan Projects . . .	62
1272	विदेशों में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors Abroad . .	63

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1273.	विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली में निश्चिकित्सा रोगी कक्षा (साइकोथेरापी वार्ड)	Psychotherapic Ward in Willingdon Hospital, New Delhi . . .	63
1274.	वर्गीकरण समिति	Categorisation Committee . .	63–64
1275.	कानपुर में औद्योगिक कर्मचारियों के लिये मकान	Houses for Industrial Workers in Kanpur	64
1276.	श्रमजीवी महिलाओं की मांगें	Demands of Working Girls .	64
1277.	व्यापार गृहों पर छापे	Raids on Business Houses . . .	65
1278.	नई दिल्ली के गोल मार्केट के लिये नई योजना	New Plan for Gole Market Area, New Delhi . . .	65
1279.	सुन्दरवन विकास के लिये बिजली	Power for Development of Sunderbans	65–66
1280.	भारत में सिंचाई और विद्युत् क्षमता का विकास	Development of Irrigation and power Potential in India . . .	66
1281.	अस्पृश्यता	Untouchability . . .	66
1282.	उत्तर प्रदेश में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Officers in U.P. .	67
1283.	राष्ट्रीय विकास में सार्वजनिक सहयोग	Public Cooperation in National Development . . .	67
1284.	डाक्टरों का तबादला	Transfer of Doctors .	67–68
1285.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का दर्जा	Status of Central Social Welfare Board.	68
1286.	किदवई नगर, नई दिल्ली में पानी के मीटर	Water-meters in Kidwai Nager, New Delhi . . .	68
1287.	पंजीकृत फर्मों द्वारा दिया गया आयकर	Income Tax paid by Registered Firms .	68–69
1288.	पंजीकृत फर्मों द्वारा आयकर सम्बन्धी विवरण भेजना	Filing of Incometax Return by Registered Firms . . .	69
1289.	कारखाना जोखिम तथा वस्तु जोखिम बीमा अधिनियम	Factories Risk and Goods Risk Insurance Acts . . .	69
1290.	कारखानों का बीमा	Insurance of Factories .	69–70
1291.	अनाथालय और विधवा आश्रम	Orphanages and Widow Homes . .	70

U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1292. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था	Accommodation for Cenrtal Government Employees	70–71
1293. मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Major Irrigation Project	71–72
1294. अलप्पी, केरल में मलेरिया उन्मूलन परियोजना	Anti-Malarial Project at Alleppey, Kerala . . .	72
1295. राज्यों में हैजे का प्रकोप	Cholera Epidemic in States .	72–74
1296. दिल के गठिया (रूमेटिक हार्ट) रोग सम्बन्धी अनुसन्धान	Research of Rheumatic Heart Disease .	74–75
1297. राजस्थाम नहर क्षेत्र से विस्थापित किसानों को भूमि का नियतन	Allotment of Land to Displaced Farmers in Rajasthan Canal area . . .	75
1298. उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची	List of Scheduled Castes in U.P. .	75
1299. राजस्थान में उपभोक्ता सहकारी स्टोर	Consumers Cooperative Stores in Rajasthan . . .	75
1300. सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries	75–76
1301. कागज बनाने के कारखाने	Paper Factories . .	76
1302 केरल मे बिजली का वितरण	Distribution of electricity in Kerala	76
1303. केरल में एडामलायार परियोजना	Edamulayar Project in Kerala	77
1304. संचयी सावधिक जमा तथा वेतन–पंजी बचत योजनाएं	Cumulative Time Deposits and Payroll Savings Schemes . . .	77–78
1305. सुदर्शन पार्क, दिल्ली	Sudarshan Park, Delhi	78
1306. विदेशी मुद्रा का तस्कर व्यापार	Smuggling of Foreign Exchange . .	78
1307. मणिपुर में बिजली का संभरण	Power Supply in Manipur . . .	79
1308. सहकारी चीनी की मिलों को ऋण की सुविधायें	Credit facilities for Cooperative Sugar Mills . . .	79
1309. स्टाक एक्सचेंजों सम्बन्धी अमरीकी विशेषज्ञ	U.S. Experts on Stock Exchanges	80
1310. उड़ीसा में अकाल ग्रस्त क्षेत्र	Famine Areas in Orissa . .	80

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1311.	दल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किराया खरीद आधार पर मकानों की बिक्री	Sale of Houses on Hire-Purchase Basis by D.D.A.	80–81
1312.	उड़ीसा के भूतपूर्व मंत्री की कर देयता	Tax Liability of Ex-Chief Minister of Orissa	81
1313.	एक रुपये के नये नोट	New One-Rupee Notes	81
1314.	गर्भ निरोध के लिये आयुर्वेदिक औषधि	Ayurvedic Medicine for Birth Control	82
1315.	सरकारी अस्पतालों से दवाइयों का बेचा जाना	Sale of Medicines from Government Hospitals	82
1316.	आसाम को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Assam	82–83
1317.	सामुदायिक रूप से रहने (लिविंग इन कम्यूनिटी) सम्बन्धी योजना	Living in Community Scheme	83
1318.	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा रिहायसी प्लाटों की बिक्री	Sale of Residential Plots by Delhi Development Authority	83
1319.	तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर	Tungabhadra High Level Canal	84
1320.	बिहार में ग्रामदान आन्दोलन	Gramdan Movement in Bihar	84
1321.	नागार्जुन सागर परियोजना	Nagarjunasagar Project	84–85
1322.	परिवार नियोजन के लिये लूप का प्रयोग	Use of Loop for Family Planning	85
1323.	उत्तर प्रदेश में चेचक का महामारी के रूप में फैलना	Small Pox Epidemic in U.P.	85
1324.	सालंदी बांध परियोजना	Salandi Dam Project	86
1325.	मैट्रिक के बाद शिक्षा पाने वाले अपाहिज विद्यार्थियों को छात्रवत्तियां	Scholarships to Handicapped Post Matric Students	86–87
1326.	दिल्ली में सहकारी समितियों के लिये भूमि	Land for Cooperative Societies in Delhi	87
1327.	मध्य आय वर्ग के लिये प्लाट्स	Plots for Middle Income Group	87
1328.	नियंत्रण वाली वस्तुओं पर बिक्री कर	Sales Tax on Controlled Commodities	87–88
1329.	दिल्ली में रक्त की कमी	Blood Shortage in Delhi	88

U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
1330. तवा परियोजना	Tawa Project .	88
1331. भारत का भू-मानचित्र (सोयल मैप)	Soil Map of India .	88–89
1332. भारत का भू-मानचित्र (सोयल मैप)	Soil Map of India	89–90
1333. रोहतक में परिवहन फर्मों द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by Transport Firms in Rohtak . .	90
1334. भारत में विदेशी पूंजी	Foreign Capital in India . .	91
1335. आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था	Tansport system in Assam, West Bengal, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh . . .	91
1336. योजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of Plan	91–92
1337. देहाती क्षेत्रों में परिवार नियोजन	Family Planning in Rural Areas .	92
1338. दिल्ली में पानी के दूषित होने का खतरा	Threat of Water Contamination in Delhi	93
1339. कलकत्ता में पटरियों पर बैठने वाले व्यक्तियों पर आयकर	Income-Tax on Pavement Dwellers in Calcutta . .	93
1340. मैसर्स गोलचा पार्प्टीज लिमिटेड, दिल्ली	M/s. Golcha Properties Ltd., Delhi .	93–94
1341. वेतन निर्धारण	Pay Fixation	94
1342. मितव्ययिता सम्बन्धी उपाय	Austerity Measures . . .	94–95
1343. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा अपमिश्रित शहद की बिक्री	Selling of adulterated Honey by Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi .	95
1344. 'पी' प्रपत्र जारी करने वाली व्यवस्था पर खर्च	Expenditure on 'P' Form Machinery .	95–96
1345. 'पी' 'प्रपत्रों के लिये प्रार्थना पत्र	Applications for 'P' Forms . . .	96
1346. खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम के अन्तर्गत मामले	Cases under Prevention of Food Adultertion Act . . .	96

U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1347. जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनों का लगाया जाना	Automation in L.I.C. .	97
1348. गांवों में बिजली लगाने का कार्यक्रम	Rural Electrification Programme .	97–98
1349. मंत्रियों द्वारा विदेशी कारों का प्रयोग	Use of Foreign Cars by Ministers .	98
1350. उड़ीसा में आयकर की चोरी	Evasion of Income-Tax in Orissa .	98
1351. अस्पतालों सम्बन्धी समिति	Committee on Hospitals . .	98–99
1352. इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में एम्बुलैंस गाड़ियां	Ambulance Cars in Irwin Hospital New Delhi . . .	99
1353. चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये जापान से सहायता	Japanese Aid for Fourth Plan	99–100
1354. नई दिल्ली में बहुमंजिल रिहायशी इमारतें	Multi Storyed Residential Buildings, New Delhi . . .	100–101
1355. पानी के मीटरों की चोरी	Theft of Water Meters . .	101
1356. ऐपेक्स कोआपरेटिव बैंक, भोपाल	Appex Cooperative Bank, Bhopal .	101
1357. परिवार नियोजन व्यवस्था	Family Planning set up . .	101–102
1358. ग्रामीण पेय जल योजनाएं	Rural Drinking Water Schemes .	102–103
1359. दिल्ली में क्षय रोगी	T.B. Patients in Delhi . .	103–104
1360. आगरा में आयकर सम्बन्धी अपीलें	Income-Tax Appeals in Agra . .	104
1362. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes for U.P. Hill Areas	104–105
1363. दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन	Re-Organisation of D.V.C. . . .	105
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	105–107
न्यू जेमेहारी खास तथा बबीसोल कोयला खानों में तालाबन्दी	Lock-out in New Jemehari Khas and Babisele collieries	105–107

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege .	107-110
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	110-113
मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers	113
श्री रा० गि० दुबे	Shri R. G. Dubey	113
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	113-115
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	115-116
श्री जसवन्त मेहता	Shri Jaswant Mehta	116-117
श्री कोया	Shri Koya	117-118
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	118-119
डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney	119-120
श्री जोकीम आल्वा	Shri Jaochim Alva	120-121
श्री उमानाथ	Shri Umanath .	121-122
श्री केप्पन	Shri Kappen .	122
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi . .	123-125
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	126-127
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द होने के बारे में	Re. Closure of Banaras Hindu University.	127-129
भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादामी के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Indian Academy of Medical Science	129-131
डा० श्री चन्द्रभान सिंह	Dr. Chandrabhan Singh	129-130
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	130-131

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 4 अगस्त, 1966/13 श्रावण, 1888 (शक)

Thursday, August 4, 1966 / Sravarna 13, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
(Mr. SPEAKER *in the Chair*)]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रश्न संख्या 240 के बारे में

Re Question No. 240

अध्यक्ष महोदय : डा० सिंघवी ।

डा०. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मैं ने चार दिन पूर्व इस प्रश्न के बारे में माननीय वित्त मंत्री को विशिष्ट रूप से लिखा था और मुझे आशा थी कि इस प्रश्न के इस पहलू विशेष का वह उत्तर देंगे । परन्तु मंत्री महोदय, स्वयं सभा से, इस बात के बावजूद कि उन्हे इस प्रश्न को न केवल पूर्व सूचना ही दी गई थी परन्तु उन्हें लिखा भी गया था, अनुपस्थित है । यह बहुत आपत्तिजनक बात है और आपको इसके लिये उनकी भर्त्सना करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री कहां हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : वह अवश्य आ रहे होंगे । इस प्रश्न का मुझे उत्तर देने के लिए कहां गया है । परन्तु वह अवश्य आ रहे होंगे । (**अन्तर्बाधाएं**) ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । क्या वह राज्य सभा में हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : महोदय, मुझे पता नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : उन्हें आने दीजिये तथा उत्तर देने दीजिये ।

श्री कपूर सिंह : श्री मिश्र वित्त मंत्री जैसे ही हैं । इनमें क्या दोष है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मुझे बताया गया है कि वह बाहर गये हुए हैं। क्या हम इसे बाद में नहीं ले सकते ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है (**अन्तर्बाधा**)।

श्री के० दे० मालवीय : मुझे यह बहुत ही विचित्र आपत्ति प्रतीत होती है। सरकार अथवा सभी मंत्री इसके लिये जिम्मेदार हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब सभा के नेता ने यह स्वीकार कर लिया है तो मैं क्या करूं ?

श्री के० दे० मालवीय : उपमंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये कहा जाना चाहिये था।

श्री दी० चं० शर्मा : मंत्रि-मंडल का वह प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री शिव नारायण : यह बहुत ही आतपत्तिजनक बात है।

श्री त्यागी : सभा सचिवों को भी उत्तर देने तथा उन की ओर से संसद् में कार्य करने का अधिकार प्राप्त है।

कई माननीय सदस्य उठे

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। बहुत सारे सदस्य खड़े हो जाते हैं और एक साथ बोलने लग जाते हैं।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंहवी : वित्त मंत्री को विशिष्ट रूप से लिखा गया था।

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब कभी किसी मंत्री के नाम प्रश्न होता है तो राज्य मंत्री अथवा उप-मंत्री को उत्तर देने का पूरा अधिकार है। माननीय सदस्य ने बताया कि इस प्रश्न विशेष के सम्बन्ध में उन्होंने वित्त मंत्री को उपस्थित रहने के लिये एक विशिष्ट पत्र लिखा था। यह एक बिल्कुल ही भिन्न मामला है ? परन्तु मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम यह आपत्ति मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि चूंकि कार्यभार मंत्री यहां नहीं हैं तो उपमंत्री अथवा राज्य मंत्री को उत्तर नहीं देना चाहिये। मैं इस धारणा को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। (**अन्तर्बाधा**)

अध्ययक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Minister should be present here when he is specifically written to.

Mr. Speaker : I can only ask the hon. Minister.

Shri Onkar Lal Berwa : They are not ready to answer the question (*Interruption*).

Mr. Speaker : Every body stands up and begins to speak, it is not proper. It is correct and you will also agree with me that a question addressed to a Minister can be replied by any Minister. If the answer is not satisfactory, then objection can be raised that the answer is not enough. I can then say that it is not right; so and so Minister should answer the question and so should not answer the question.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : He is not even present in Rajya Sabha at this moment; what is the difficulty in coming over here.

Shri Onkar Lal Berwa : The hon. Minister is incapable of answering the question.

Prime Ministers' Residence

*241. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri D. D. Mantri :
Shri Utiya :
Shri Madhu himaye :
Shri Kishan Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Yashpal Singh :
Shri Basappa :
Shri R. Barua :
Shri Lakhmu Bhawani :

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether the residence and the nearby Office of the late Prime Minister Lal Bahadur Shastri are still lying vacant;

(b) if so, to whom it is to be allotted;

(c) the expenditure which had been incurred to make both these places fit for the late Prime Minister's use;

(d) whether it is also a fact that some other place is being selected for the residence of the present Prime Minister; and

(e) when a final decision is likely to be taken in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works Housing and Urban Development (Shri Bhagwati) : (a) No.

(b) These have been placed at the disposal of the Ministry of Defence with effect from the 24th June, 1966 for the Institute of Defence Studies and Analysis.

(c) Rs. 4,94,906/-.

(d) and (e). The Prime Minister has no intention of moving from her existing residence (No. 1, Safdarjung Road) to any other place at present.

श्री कपूर सिंह : महोदय, माननीय उपमंत्री उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ सके हैं। उन्होंने हमें भ्रम में डाल दिया है। वह यह भी नहीं जानते हैं कि हिन्दी शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है। हमें अंग्रेजी में उत्तर दिया जाय (अन्तर्बाधा)।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): उत्तर तो उन्होंने ठीक तरह से ही पढ़ा है। यह स्पष्ट, ठीक तथा संक्षिप्त भी है।

श्री बासुमतारी : महोदय, वे हमें चाहते हैं कि हम हिन्दी सीखें यदि अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों का कोई व्यक्ति हिन्दी में बोलने का प्रयत्न करता है तो वे मज़ाक उड़ाते हैं। यह क्या है ?

Shri Raghu Nath Singh : No. he has read it correctly, we encourage him.

Shri Prakash Vir Shastri : Lakhs of rupees were spent by the Ministry of Works and Housing on the extension and additions etc. of the residence of the late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri at 10, Janpath, out of the consideration that whosoever becomes the Prime Minister, he will occupy it, may I know the reasons for not making it the residence of the present Prime Minister and if it was not to be used as the residence of the Prime Minister permanently, what was the use of spending a huge sum on it ?

Shri Mehr Chand Khanna : No body has ever said that the house where our respected late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri had lived in would become the residence of the future Prime Minister's permanently. Prior to him Shri Jawahar Lal Nehru lived in Teen Murti, Shri Lal Bahadur Shastri had then said that he (i.e. Shri Shastri)

would continue to put up where at that time he was actually putting up. Now Indira ji, who is our present Prime Minister, wants to continue at 1, Safdarjang Road. The Prime Minister has every right to live where he/she wants to live.

Shri Prakash Vir Shastri : Shrimati Shastri has given a statement, which you might have seen in the newspapers that she was asked to move out because the Prime Minister wanted to go there. Now instead of making it a residence of the Prime Minister, it is being given to the Ministry of Defence. It is injustice, how is he saying that it was not been said.

Shri Mehr Chand Khanna : I have also seen this press report. I do not think it proper to refer to the correspondence which took place in the respect. But I told her that government would have no objection if she chose to continue to live in that house.

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the fact that the present Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi does not want to change her present residence and also in view of the fact that there was a proposal about Hyderabad House becoming the Prime Minister's residence, I want to know in this context that if the Prime Minister can do the Prime Minister's work in such a small house, may I know whether Government would have such a decision that there was no need of a bigger house for the Prime Minister in view of the financial position of the country.

Shri Mehr Chand Khanna : So far as the first part of the question is concerned, it has already been stated that the Prime Minister does not want to shift to Hyderabad House. I am stating this in the House categorically. To-day if the Prime Minister wants to live in a small house, then it is a good example, which should have its impact over the world and also over all other Ministers.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether there is any proposal to extend the present Prime Minister's residence just like the residence of the ex-Prime Minister was extended? If not, whether Government propose to construct a permanent residence for the Prime Minister and the amount of money to be spent by Government thereon.

Shri Mehr Chand Khanna : So far as 1, Safdarjang is concerned the expenses are very low.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How much ?

Shri Mehr Chand Khanna : A few thousands.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : A few thousands.

Shri Mehr Chand Khanna: He does not want to listen to me. I do not want to conceal anything. There is no secrecy about it.

Shri Onkar Lal Berwa : Let us know how much money has been spent ?

Shri Mehr Chand Khanna : It might be a few thousands. As regards what would happen in future, if I am elected again as Housing Minister, then I will give you a reply.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : My question was whether there is any proposal to construct a permanent residence for the Prime Minister. Let him answer this question.

Mr. Speaker : This has already been answered. Shri Raghunath Singh.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : No reply has been given to this question. It is a very simple question, whether there is any proposal to construct a permanent residence for the Prime Minister ?

Shri Mehr Chand Khanna : There is no such proposal.

Shri Raghunath Singh : As has been seen, there is a permanent residence for the Prime Minister in every independent country. May I know whether there is any proposal

to construct a permanent residence for the Prime Minister so that who so ever becomes the Prime Minister, he live therein ?

Shri Mehr Chand Khanna : So far as my Ministry is concerned, there is no such proposal under our consideration.

Shri Madhu Limaye : This country is a very queer one. In England, the Prime Minister has been living in 10, Downing Street for the last 100-200 years; in Washington the Head of the State has been living in the White House. But here in this independent country Shri Nehru lived in Teen Murti, Shri Shastri in Janpath and now Shrimati Indira Gandhi lives in Safdarjang Road, may I know whether in choosing residences the Ministers are guided by superstitions or there will be a permanent residence for the Prime Minister ? I also want to know whether the expenditure which used to be incurred on the house of the First Prime Minister of India which a think belonged to the Commander-in-chief, was accounted for in the account of the Governor General as Shri Rajgopalacharya has written in the 'Swaraj' or in the account of "Rashtrapati" ?

Shri Mehr Chand Khanna : I am sorry, I could not follow the question ?

Shri Madhu Limaye : If he has not understood it, I will have to make him understand.

Shri Mehr Chand Khanna : He put his question in such a way that I could not understand it.

Shri Madhu Limaye : Sir, I will have to put it into his brain so that he can understand.

Shri Raghunath Sing : This word is not proper.

Shri Madhu Limaye : It is quite parliamentary.

Mr. Speaker : The hon. Members should listen patiently and tolerate each other and not get angry like this. The hon. Minister said that he could not understand the question then the hon. Member at once jumped up to his brain . Such things will not do. Both the sides should have patience.

Shri Madhu Limaye : Will the Prime Minister have his house on the advice of astrologers or a permanently fixed residence like 10, Downing Street in England ?

Shri Mehr Chand Khanna : This question was put to me by Shir Raghunath Singh and I had replied that we have not yet taken a final decision on the question that there should be a permanent residence for the Prime Minister.

Mr. Speaker : The question is whether the prime Minister is influenced by good omen and astrology at the time of taking the house .

Shri Mehr Chand Khanna : I am not one of those who believe in astrology.

Shri Madhu Limaye : I am asking about the Prime Minister and not about you.

Mr. Speaker : Have patience, I will get you the answer.

The question is only this much whether the Prime Minister is influenced by astrology and good omen and the time of selecting the residence.

श्री मेहर चन्द खन्ना : मुझे इसका पता नहीं है । मैं ऐसा नहीं समझता ।

Shri Yashpal Singh : The former Prime Minister used to keep their guests in the same house in which they themselves lived, but now in the case of the present Prime Minister the guests stay in Hyderabad House, a separate building and thus two houses are used by the Prime Miniseter. The old practice should be followed.

Shri Mehr Chand Khanna : Hyderabad House is the hostel of External Affairs Ministry and the Prime Minister has nothing to do with that.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Has the Prime Minister indicated that in the House to be provided to her there may be furniture and other necessary items for her official use but there should not excessive decoration and furnishing ?

Shri Mehr Chand Khanna : The Prime Minister is living in that very house and she intends to live in the same house in future. We have not so far been asked by her to arrange a new house for her.

सरकारी क्षेत्र के निगमों में नियुक्तियां

*240 **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के निगमों में नियुक्तियों तथा उनके आन्तरिक प्रशासन में सरकार द्वारा हस्तक्षेप के बारे में कोई विशेष नीति निर्धारित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) सरकारी निगमों/कम्पनियों के प्रशासनिक अधिकार उनसे सम्बद्ध कानूनों/अन्तर्नियमावलियों में दिये गये हैं। इन कानूनों/अन्तर्नियमावलियों के उपबन्धों के अनुसार, उच्च श्रेणी के कार्यकारी (एग्जीक्यूटिव) और वित्तीय पद—उनका वेतन चाहे जितना हो—सामान्यतः सरकार द्वारा भरे जाने के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। दूसरे पदों के बारे में, 2250 रुपया या इससे अधिक मासिक वेतन के पदों पर या कुछ मामलों में, जैसे हिन्दुस्तान स्टील के मामले में, 2500 रुपया या इससे अधिक मासिक वेतन के पदों पर सरकारी उद्योगों द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों के लिये उन्हें आमतौर पर सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। अन्य सब पदों पर नियुक्तियां करने के लिये सरकारी उद्योगों को पूरे अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें दैनिक कार्यचालन के लिए राजस्व-व्यय और साथ ही प्रत्येक मामले में निर्धारित सीमा तक पूंजीगत-व्यय करने का अधिकार भी प्राप्त है। सरकार द्वारा किया जाने वाला इन उद्योगों का नियंत्रण, देख-रेख और निदेशन समान नीतियों सम्बन्धी विषयों तक सीमित है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह सच है कि अनुमोदन करने की शक्ति जो सरकार को दी गई है, अधिकांश मामलों में, सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा दी गई सिफारिशों को उल्टा रूप देने और उनको उलट-पुलट करने के लिये ही उसका प्रयोग किया जाता है और क्या उर्वरक निगम द्वारा दी गई सिफारिशों के मामले में विशिष्ट रूप से ऐसा किया गया था जहां कि केवल सरकार के कहने पर ही परिवर्तन किये गये थे ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक मुझे पता है मैं नहीं कह सकता कि हस्तक्षेप किया जाता है या यह कि बहुत सारे मामलों मे परिवर्तन किया गया है। चूंकि मंत्रालय को इस पर विचार करने और इसका अनुमोदन करने का अधिकार है। हो सकता है कुछ विशेष मामलों में सम्बन्धित बोर्डों द्वारा दी गई सिफारिशों का क्रम उलट दिया गया हो। जहां तक डा० सिंघवी द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट मामले का सम्बन्ध है मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। यदि डा० सिंघवी इस जानकारी को चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा और इसको प्राप्त कर दूंगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार को पता है कि सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों का प्रशासन खोखला होता जा रहा है और सरकार के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सामान्य कार्य, उनकी वित्तीय दशा, लागत घटाने के प्रति जागरूकता और पहल करने की शक्ति में गिरावट आती जा रही है; यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नित्य प्रति के हस्तक्षेप को रोकने और उनके सामान्य कार्य में सुधार करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : सरकारी क्षेत्र में निगमों के प्रशासन में कुछ गिरावट आई है। खुले आम कई बार इस बात को माना गया है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। इस गिरावट का कारण

सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। किसी भी निगम के विकास में, विशेष रूप से जब कि उन्हें नये सिरे से चालू किया जाता है, कुछ बातें अन्तर्भूत होती हैं और जिनका पता कुछ समय में जा कर लगता है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी एक ब्यूरो स्थापित किया गया है और मैं आश्वासन देता हूं कि, इन कम्पनियों में से प्रत्येक के प्रशासन की जांच करने के लिये कि उनके सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है इसकी शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। स्थिति में सुधार करने का एक तरीका यह है कि सेवामुक्त सरकारी कर्मचारियों को काम न देकर अन्य व्यक्तियों को रोज़गार दिया जाये।

श्री अ० प्र० शर्मा : सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में ऊंचे पदों पर विभिन्न विभागों के कितने सेवा मुक्त व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं और क्या इन लोगों को काम देने की सरकार की यह नीति है या विभिन्न भर्ती के तरीकों द्वारा इन विभागों के लिये अर्हता प्राप्त व्यक्ति लेगी और एक पृथक् श्रेणी बनायेंगी ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बध है मुझ इसके लिये सूचना चाहिये। जहां तक दूसरे भाग का सम्बध है, सरकार की यह नीति कभी भी नहीं रही है कि सेवामुक्त व्यक्तियों को इन पदों पर लगाया जाये। उनको पदों के लिये उपयुक्त समझा गया था और उन्हें लगाया गया था। परन्तु इस पर पुनः विचार किया जा रहा है और सरकार नीति बना रही है ताकि इन कम्पनियों के प्रबन्ध तथा प्रशासन में सुधार किया जा सके।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : क्या माननीय मंत्री को पता है कि इन निगमों के आन्तरिक प्रशासन में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा हस्तक्षेप के अनेक मामले प्रकाश में आये हैं, विशेष रूप से उदाहरणार्थ श्री मुकर्जी के जांच प्रतिवेदन द्वारा रांची में भारी इंजीनियरी निगम के सम्बन्ध में जो तथ्य प्रकाश में लाये गये थे उनसे भी यह पता चलता है कि व्यक्तिगत नीति, मज़दूर संघों की मान्यता, श्रम नीति आदि के मामलों में भी राज्य सरकार हस्तक्षेप कर रही थी। राज्य सरकारों और मंत्रियों द्वारा इस प्रकार के अवांछनीय हस्तक्षेप को प्रभावशाली ढंग से समाप्त करने के लिये क्या कोई पग उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न द्वारा जिस स्थिति को सामने रखा है वह एक तथ्य पर आधारित है। जब तक मुझे विशिष्ट मामलों के बारे में नहीं बताया जाता मैं यह नहीं मान सकता कि राज्य सरकारों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप किया जाता है। उन्होंने रांची के भारी इंजीनियरी निगम का एक उदाहरण दिया है। उन्होंने जिस हस्तक्षेप का संकेत किया है वह यह है कि वहां पर एक संघ बनाने का प्रश्न उठाया गया था। मुझे इसकी जांच करनी होगी कि इस मामले में हस्तक्षेप करना राज्य का काम है या मेरा काम है. . . (**व्यवधान**)।

श्री के० दे० मालवीय : क्या सरकार का पिछले 16 वर्षों का अनुभव यह नहीं है कि इन विनियमों के कारण, जिनका माननीय वित्त मंत्री ने अभी उलेख किया, शक्ति चोटि के कुछ अधिकारियों के हाथों में केन्द्रित हो जाती है जो सरकारी क्षेत्र की प्रगति और उसके व्यापारिक पहलू में विश्वास नहीं रखते और जो सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे दलों में शामिल हो जाते हैं जो सरकारी क्षेत्र के सिद्धान्त के पूरी तरह विरुद्ध हैं ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह एक राजनीतिक सिद्धान्त का प्रश्न है। जहां तक मुख्य नीतियों का सम्बन्ध है वे सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, परन्तु प्रत्येक कम्पनी अपने विनियमों के अन्तर्गत कार्य करती है। जहां किसी विशिष्ट मामले में नियुक्ति का सम्बन्ध है, सरकार ने पिछले 15 वर्षों में . . .

श्री के० दे० मालवीय : मैं कह रहा था कि इन विनियमों के कारण शक्ति केवल कुछ ऊंचे अधिकारियों के हाथों में ही केन्द्रित हो गई है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह विवाद का विषय है और मैं इससे सहमत नहीं हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी क्षेत्र का निश्चित रूप से विस्तार हो रहा है, क्या सरकारी क्षेत्र के निगमों के कर्मचारियों की भर्ती के लिये एक पृथक् लोक सेवा आयोग बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है और यदि हां, तो वह किस अवस्था में है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : हमने एक प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति की है और सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में इन सभी प्रश्नों पर वह आयोग जांच करेगा। जहां तक मैं जानता हूं इस प्रयोजन के लिये कोई लोक सेवा आयोग नियुक्त नहीं किया गया है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : सरकारी क्षेत्र की परियोजना के महा प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की कसौटी क्या है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : उपयुक्तता, कि वह उस पद के लिये उपयुक्त है या नहीं।

श्री बड़े : उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के लिये सरकार के पास कुछ विनियम हैं। क्या सरकारी क्षेत्र में निम्न श्रणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये कोई व्यवस्था अथवा संस्थान है क्योंकि मैं ने देखा है कि मंत्रियों के लड़के या मंत्रालयों के सेवानिवृत्त व्यक्ति वहां जा कर सारे निगम को खराब करते हैं। क्या सरकार निम्न पदों पर भर्ती के लिये रोज़गार दफ्तर स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है मैं ने बता दिया है कि सरकार जानती है कि सरकारी क्षेत्र दोष रहित नहीं है और सरकार इसकी जांच कर रही है। और इसकी जांच किये बिना मैं नहीं बता सकता हूं कि इसका क्या कारण है।

श्री दी० चं० शर्मा : सरकारी क्षेत्र के केवल तीन उद्देश्य हो सकते हैं : मुनाफा अर्जित करना, सामाजिक सेवा करना और इस देश के कुछ लोगों के एकाधिकार को तोड़ना। क्या हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार कारखाने के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के किसी भी कारखाने ने इन तीन उद्देश्यों में से किसी एक की पूर्ति की है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : ये तीनों उद्देश्य सरकार के दिमाग़ में हैं। हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जब भी आवश्यक होता है हम मामले की जांच करते हैं और सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं।

Shri Kashi Ram Gupta : Is the hon. Minister aware of the fact that the Chairman of the H.E.C. Ranchi is a very capable man and he does not draw any salary and he is not allowed to work properly and inteference is done to such an extent by the State and the Central Governments that even high officers going on leave for more than 140 days in a yeat cannot be proceeded with against ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे खेद है कि मैं इस मामले में कुछ भी नहीं जानता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : चूंकि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं मुख्य रूप से आई० सी० एस० या आई० ए० एस० अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही हैं, और चूंकि समाचारपत्रों और गैर-सरकारी पूंजीपतियों ने, जिनके साथ कि प्रधान मंत्री ने स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से हाल ही में बातचीत की थी सरकारी क्षेत्र की कड़ी आलोचना की है, क्या सरकार अन्य बातों

के साथ साथ इस प्रश्न पर भी विचार करेगी कि नौकरशाही और गैर-सरकारी पूंजीपति सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को उठा फेंकने के लिये मिले हुये हैं ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने बताया हम मामले की जांच कर रहे हैं, और उससे सम्बन्धित प्रत्येक बात पर विचार किया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वहां पर न केवल सेवा निवृत्त अधिकारी ही हैं, अपितु प्रतिनियुक्ति पर एक बड़ी संख्या में राज्य सरकार के अधिकारी भी हैं, वे कुछ समय के लिये आते हैं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक कार्य में उनको कोई रुचि नहीं है । क्या ऐसी प्रथा को समाप्त करने के लिये सरकार कोई नीति तैयार कर रही है, और सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये कोई उचित पदोन्नति सम्बन्धी नीति तैयार की जा रही है ताकि विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों का दूसरे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हस्तांतरण हो सके अथवा उनकी पदोन्नति हो सके और इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : प्रश्न ऐसी प्रस्थापना पर आधारित है जो दो शीर्षकों के अन्तर्गत आती है । प्रथम प्रस्थापना यह है कि राज्य सरकारों के जो कुछ अधिकारी वहां धकेल दिये जाते हैं उनकी वजह से कुछ हुआ होगा । मैं माननीय सदस्य के इस तर्क के प्रथम भाग से सहमत नहीं हूं कि राज्य सरकार के अधिकारी कोई रुचि नहीं रखते । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है. . .

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या सरकार उस नीति को छोड़ रही है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : निश्चय ही जब कभी भी सार्वजनिक क्षेत्र में कोई विशेष बात होती है और पदोन्नति या उससे सम्बन्धित प्रश्न अन्तर्निहित होते हैं तो सरकार उन्हें ध्यान में रखती है और इसकी छानबीन करती है ।

Mr. Speaker : Shri Sheo Narain I have to say one thing. You have to consider my difficulty also. I cannot call all together. They complain that they are not called. On two or three occasions there were some gestures also. There are gestures on me also.

Shri Sheo Narain: Mr. Speaker I beg your pardon . . .

Mr. Speaker : I saw myself when you were not called.

Shri Sheo Narain : I beg your pardon.

Shri D. C. Sharma : He has an inveterate habit of making gestures.

Mr. Speaker : You might be acquainted with his childhood but I am not.

Shri Sheo Narain : Our Government have affirmed their faith in the Socialistic pattern of Society and it is their mission also. I would like to know why is a Government servant given opportunity to work after retirement in public and Nationalised Sectors when he is not deemed capable of working Government Departments ?

श्री त्यागी : सरकार को सभी भावनाओं का आदर करना चाहिये ।

श्री शिव नारायण : तथा देश की भी । इस विषय में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों और विरोधी दलों की एक जैसी भावनायें हैं ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : सभा में सुझाव आ चुका है और इस पर सावधानी से विचार होगा ।

श्री कपूर सिंह : माननीय मित्र श्री दी० चं० शर्मा ने जो यह तर्क सम्मत आरोप लगाये हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र ने अपनी असफलताओं के द्वारा सारी आशाओं पर पानी फेर दिया, इस दृष्टि से क्या सरकार का इसे समाप्त करने का इरादा है ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न ।

अनुसूचित जातियों को अनुसूची में से निकालना

+

*242 **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री हेमराज :
श्री दलजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों को अनुसूची में से निकालने के लिये सम्बन्धित लोकुर समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का सारा प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : किन विशेष नियमों के आधार पर कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची से अलग करने का अनुरोध किया जाता है । क्या निर्णय करने से पहले प्रभावित होने वाली जातियों से भी परामर्श किया जाता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जातियों को अनुसूचित सूची से निकालने के सम्बन्ध में हमारी प्रयोगात्मक राय यह है कि किसी भी जाति को तुलनात्मक प्रगति के आधार पर सूची से नहीं निकाला जायेगा ।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : कोई निर्णय लेने से पूर्व क्या लोक सभा के सदस्यों के विचारों पर ध्यान दिया जायेगा, जैसा कि सरकार ने विधान सभाओं तथा लोक सभा में अनुसूचित जाति-प्रतिनिधियों से राय प्रकट करने का अनुरोध किया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हम चालू अधिवेशन में एक विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। तभी लोक सभा के सदस्यों को अपनी राय प्रकट करने का मौका मिलेगा ।

Shri Vishwa Nath Pandey : I would like to know the communities which are recommended for de-scheduling by the Lokur Committee.

श्रीमती चन्द्रशेखर : वह सब प्रकाश में आयेगा, जब सभा में प्रस्तुत किया जाने वाला विधेयक चालू अधिवेशन में ही सदस्यों के सामने आयेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम इस प्रश्न को पूछने आ रहे हैं। अब इसका नियमित उत्तर आना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : After all inclusion of other community into scheduled community is meant for providing them various practical facilities by the Government such as reservations in Lok Sabha and State Legislatures. Similarly there is provision of reservation for them in Government Service also. I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that in spite of the order of Central Government that 17 per cent jobs in class one and subordinate services should be reserved, they only got 3 per cent jobs in class one services. Now when you are considering this question afresh, I would like to know whether you would see that Government orders are carried out and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are employed not only as sweepers, scavengers and peons but also in superior and class one services and the reserved jobs are also provided for them ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अनुसूचित तथा आदिम जातियों, जिनको किसी प्रकार गलती से या सही रूप में ही सूची में रखा गया या नहीं रखा गया तथा जिसको अब ठीक करने का अनुरोध किया जा रहा है, की सूची पर पुनर्विचार करने का एक प्रश्न है तथा पदों का सेवाओं तथा विधान सभाओं में सुरक्षित रखने का दूसरा प्रश्न है। जहां तक सुरक्षित स्थानों का न भरने का प्रश्न है, हम यह भली भांति जानते हैं कि 17 प्रतिशत नियत पदों की अपेक्षा केवल 1.5 से 3 प्रतिशत ऊंचे पदों का ही उपयोग हो रहा है। स्थिति को कैसे सुधारा जाय हम इस प्रश्न पर फिर से विचार कर रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : एक तरफ कुछ लोग हैं—यदि में पूरे आदर के साथ 'जाति' शब्द का प्रयोग कर सकूं—कुछ जातियां हैं—जो अनुसूचित जातियों में मिलना चाहती हैं तथा दूसरी तरफ कुछ जातियां हैं जो अनुसूचित जातियों से अलग रहना चाहती हैं। मुझे कुछ अनुसूचित जाति के लोगों के पत्र मिले जो अनुसूचित जाति से अलग होना चाहते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार मंत्रालय के सचिवों की उच्छृंखलताओं के अनुसार ही कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों के साथ मिला रही हैं तथा कुछ को अलग कर रही है या ऐसा करने के लिये कोई निश्चित कसौटी निर्धारित की गई है ? यदि ऐसा है तो कौन से निश्चित नियमों के आधार पर ऐसा होता है। मंत्री महोदय कहते हैं कि 'विधेयक के लिये प्रतीक्षा कीजिये।' यह ऐसा ही है कि जैसा कि कोई कहे कि अन्तिम दिन की प्रतीक्षा कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें उत्तर की प्रतीक्षा करने दीजिये।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं ने कई बार सभा को सूचित किया है कि किसी जाति को सूची में रखने के लिये एक निश्चित आधार बनाया गया है तथा मैं फिर भी सभा की सूचना के लिये यह दुहराना चाहूंगा कि यदि किसी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करना है तो उसे अछूतायोग्यता से पीड़ित होना चाहिये और यदि आदिवासियों में मिलाना है तो उसमें आदिवासियों के लक्षण होने चाहिये। ये ही स्पष्ट भेद हैं जिनका हम अनुसरण करते हैं। हम मंत्रियों तथा सचिवों की उच्छृंखलताओं के अनुसार अनुसूचित नहीं बनाते। इस तथ्य से कि हमने पर्याप्त समय देकर विस्तृत अध्ययन किया, यह स्पष्ट हो जाता है कि हम इस सम्बन्ध में ऊटपटांग तरीका नहीं अपना रहे हैं।

Shri Gulshan : Have the Government investigated the matter, before de-scheduling certain castes from the Schedule, as to which are the castes that have derived much more benefit politically, commercially, educationally, industrially and in respect of Government services also ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे फिर से दुहराना पड़ रहा है कि स्थानों को सुरक्षित रखना एक बात है और किसी जाति या जाति कबीले को सूची में रखना दूसरी बात है। जहां तक सूची में

मिलाने, उसका प्रमाणीकरण और दुहराने का प्रश्न है हमने मार्च में अनुसूचित जाति तथा आदिवासी के संसद् सदस्यों की बैठक बुलाई थी तथा हमने कोई इकतरफा निर्णय नहीं लिया।

Shri Gulshan : Mr. Speaker, my question has not been answered. My question is whether before de-scheduling certain castes from the schedule, the Government have laid down some criterion on the basis of which they are tested.

Mr. Speaker : The Hon. Minister has stated this in reply to the question of Shri Sharma.

श्री कण्डप्पन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जानती है कि हाल ही में हुई मद्रास की एक बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने यह विचार व्यक्त किया कि धोबियों और नाइयों को भी अनुसूचित जातियों में रखा जाना चाहिये तथा उन्हें व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सभी सुविधायें दी जानी चाहिये। में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा व्यक्त विचार पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस सम्बन्ध में हमें अधिकृत सूचना नहीं मिली है किन्तु चाहे धोबी हो या कोई भी जाति हो यदि वे अछूत होने के कारण कष्टों का सामना कर रहे होंगे तो उन्हें सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

Shri Chandramani Lal Chaudhury : Mr. Speaker I would like to know from the hon. Minister whether the Government of Bihar have recommended to the Central Government the inclusion of Khatma and Tatma Communities in the list of Scheduled Caste Community ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे लिये सभी अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों को याद रखना सम्भव नहीं है।

Mr. Speaker : It is not possible to go into the name of individual Community.

Shri Chandramani Lal Chaudhury : I wanted to know whether this type of recomenmendation has been received from the Government of Bihar ?

Mr. Speaker : Shri Berwa.

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know whether before de-scheduling these castes, the meeting of the officers of the Community Development Departments of the State Governments had been called for necessary consultations in this respect ? If so, which are the states that have agreed and which are those that have disagreed ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यदि वे मेरे पहिले उत्तर को सुनते तो मैं समझती हूं यह सूची से निकालने वाला प्रश्न पूछा ही न जाता। हमारी प्रयोगात्मक राय यह है कि तुलनात्मक प्रगति के आधार पर किसी जाति को सूचि से न निकाला जाये और यदि ऐसा कुछ किया भी जाता है तो हम संसद् सदस्यों तथा पिछड़े वर्गों के मंत्रियों तथा विभिन्न राज्यों के तत्सम्बन्धी विभागों/मंत्रियों की राय पर विचार करते हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : Mr. Speaker, my question has not been answered. I enquired as to which are the States whose officials of Community Development Department have been consulted in the matter ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has stated as to who have been consulted. What is the question of agreement and disagreement with them ?

Shri Chandramani Lal Chaudhury : I would like to know whether.....

Mr. Speaker : Now you can not know. Shri Jaipal Singh.

श्री जयपाल सिंह : मुझे मंत्री मंत्री महोदय से यह सुनने पर आश्चर्य होता है कि पिछले मार्च में हुये सम्मेलन में जिसमें संसद् सदस्यों भी उपस्थित थे वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके । उन्हों ने कहा एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक इस विशेष सम्मेलन के परिणामस्वरूप रखा जा रहा है या यह सम्मेलन फिर होगा या सरकार इसके बिना भी कार्यवाही करने जा रही है ? क्या यह मामला केवल सूची में से निकालने से सम्बन्ध रखता है या सरकार के निर्णयों से भी ? वे पहिले ही स्वीकार कर चुकी है कि कुछ लोग गलत या सही तरीकों से उसमें रखे गये हैं और कुछ निकाल दिये गये हैं।

श्रीमति चन्द्र शेखर : कुछ अनियमिततायें हैं, जिन को ठीक किया जाना हैं ।

श्री जयपाल सिंह : वे कब ठीक की जायेंगी ?

श्रीमति चन्द्र शेखर : क्या मुझे कुछ कहने की इजाजत मिलेगी ? कुछ जातियों को एस० आर० सी० आदि के कारण एक क्षेत्र से सूचि में रख गया तथा दूसरे क्षेत्रों से नहीं । ये सभी अनियमिततायें ठीक करने को हैं। जब मार्च अप्रैल में यह सम्मेलन हुआ तो अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों के सभी सदस्य आमंत्रित किये गये थे, कुछ सदस्य कारण वशात् न आ सके । उस में विचारों में अधिक भिन्नता न थी। हमारे आगे भी राज्य सरकारों के साथ सम्मेलन एवं विचार विमर्श हुये तथा हमने मानवजाति विज्ञान सम्बन्धी संस्थ ओं तथा समाजकल्याण संगठनों पर भी विचार किवा । इस प्रकार विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व हमने विषय का विस्तृत अध्ययन किया ।

श्रीमति सावित्री निगम : उत्तर प्रदेश सरकार के बार बार अनुरोध करने पर भी तथा यह साबित हो जाने पर भी बुदेलखण्ड के खास तौर पर बांदा जिले के आदिवासियों को सूचि में रखा जाये, पिछले तीन वर्ष से कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ? यह स्थगित रखा गया हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी क्योंकि वह स्वयं इस तथ्य को जानती हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह अब अलग अलग मामलों में नहीं जा सकतीं।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं जानना चाहती हूं कि इतनी देर क्यों हुई ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में आदि वासी थे किन्तु सूची में नहीं रखे गये। फिर भी हमने अध्ययन किया और प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक में वह सिफारिश रखी जायेंगी।

श्री त्यागी : इस तथ्य के संदर्भ में कि अनुसूचित जातियों के कुछ सम्पन्न परिवार ही इन फायदों और विशेष अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं, क्या सरकार ने कुछ न्यूनतम आय से अधिक आय वाले परिवारों को सूचि में से निकालने पर विचार नहीं किया हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : माननीय सदस्यों को यह पता नहीं है कि हमने बहुत साल पहिले ही सम्पन्न परिवार के लोगों को अनुसूचित जातियों के कार्यक्रम के अंतर्गत फायदा उठाने से वंचित रखने तथा इन जातियों की सूचि से अलग करने का आधार तय किया था । जिन बच्चों के माता-पिता की आय 500रु० से अधिक हैं, उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जाती ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has stated that there is a proposal to de-schedule certain communities. Is the hon. Minister aware which are those communities ? Will the areas decided by Election Commission be effected by de-scheduling these Castes ? She has stated that she is gathering information. I would like to know when will that information be available and kept before us ? Will the bill referred to by her be introduced before or after the Election

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं समझती हूं इस सम्बन्ध में किसी जाति के साथ कोई अन्याय नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या विधेयक चुनाव से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा या बाद में ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हम आशा करते हैं कि इसी अधिवेशन में यानी चुनाव से पूर्व ही प्रस्तुत किया जायेगा ।

Shri Hukamchand Kachhavaiya: Its effect on constituency areas has not been disclosed.

Mr. Speaker: Shri Basumatari.

श्री बसुमतारी : स्नातकों एवं एम० ए० पास लोगों की संख्या अनुसूचित जातियों और आदिवासियों में बहुत बढ़ गई हैं । साथ ही मंत्री महोदय ने अभी कहा हैं कि इन में उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने से सुरक्षित रिक्त स्थान भी दूसरे उम्मीदवारों से भर दिये जाते हैं। अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के उम्मीदवारों की अनुपयुक्तता को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही हैं ताकि रिक्त स्थानों पर उन्हीं की नियुक्ति हो सके ।

श्रीमती चन्द्र शेखर : हम यह अच्छी तरह जानते हैं तथा एक पूर्व प्रश्न के जबाब में हमने कहा था कि हम इस मामले पर पुनर्विचार कर रहे हैं ।

कलकत्ता के लिए वृत्ताकार रेलवे

+

*243. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्रीमती रेणुका राय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के लिए प्रस्तावित वृताकार रेलवे की इंजीनियरी संबंधी व्यावहार्यता के बारे में कोई प्रारम्भिक अध्ययन किया गया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) शीघ्र ही प्रारंभिक इंजीनियरी सम्भाव्यता अध्ययन करने का प्रस्ताव हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्य अधिकारियों ने भूमिगत रेलवे तथा वृत्ताकार रेलवे के बारे में पहले ही व्यावहार्यता सम्बन्धी अध्ययन कर लिया हैं और यह ध्यान में रखते हुए कि कलकत्ता के लोगों को संचार के बारे में काफी कठिनाई है, एक वृत्त कार रेलवे बनाने में, जिस से हमारी संचार व्यवस्था में भीड़भाड़ समाप्त करने में सहायता मिलेगी, राज्य सरकार की सहायता करने का निर्णय करने में केन्द्रीय सरकार को क्या कठिनाई हैं ?

श्री अशोक मेहता : पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इस प्रयोजन के लिये एक अध्ययन ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप ने एक योजना बनाई । जब यह योजना महानगरीय परिवहन सम्बन्धी अध्ययन दल को, जिसे हाल ही में स्थापित किया गया है, प्रस्तुत किया गया , तो उस पर पूर्व रेलवे तथा पत्तन आयुक्तों के प्रतिनिधियों के बीच हुई जब चर्चा तो मालूम हुआ कि पश्चिमी

बंगाल सरकार के अध्ययन ग्रुप द्वारा पहले बनाई गई योजना के बारे में तीन कठिनाइयां होंगी। यदि ग्रुप द्वारा सुझाया गया मार्ग रेखा निर्धारण को स्वीकार कर लिया जाये तो इसका परिणाम यह होगा कि (एक) चितपुर यार्ड में, जो रास्ता है, जिस पर पहले ही बहुत भीड़ रहती हैं, वह एक बड़ी समस्या बन जायेगी; (दो) पत्तन आयुक्तों को रेलवे और स्ट्रेंड तथा हेस्टिंगज के बीच हुगली के तट के साथ साथ पैदल यात्रियों तथा सामान लाने-लेजाने की सुविधाओं में हस्तक्षेप ; तथा (तीन) पैदल यात्रियों तथा मोटर-गाड़ी परिवहन के लिये वृत्ताकार के साथ साथ कई पैदल यात्रियों तथा गाड़ियों के लिये कई ऊपरी पुलों, कई तल मार्गों तथा कई समपारों, की व्ववस्था करनी पड़ेगी। अतः यह निर्णय किया गया कि वैकल्पिक मार्ग रेखा निर्धारण का अध्ययन किया जाय। पश्चिमी बंगाल के अध्ययन ग्रुप, महानगरीय परिवहन सम्बन्धी अध्ययन दल तथा पूर्व रेलवे ने जून, 1966 में इस मामले पर विचार किया । इस नये मार्ग-रेखा निर्धारण का, जिस के बारे में अब विचार किया जा रहा हैं । दो सेक्शनों से सम्बन्ध होगा । एक डम डम से प्रिंस घाट तक तथा दूसरा साल्ट लेक क्षेत्र में होगा जहां राज्य सरकार 10 लाख लोगों को बसाना चाहती हैं । व्यावहार्यता के सम्बन्ध में यह जो अध्ययन किया जा रहा है इस पर चार लाख रुपये खर्च आयेगा और इसे पूरा करने में नौ महीने लगेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या हम इस से यह समझें कि यह अध्ययन किया जायेगा—जिस में 6 महीने लगेंगे —और अन्त में सरकार इस समिति के, जो मेरे विचार में इस मामले पर अध्ययन करने के लिये यह तीसरी समिति है, निष्कर्षों को सरकार स्वीकार कर लेगी और कार्य आरम्भ कर देगी ?

श्री अशोक मेहता : जब तक व्यावहार्यता के बारे में प्रतिवेदन तैयार नहीं हो जाता तब तक यह कहना सम्भव नहीं हैं कि क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्रीमती रेणुका राय : क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल की पहली योजना की व्यावहार्यता के बारे में मंत्री महोदय ने जो प्रश्न उठाया है यह औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकों में इससे भी पहले उठाया गया था। इस बारे में अग्रेतर अध्ययन आरम्भ करने में जून, 1966 से लेकर अब तक इतना लम्बा समय क्यों लगा तथा वृत्ताकार रेलवे का कार्य आरम्भ करने में और कितना समय लगेगा ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, महानगरीय परिवहन सम्बन्धी अध्ययन दल का गठन 23 सितम्बर, 1965 को किया गया था और यह मामला पश्चिमी बंगाल के अध्ययन ग्रुप तथा दल के बीच विचाराधीन रहा। जैसा कि मैंने बताया, जून, 1966 में कुछ निष्कर्ष निकाले गये थे । मैंने यह भी बताया कि व्यावहार्यता सम्बन्धी इस अध्ययन को पूरा करने में नौ महीने लगने की सम्भावना है। जैसे ही व्यावहार्यता सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त होगा, इस पर अग्रेतर विचार किया जायेगा और आवश्यक निर्णय किये जायेंगे। इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि कार्य वास्तव में कब आरम्भ हो जायेगा ।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : यह मामला कई वर्षों से विचाराधीन रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले के बारे में कई समितियां नियुक्त की जा चुकी हैं, क्या हम यह समझें कि कम-से-कम सरकार ने कलकत्ता के लिये वृत्ताकार रेलवे योजना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार तो कर लिया है और व्यावहार्यता सम्बन्धी अध्ययन का सम्बन्ध केवल पटरी का मार्ग-रेखा निर्धारण जैसे तकनीकी मामलों से होगा अथवा क्या अभी सारा मामला विचाराधीन है और इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ?

श्री अशोक मेहता : कई समितियां का कोई प्रश्न नहीं है। जैसा कि मैंने बताया पूर्व रेलवे तथा पत्तन आयुक्तों के प्रतिनिधियों के साथ इस पर चर्चा करनी पड़ी क्योंकि वस्तुतः रेलवे के मार्ग-रेखा निर्धारण से वे भी सम्बन्धित हैं। जब तक इन सभी पक्षों में कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक चुने जाने वाली मार्ग-रेखा विशेष के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। जहां तक इस परियोजना विशेष का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है कि क्या इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि जिस चीज को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया जा रहा होता है तो जब उसके लिये किसी वर्ष के आयव्ययक वास्तव में व्यवस्था करनी होती है तो उस समय वित्तीय स्थिति तथा संसाधनों को ध्यान में रखना पड़ता है। यदि सिद्धान्त रूप में स्वीकार करने का अर्थ यह है कि क्या योजना को यथासमय में क्रियान्वित किया जायेगा तो मैं कहूंगा, जी, हां। परन्तु यदि इसका अर्थ यह है कि क्या इसे 9 महीनों के पश्चात्, जैसे ही प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा, क्रियान्वित कर दिया जायेगा तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि न तो अगले वर्ष के लिये पश्चिमी बंगाल की वार्षिक योजना मेरे सामने है और न ही मुझे वित्त मंत्री से यह पता लगाने का अवसर मिला है कि आगामी वर्ष के लिये योजना सम्बन्धी उपबन्धों के लिये उनकी क्या सम्भावनायें हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सभा को यह आश्वासन दिया जा सकता है कि इस योजना को कम-से-कम चौथी योजना में शामिल किया जायेगा ?

श्री अशोक मेहता : कोई आश्वासन देना तो मेरे लिये बहुत कठिन है क्योंकि बाद में यहां यह कहा जायेगा कि मैंने यहां यह आश्वासन दिया था। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और मंत्रिमंडल ने चौथी योजना का अभी अनुमोदन करना है। संसद ने भी इसे स्वीकार करना है, यह जो चाहेगी उसमें परिवर्तन हो जायेगा। मैं कौन होता हूं। यह कहने वाला कि इसे चौथी योजना में शामिल किया जायेगा अथवा नहीं इस मामले में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, आपको याद होगा कि रेलवे मंत्री ने यहां वक्तव्य दिया था कि यह मामला अभी विचाराधीन है कि क्या भूमिगत रेलवे बनाई जाय अथवा भूमि के ऊपर। इस प्रयोजन के लिये एक समिति नियुक्त की गई है मार्ग-रेखा निर्धारण के लिये एक अन्य समिति है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या इसे चौथी योजना में शामिल किया जायेगा ? मैं जानता हूं कि कई लोगों को इसका अनुमोदन करना होगा जिनमें श्री जानसन भी शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि वह आश्वासन नहीं दे सकते हैं।

श्री अशोक मेहता : यदि प्रश्न यह है कि क्या हम इसे शामिल करने का सुझाव दे रहे हैं तो इसका उत्तर "जी हां" है परन्तु यह कोई आश्वासन नहीं है। यह एक ऐसी बात है जिसका योजना आयोग के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह कोई आश्वासन नहीं है और मुझे इस के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

श्री ब० कु० दास : क्या अध्ययन ग्रुप द्वारा इस योजना की वित्तीय स्थिति का भी अध्ययन किया जा रहा है ?

श्री अशोक मेहता : जब व्यावहार्यता सम्बन्धी अध्ययन किया जाता है तो इसमें वित्तीय स्थिति भी आ जाती है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : समितियों के पश्चात् समितियों की नियुक्ति की जा रही है परन्तु कलकत्ता के लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। परिवहन की स्थिति संतृप्ति-बिन्दु तक पहुंच गई है।

एक और हावड़ा पुल बनाने की योजना को सी० एम० पी० ओ० तथा योजना आयोग ने पहले ही हाथ में ले लिया है। क्या योजना आयोग यह आश्वासन दे सकता है कि यह हावड़ा पुल चौथी योजना में बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री अशोक मेहता : यह प्रश्न हावड़ा पुल के बारे में नहीं है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह भी रेलवे के मामले के साथ जुड़ा हुआ है ।

डा० रानेन सेन : पिछले वर्ष, पिछले 10 वर्षों में स्थापित की गई व्यावहार्यता सम्बन्धी समितियों द्वारा पहले प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों के आधार पर पश्चिमी बंगाल राज्य विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था जिसमें भारत सरकार से निवेदन किया गया था कि वृत्ताकार रेलवे शीघ्र बनाई जाय। पिछले वर्ष माननीय श्रम मंत्री ने भारत सरकार की ओर से एक समिति के गठन की घोषणा की थी जिसमें रेलवे, पोत आयुक्तों के प्रतिनिधि अर्थशास्त्री, वित्तीय विशेषज्ञ तथा सभी प्रकार के लोग शामिल थे। वृत्ताकार रेलवे के बारे में पिछले छः अथवा सात महीनों में वास्तव में क्या कार्य किया गया है ?

श्री अशोक मेहता : यह समिति, जिसका मैं उल्लेख करता रहा हूं, महानगरीय परिवहन सम्बन्धी अध्ययन दल है । यह वही समिति है जिसने इस मामले पर विचार किया है और जिसने इस मामले पर पश्चिमी बंगाल सरकार के अध्ययन ग्रुप, पूर्व रेलवे के अधिकारियों तथा पत्तन आयुक्तों के प्रतिनिधियों से चर्चा की है। यह बात तो मैं स्वीकार करता हूं कि कलकत्ता के लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है, परन्तु हमें यह भी मानना चाहिये कि यदि एक वृत्ताकार रेलवे लाइन बिछा दी जाती है तो इससे रेलवे तथा पत्तन का परिवहन उलझ जायेगा और इससे समस्या हल नहीं होगी, इससे केवल समस्या और जटिल हो जायेगी । अतः इस समस्या को हल करने हेतु यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी बातों पर अच्छी तरह से विचार किया जाय (**अन्तर्बाधाएं**) ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हुआ .....

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वह ऐसा मत कैसे व्यक्त कर सकते हैं कि इससे समस्या की जटिलता बढ़ेगी ?

डा० रानेन सेन : योजना आयोग पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, जैसा कि श्री अशोक मेहता ने बताया, कि ये कठिनाइयां रहेंगी.....

श्री अशोक मेहता मैंने यह नहीं कहा है (**अन्तर्बाधाएं**) ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अब हम अगली मद लेंगे ।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1—जारी

(Short Notice Question No. 1—*Contd.*)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अल्प-सूचना प्रश्न संख्या 1 को लेगी जो कल पूरा नहीं हुआ था । प्रश्न पूछा गया था और उत्तर भी दे दिया गया था । फिर एक और बात उठाई गई थी और मंत्री महोदय को उस पर विचार करने तथा पूरी तरह से तैयार होकर आने के लिये कहा गया था ।

श्री अ० कं० गोपालन : महोदय, पहले कि....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय पहले अपना उत्तर देंगे । फिर यदि माननीय सदस्य उत्तर से सन्तुष्ट हो जाते हैं तो उन्हें शायद यह प्रश्न उठाने का कोई अवसर ही न हो और तब वह अपने अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री अ० क० गोपालन : कल मंत्री महोदय ने कहा था कि ऐसा कोई अभिलेख नहीं है जिससे मालूम हो कि कोई आश्वासन दिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : शायद मंत्री महोदय ने भी इस का पता लगाया होगा । हमें पहले मंत्री महोदय को सुनना चाहिये।

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीचे० मु० पुनाचा) : महोदय, तीन अगस्त, 1966 के अल्प-सूचना प्रश्न के संदर्भ में मैं कोचीन शिपयार्ड की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं ।

जब कल अन्तर्बाधा डाली गई थी तो मैं सभा को यह स्पष्ट कर रहा था कि ऐसा कोई अभिलेख नहीं है जिससे यह मालूम हो कि इस शिपयार्ड को तीसरी योजना में शामिल करने के बारे में कोई आश्वासन दिया गया हो । परन्तु इसे कोचीन में लगाये जाने के बारे में 1960 में एक आश्वासन अवश्य दिया गया था । माननीय सदस्यों को याद होगा कि दूसरे शिपयार्ड के लिये कोई 19 स्थानों के बारे में छानबीन की गई थी और इस बारे में कई अनुमान लगाये गये थे । जहां तक तीसरी योजना के काल का सम्बन्ध है, उस समय के मंत्री महोदय ने आशा प्रकट की थी कि इसका कार्य तीसरी योजना में ही आरम्भ हो जायेगा । इस सम्बन्ध में मैं उस समय के परिवहन मंत्री द्वारा 18 मार्च, 1960 को इस सभा में दिये गये वक्तव्य की ओर सभा का ध्यान दिलाता हूं । डा० सुब्बारायन ने तब यह कहा था :

> "दूसरे शिपयार्ड को कोचीन में स्थापित करने का निर्णय अन्तिम है और इससे कोई पीछे नहीं हट रहा है ।"

शिपयार्ड के स्थान के बारे में यह आश्वासन दिया गया था परन्तु इससे तीसरी योजना में शामिल करने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । उस समय के मंत्री महोदय ने सभा के सदस्यों को तब बताया था कि दूसरे शिपयार्ड के बारे में परियोजना को रद्द करने के सरकार के निर्णय के सम्बन्ध में प्रेस में छपे प्रतिवेदन सही नहीं हैं । उन्होंने यह भी कहा था कि "दूसरे शिपयार्ड को कोचीन में स्थापित करने का निर्णय अब भी वही है ।" दूसरे शिपयार्ड सम्बन्धी परियोजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में उस समय के मंत्री महोदय ने कहा था "कि परियोजना को तीसरी योजना के लिये मंत्रालय के प्रस्तावों में शामिल कर लिया गया है और यह मामला योजना आयोग के विचाराधीन है । परन्तु ध्यान रहे कि योजना आयोग को प्रत्येक परियोजना पर उस के गुण-दोषों के आधार पर विचार करना पड़ता है और उपलब्ध आन्तरिक तथा विदेशी संसाधनों का ध्यान रखते हुए उसे इनकी प्राथमिकता निर्धारित करनी होती है ।" संक्षेप में उन्होंने उस समय इस बात पर बल दिया था कि परियोजना को तीसरी योजना के लिये परिवहन मंत्रालय की सिफारिशों में शामिल कर लिया गया है परन्तु सरकार की अन्तिम स्वीकृति अभी ली जानी है । अतः उन्होंने यह आशा प्रकट की थी कि "मुझे आशा है हम अपने प्रयत्नों में सफल होंगे और इस यार्ड का निर्माण-कार्य

तीसरी योजना में ही आरम्भ हो जायेगा।" सभा को यह मानना होगा कि यद्यपि तीसरी योजना में दूसरे शिपयार्ड से सम्बन्धित परियोजना शामिल करने के बारे में स्पष्ट रूप से कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। केवल आशा व्यक्त की गई थी कि इस परियोजना को तीसरी योजना में हाथ में ले लिया जायेगा। मैं यह बता देना चाहता हूं कि कोचीन शिपयार्ड को तीसरी योजना में शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा जैसे ही रुपया-संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, भूमि का अर्जन करने के लिये आवश्यक आरम्भिक कार्यवाही तुरन्त की गई और काफी भूमि का पहले ही अर्जन किया जा चुका है। इस के अतिरिक्त, जापानी सलाहकारों के साथ बातचीत में सफलतापूर्वक प्रगति हुई है तथा परियोजना-प्रतिवेदन और मिट्टी सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के बारे में पिछले वर्ष आरम्भिक कार्यवाही की गई थी। सलाहकारों ने अपने प्रतिवेदन हाल ही में सरकार को प्रस्तुत कर दिये हैं। परन्तु मैं यह बता दूं कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कठिनाई तथा अब महसूस की गई रुपया-संसाधनों की कमी से इस परियोजना को क्रियान्विति के बारे में कुछ चिन्ता हो रही है। फिर भी इस मामले में प्रगति करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा।

श्री अ० क० गोपालन : जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है उस में कुछ सच्चाई है और कुछ तोड़-मोड़ कर कहा गया है। अब अध्यक्ष महोदय अपना निर्णय दें कि क्या यह आश्वासन था अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यदि, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, इसे तीसरी योजना में शामिल कर लिया गया है तो यह चर्चा केवल विद्या-सम्बन्धी हो जाती है कि क्या आश्वासन था अथवा नहीं। जब इसे वास्तव में ही तीसरी योजना में शामिल कर लिया गया है तो फिर क्या शिकायत है ?

श्री उमानाथ : हमें उस के निर्माण में दिलचस्पी है न कि उसे योजना में शामिल करने में।

श्री अ० क० गोपालन : पहली बात जो उन्होंने कही है वह निधि के आवंटन के बारे में है। यहां मैं उद्धृत करना चाहता हूं कि उस समय क्रियान्वित न किये जा रहे कुछ आश्वासनों के बारे में क्या कहा था। इस विषय पर तथा उन परिस्थितियों पर, जिनमें यह चर्चा हुई थी, विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था : "मैंने इस मामले के बारे में बहुत कुछ सुन लिया है। मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने जा रहा हूं। श्री त्यागी द्वारा दो प्रश्न उठाये गये हैं। एक यह है कि यह एक अविलम्बनीय मामला नहीं है और इन बातों पर विचार करने के लिये अवसर उपलब्ध हैं। मैं सरकार के निर्णय को नहीं जानता हूं। प्रश्न यह है कि यह निर्णय धन की उपलब्धता पर निर्भर न होकर भूमि की उपयुक्तता पर निर्भर है कि क्या भूमि खोदी जा सकती है अथवा नहीं। यदि भूमि उपयुक्त है तो शिपयार्ड वहां स्थापित किया जा सकता है। मंत्री महोदय द्वारा बारबार जितनी भी परिस्थितियां सभा के समक्ष रखी गई हैं, उन पर केवल एक ही शर्त लागू होती है। प्रतीत होता है कि यह शर्त भी पूरी कर दी गई है। अब सरकार एक और आधार पर पीछे हटना चाहती है अर्थात् वित्त उपलब्ध नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसको इस प्रकार से नहीं निपटाया जाना चाहिये।" तब अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इतने

अधिक आश्वासन देने के पश्चात् अब सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिये। इस पर एक वक्तव्य दिया गया था जिसका अब उल्लेख किया गया है ।

इस के पश्चात् 35 प्रश्न पूछे गये थे और 1960 से इन सभी 35 प्रश्नों के उत्तर दिखा दिये गये हैं फिर कुछ और चीज दिखाई जायेगी । परन्तु चूंकि यह केवल एक प्रश्न ही है, मैं और कुछ नहीं दिखाना चाहता हूं । यहां मैं केवल तीन वाक्य पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । इसमें कहा गया है :—

> "अतः मैं सदस्यों, विशेषकर केरल से आने वाले सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि दूसरे शिपयार्ड के स्थान के बारे में जो निर्णय किया गया है वह अन्तिम निर्णय है और इस से पीछे नहीं हटा जायेगा ।"

यह एक बात है । दूसरी बात यह है :

> "तदनुकूल सरकार आवश्यक तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग प्राप्त करने के लिये तुरन्त कार्यवाही कर रही है । मुझे आशा है कि हम अपने प्रयत्नों में सफल होंगे और इस शिपयार्ड का निर्माण-कार्य आरम्भ करना सम्भव होगा ।"

शब्द "shall" तथा "will" का जो प्रयोग किया गया था इनका कुछ अर्थ था। इसमें इस परियोजना को तीसरी योजना में शामिल करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । यदि मैं गलती पर हूं तो अध्यक्ष महोदय को ऐसा अवश्य कहना चाहिये। "इसे तीसरी योजना में शामिल किया जायेगा और तीसरी योजना में इस यार्ड का निर्माण-कार्य आरम्भ हो जायेगा ।"

अतः वचन अथवा आशा अथवा जो कुछ भी है—मेरे विचार से यह आशा नहीं है ; यह एक वचन है . . . यह था कि इस यार्ड का निर्माण-कार्य तीसरी योजना में ही आरम्भ हो जायेगा। इसे तीसरी योजना में शामिल किये जाने का प्रश्न नहीं है । जहां तक मंत्री महोदय का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय ने वचन दिया है कि "शिपयार्ड" का निर्माण-कार्य स्वयं तीसरी योजना में आरम्भ करना सम्भव होगा । उन्होंने यह नहीं कहा है, "हम प्रयत्न करेंगे," उन्होंने कहा है "स्वयं तीसरी योजना में ।"

अब जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, जब परसों इस प्रश्न को उठाया गया था, तो उन्होंने इस प्रश्न को देखा भी नहीं । प्रश्न का उत्तर देने के लिये कोई भी तैयार नहीं था । मैंने दोनों मंत्रियों को टैलीफोन भी किया और उन्हें बताया कि यह प्रश्न है । उन्होंने कहा कि उन्हें प्रश्न नहीं मिला । फिर, मैंने सचिव को टैलीफोन किया और पूछा कि इसको क्यों नहीं भेजा गया था । इसके बाद इसको नहीं भेजा गया था । कल भी वे तैयार नहीं थे । यदि आप कार्यवाही वृतान्त को देखें, तो आपको पता चलेगा कि मैंने अनुरोध किया था, "कल वे इसके लिये तैयार होकर आयें ।" फिर कल इसका उत्तर क्यों नहीं दिया गया था कल यह उत्तर नहीं दिया गया था । उत्तर यह दिया गया था कि कोई रिकार्ड नहीं है । वह रिकार्ड आज नहीं आया है । यदि यही तरीका . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने आपको काफी सुन लिया है । कम से कम आपको समझना चाहिये कि मंत्री इस रिकार्ड को ले आये हैं और स्पष्टीकरण दिया है कि कल उनको वाक्य पूरा नहीं करने दिया था । उन्होंने नहीं कहा है । वह कहना चाहते थे जहां तक इसको शामिल करने का सम्बन्ध है और इसके स्थान का संबंध है इनके बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । अब उन्होंने बताया है कि इसको शामिल करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, फिर भी इसको शामिल कर लिया गया है और

इसको तृतीय योजना में शामिल करना संभव था। परन्तु इसके बावजूद जो आशा प्रकट की गई थी, कि निर्माण आरम्भ हो जायेगा पूरी नहीं हुई है। अब आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अ० क० गोपालन : बावजूद इसके कि यह आश्वासन दिया गया था कि स्वयं तृतीय योजना में ही 'यार्ड' का निर्माण-कार्य आरम्भ हो जायेगा यह निर्माण आरम्भ क्यों नहीं हुआ है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : सक्षम तकनीकी परामर्शदाताओं द्वारा तकनीकी परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिये जाने का पहला चरण पूरा नहीं किया गया था। प्रतिवेदन 27 अप्रैल, 1966 को प्राप्त हुआ था। परिवहन मंत्रालय की एक तकनीकी समिति अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ उस परियोजना प्रतिवेदन की जांच कर रही है और आशा है कि हमारे तकनीकी अधिकारियों का तकनीकी प्रतिवेदन इस महीने के मध्य तक प्राप्त हो जायेगा। यह प्रतिवेदन मिल जाने के बाद सरकार इसपर आगे विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : निर्माण कब आरम्भ होगा ?

श्री चे० मु० पुनाचा : शिपयार्ड के बनाये जाने की संभावना स्थापित होने के बाद और तकनीकी प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद सरकार प्रत्येक बात की जांच करेगी; परियोजना के क्षेत्र तथा परियोजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अध्ययन किया जायेगा और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अ० क० गोपालन : दो सप्ताह पूर्व कुछ समाचारपत्रों में यह खबर आयी थी कि परियोजना के प्रति योजना आयोग की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं थी विशेष रूप से भारी लागत को देखते हुए। आज स्थिति क्या है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह मामला अभी तकनीकी समिति और विशेषज्ञों के विचाराधीन है और मैं इस समय इस पर अपनी राय नहीं दे सकता हूं। प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद हम बता सकेंगे कि इसका क्या क्षेत्र होगा और यह कि परियोजना की संभावना क्या है ?

श्री नम्बियार : इस शिपयार्ड के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार ने भूमि अर्जन के अतिरिक्त अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चे०मु० पुनाचा: मुख्य प्रश्न परियोजना प्रतिवेदन पर आधारित है। विदेशी परामर्शदाताओं को बुलाने में सरकार ने शीघ्र कार्यवाही की है। मामले की पूरी जांच कर ली गई है और परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। सरकार यही कुछ कर सकती थी। उसके बिना शिपयार्ड का निर्माण कैसे आरम्भ किया जा सकता है ? यह कोई तमाशा नहीं है।

श्री वासुदेवन नायर : 5 अप्रैल को श्री रेड्डी ने अपने मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा को समाप्त करते समय मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि कोचीन का जहाज़ निर्माण कारखाना निश्चित रूप से स्थापित किया जायेगा। क्या मंत्री महोदय अपने उस आश्वासन पर स्थिर हैं कि चाहे कुछ भी संभावनाएं क्यों न हों उसका निर्माण किया जायेगा ? क्या यह आश्वासन दे सकते हैं कि इसको चतुर्थ योजना में रखा जा रहा है।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : आश्वासन के बारे में मैं कह सकता हूं कि हम कोचीन में जहाज निर्माण कारखाना बनाने के लिये उत्सुक हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि परियोजना प्रतिवेदन पर, जो कि प्राप्त हो गया है, यथा शीघ्र विचार किया जाये और मुझे आशा है कि योजना आयोग इसके लिये काफी विदेशी मुद्रा और रुपया देगा। कोचीन जहाज़ निर्माण कारखाने का निर्माण-कार्य आरम्भ करने के लिये जितने प्रतिपक्षी सदस्य उत्सुक हैं उतने ही हम भी हैं।

श्री वासुदेवन नायर : आपने यह कैसे कहा कि निश्चय ही इसका निर्माण किया जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के लिए हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। हमारी तो इच्छा यह है कि इसका निर्माण हो। जैसा कि डा० सुब्बारायन ने कहा है इसके निर्माण के लिये हम भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री पी० कुन्हन : तकनीकी समिति के सदस्य कौन हैं और क्या वे तकनीकी व्यक्ति हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : तकनीकी समिति में ये ये शामिल हैं: परिवहन मंत्रालय (पत्तन) के विकास सलाहकार, नौसेना मुख्यालय निदेशक, एक तकनीकी व्यक्ति, महानिदेशक नौवहन—उसका प्रतिनिधि—,कोचीन पत्तन न्यास के सभापति तथा मंत्रालय का एक प्रशासनिक अधिकारी।

श्री ही० ना० मुकर्जी : राज्य मंत्री ने संभावना शब्द को बार-बार प्रयोग किया है। मैं समझता हूं कि सरकार ने कैबिनेट की ओर से आश्वासन दिया था। अब क्या म यह समझूं कि पुराना आश्वासन क्रियान्वित नहीं किया जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : माननीय सदस्यों को समझना चाहिये कि तकनीकी मामलों पर स्वभावत: हमें तकनीकी व्यक्तियों की राय लेनी पड़ती है और हमें उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी। यह प्रतिवेदन लगभग 1 महीने में मिल जायेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कई वर्ष लगेंगे;

एक माननीय सदस्य : फिर आश्वासन का क्या मतलब है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह परियोजना लगभग 15 वर्षों से अनिर्णीत पड़ी है, और अब हमें बताया जाता है कि हमारी इसकी सम्भावना पर विचार किया जा रहा है। क्या विदेशी परामर्शदाताओं से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया था या व्यावहार्यता प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया था, और यदि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के लिये कहा गया था तो क्या इस खबर में कोई सच्चाई है कि एक साथ दो प्रकार के प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है, एक तो कम भार वाले जहाज़ों के लिये एक छोटी परियोजना और दूसरा एक बहुत अधिक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, और यदि हां, तो इनमें से कौन सा प्रतिवेदन विचाराधीन है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और तकनीकी समिति अब इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है और यह मंत्रालय को सलाह देगी कि वित्तीय व्यय और परियोजना के क्षेत्र के सम्बन्ध में क्या निश्चित कार्यवाही करनी चाहिये। यह स्थिति है जो कि तकनीकी समिति को भेजी गई है। तकनीकी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न था कि क्या दो प्रकार के परियोजना प्रतिवेदन हैं।

श्री चे० मु० पुनाचा : केवल एक ही परियोजना प्रतिवेदन है और वह है विस्तत परियोजना प्रतिवेदन।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या मंत्री महोदय ने तकनीकी समिति को अन्य पत्तनों का दौरा करने और उन क्षेत्रों में भी व्यावहार्यता की जांच करने का निदेश दिया है,

श्री चं० मु० पुनाचा : विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और तकनीकी समिति अब इसकी जांच कर रही है। किसी अन्य पत्तन पर उसको जाने की आवश्यकता नहीं है।

इंस्टीटयूट आफ इन्टरनेशनल स्टडीज़

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 3. **श्री मधु लिमय :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री भागवत झा आजाद : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री अल्प-सूचना प्रश्न संख्या 37 का 16 मई, 1966 को दिये गये उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ इन्टरनेशनल स्टडीज़, दिल्ली के संचालक या विद्या परिषद् ने श्री वेद प्रताप वैदिक को इस बीच उनके हिन्दी में लिखे-प्रार्थना-पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति अथवा वृत्तिका का भुगतान कर दिया है; और

(ख) क्या यह सच है कि उक्त परिषद् ने यह निर्णय किया है कि छात्र यदि चाहें तो अपनी थीसिस किसी भी भारतीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) श्री वेद प्रताप वैदिक को जून, 1966 तक का वजीफा दे दिया गया है और अब कोई अदायगी बाकी नहीं है।

(ख) विद्या परिषद ने निर्णय किया है कि अनुसंधान अध्ययन बोर्ड (Board of Research Studies) विशिष्ट विषयों में छात्रों को किसी दूसरी भाषा में अपनी थीसिस लिखने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है बशर्ते कि यह संतोषप्रद हो कि पर्याप्त अनुसंधान सामग्री या तो उसी भाषा में अथवा किसी दूसरी भाषा में जिसमें छात्र पहले से ही निपुण है, उपलब्ध हो और उसे थीसिस की भाषा में कुशल पर्यवक्षक तथा परीक्षक प्राप्त हो सकते हों।

Shri Madhu Limaye: The hon. Minister stated that in exceptional cases students will be permitted to write their thesis in Indian languages, if they so desire. Taking in to consideration that annually we are giving a grant to this Institute to the tune of 7-8 lakh rupees, is it not possible for the Education Ministry to give a direction to the Director of this Institute that the students should be permitted to write their thesis in any Indian language they wish to do so in all cases and not in exceptional cases ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि पिछली बार बताया, यह एक स्वायत्तशासी निकाय है, एक अखिल भारतीय संगठन है जिस में देश के विभिन्न भागों के विद्यार्थी आते हैं। हमारे देश में आज की स्थिति को देखते हुए संस्थान ने अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम ग्रहण किया है क्योंकि इस में दक्षिण बंगाल, महाराष्ट्र और अन्य स्थानों के विद्यार्थी आते हैं। अतः हम एक भारतीय भाषा हिन्दी को शिक्षा का माध्यम नहीं बना सकते। वर्तमान स्थिति यह है।

इस सभा में जो तीव्र भावनाएं व्यक्त की गई थीं उनकी जानकारी संस्थान को दे दी गई थी। विद्या सम्बन्धी परिषद् ने एक संकल्प पारित किया है जिसका सार मैंने आपको दिया है। स्थिति यह है कि संस्थान का कार्य सामान्य रूप से अंग्रेजी में होगा। अध्यापन सामान्यरूप से अंग्रेजी में होगा और निबन्ध भी अंग्रेजी में लिखे जायेंगे। परन्तु यदि कोई विद्यार्थी यह कहता है मैं एक भारतीय भाषा में निबन्ध लिखना चाहता हूं तो पहले आपके पास उस संस्थान में साहित्य होना

चाहिये जहां आप अनुसन्धान कर सकते हैं। दूसरे उस भाषा में वह दक्ष होना चाहिये; तीसरे, उसके लिये निबन्ध लिखने के लिये संस्थान से पर्याप्त सहायता प्राप्त करना संभव होना चाहिये।

मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा प्रबन्ध है । संस्थान दासता से अंग्रेज़ी को नहीं चिमटाये रखेगा। यदि कोई विद्यार्थी हिन्दी या बंगाली या तामिल में निबन्ध लिखना चाहता है, तो यदि वह दक्ष है, यदि पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है, और पर्यवेक्षक उस में उसकी सहायता कर सकते हैं तो उसे सहायता मिल जायेगी।

Shri Madhu Limaye : My question is why the student is not permitted to write his thesis in an Indian language. It is not necessary that the literature should be in that particular Indian language in which a student wants to write his thesis. The literature can be in any language.

Mr. Speaker : That Institution has also to see whether it has got facilities for examining the research papers, whether they have got the requisite staff for examining the research papers.

Shri Madhu Limaye : I can understand about the examiner.

Shri M. C. Chagla : If the literature is prepared in Bangla and Bangla professors are not there, then who will examine it. The Institution must have facilities for that.

Shri Madhu Limaye : So far as the correspondence is concerned the Academic Council or the Director has issued a circular that letter can be written to them in any of the 14 languages mentioned in the Constitution, but side by side this condition has also been imposed that the English translation of the contents of the letter should also accompany it. This I am not able to inderstand. The hon. Minister stated that he has been paid stipend upto June. Is the hon. Minister aware that he has not been paid stipend for the month of August because he again wrote a letter in an Indian language ?

Mr. Speaker : August has started only now.

Shri Madhu Limaye : Stipend for July will be paid in August, is it not so ?

श्री मु० क० चागला : स्थिति यह थी कि जब यह दुर्भाग्यपूर्ण विवाद खड़ा हुआ तब उन्हें अपनी छात्रवृत्ति के लए आवेदन पत्र लिखने के लिए कहा गया था . . .

Shri Madhu Limaye : The Director misleads him.

अध्यक्ष महोदय : क्या उनको जुलाई की छात्रवृत्ति देने से फिर इन्कार किया गया है ?

श्री मु० क० चागला : अभी अगस्त का आरम्भ है, परन्तु श्री वेदिक के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है । उन को अपना प्रमाणपत्र अंग्रेज़ी में देने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी उपस्थिति नियमित रही थी । वह इस को कोरा ही दे सकते हैं, और एक निदेश दिया गया है कि वह विशिष्ट आवेदन पत्र निदेशक अथवा पंजीयक द्वारा अंग्रेज़ी में भर लिया जायेगा। उन पर कोई बाध्यता नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister should state that he is in the know of it or he is not in the know of it.

Mr. Speaker : Has scholarship been received for the month of July or not ?

Shri M. C. Chagla : I do not have information for that. Till the end of June it has been received.

Shri Bhagwat Jha Azad : If the hon. Minister does not know that, will he see please to state whether the student will get scholarship and will not be forced to submit the English version also if he submits his application in Hindi for the scholarship of the month of July.

श्री मु० क० चागला : स्थिति यह है कि यदि वह अपना आवेदन पत्र खाली भेजते हैं तथा अंग्रेजी में नहीं भरना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रार या निदेशक या संस्था का कोई दूसरा अधिकारी इसे अंग्रेज़ी में भरेगा ।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

Shri Bhagwat Jha Azad: The question is whether a student will get scholarship if he suibmits his application in any Indian language or he will be forced to submit English version also ? The hon. Minister has a split personality. As a cabinet Minister he says that a student can submit his application in Hindi and as Education Minister he says that English version should also be submitted therewith. What is the reason for this sort of split personality ?

श्री मु० क० चागला : मैं संस्था का निर्णय ही बता सकता हूं और यही निर्णय है । निदेशक ने श्री वेदिक को यह सलाह दी है कि यदि वे रिक्त स्थानों को अंग्रेज़ी में न भरना चाहें तो वे खाली फार्म को ही संस्था को दे दें ।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मामला दूसरे ढंग से रखा जाये तो दूसरा प्रश्न है, किन्तु अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में वह हमें संस्था की प्रतिक्रिया अवगत कर रहे हैं । यह पूछा गया है कि क्या मंत्री महोदय कोई निर्देश देंगे । मंत्री महोदय ने कहा है कि यह एक स्वायत्त संस्था है । यदि माननीय सदस्य इस पर वाद-विवाद करना चाहें तो करें, किन्तु मैं इस पर अधिक प्रश्न नहीं करने दूंगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस विषय पर आधे घंटे तक वाद-विवाद की करने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : जब नोटिस आयेगा, मैं देखूंगा ।

Shri Sidheshwar Prasad: I would like to know whether .....

श्री अ० प्र० शर्मा : वह हिन्दी में प्रश्न कर र हैं । उसे खाली छोड़ा जाना चाहिये । उन्हें अंग्रेजी में पूछना चाहिये ।

Shri Sidheshwar Prasad: Sir, I would like to know that if a student wants to undertake some research work in the Indian languages for which there are professors in the Institute, what facilities have so far been provided and will be provided in future for them ?

श्री मु० क० चागला : जैसा मैंने कहा कि विद्यार्थी देश के सभी भागों से आते हैं । यदि वे अपने आवेदनपत्र विभिन्न भाषाओं में भरते हैं तो हमारे पास सभी भाषाओं को समझने वाले कर्मचारी नहीं हैं । इसीलिये एक आम भाषा को निर्धारित किया गया है ।

Shri Sidheshwar Prasad: Sir, my question is different.

I have asked if a student wants to undertake research in one of the Indian languages for which there are professors in the Institute, what facilities have so far been provided and will be provided in future for them ?

श्री मु० क० चागला: मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि विभिन्न कर्मचारी कौन सी भाषायें जानते हैं । वे सब अंग्रेज़ी जानते हैं क्यों अंग्रेज़ी माध्यम है । क्या मैं कुछ और कह सकता

हूं जो मुझे पहिले कहना चाहिये था ? मुझ से जुलाई की छात्रवृत्ति के लिये पूछा गया था। स्थिति यह है जुलाई की छात्रवृत्ति अगस्त के पहिले हफ्ते में दी जायेगी। यही स्थिति है । प्रथम हफ्ता समाप्त नहीं हुआ तथा मुझे आशा है कि छात्र को जुलाई की छात्रवृत्ति अगस्त के पहिले हफ्ते में ही मिल जायेगी ।

Shri Kishen Pattnayak : It is a matter of shame that after 18 years of independence, even ten or twenty students have not been awarded Doctorate on having submitted theses or treatises in Indian languages. Will the honourable Minister be pleased to agree to my suggestion that with a view to encourage and promote Indian languages, Government should declare some prize or stipend for those who want to submit their theses in Indian languages for obtaining the degree of Doctorate ?

Shri Bhagwat Jha Azad: Those will be blacklisted by him.

श्री मु० क० चागला : यह प्रश्न-संगत नहीं है । मैं यह सूचित कर सकता हूं कि शिक्षा आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दस वर्ष के अन्दर भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश की है ।

Shri Kishen Pattnayak: How is it not relevant ?

Shri Madhu Limaye: Twenty years have elapsed. Where have those gone ? Have they taken a flight ?

Dr Ram Manohar Lohia: Mr. Speaker, the two conceptions which are quite different from each other have blended in the mind of the hon. Minister. One is in respect of the language for giving vent to our studies, i.e. the language for expression and the second point is in respect of the language where in the material of subject under study is available, i.e. the language for understanding. There is one language for understanding and study and there is another language for writing and expression. The hon. Minister has blended these two. Therefore, the difficulty arises. So long as the honourable Education Minister does not know some very fundamental facts, had he at least sudied, he would have known how research is carried out. I would like to tell you....

Mr. Speaker : Will you go on telling me you will ask also ?

Dr. Ram Manohar Lohia : I enquire from you, why should I enquire from him ? He does not know any thing. Mr. Speaker, it is not a small question. For example Shakespeare, mostly research material regatding him is available im English language but when a German scholar of study wants to submit a thesis on him, he will submit it in German language and if a French wants to write on him he will write in French. If Russia and Mongolia are student's subjects for research, it is clear that all material or much more material would be available in Mongolian and Russian languages. May I know whether the Minister wants to say that he would submit his thesis in Russian language ? Where from does English drop there which is an absurd and bewitching language ? Will he write his thesis in Mongolian language ? What will be the language ? If some one chooses Sanskrit as his subject, as Maxmuller....

Mr. Speaker : Honourable Member should ask his question now.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, what can I do ? There is a man sitting there, who does not know and does not understand any thing.

Mr. Speaker : Order, Order.

Dr. Ram Manohar Lohia : What is order, order, in it ?.....(*Interruptions*) There is no order order in it Mr. Speaker, you please listen to me.

Mr. Speaker : If order does not come in it, proceedings can not be conducted and then I will have to adjourn. I have been telling you that repeated supplementary question is turning

into a speech. You are telling me and him also as if all are fools sitting here. If you want to put question, you put.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, when these men come here and speak things like that, what should be done ? You may see, when Maxmuller studied Vedas etc. in Sanskrit, did be write his thesis in Sanskrit ? He wrote it in German .

There is a rule in all good universities of the world, I will tell you as far as I know, in Berlin University, in Moscow University and also in other good universities you can write your thesis in Bengalese or in Hindi. Has the hon. Minister ever tried to find out ? They know that one can have one's language and the study should be carried out through media of other languages, it is thrusting of language forcibly upon others, one who does not want to use English they are thrusting it upon him. The question is not of imposing Hindi upon Malayalese or Bengalese. Bengalese or Malayalese should be allowed to conduct their researches in their respective languages and Hindi scholars should be allowed to conduct their research in Hindi. This question has been lying here. You, therefore, first ask the Minister to set right the screws of his mind. He should learn to distinguish between the language of material for research and the language for writing thesis. Has the hon. Minister tried to find out whether in Berlin, in Moscow and in other developed universities of the world, scholars are allowed to undertake their researches through the media of Bengalese or Hindi or Tamil—I am not sure so far as Tamilis concerned—and are awarded Doctorate ?

Mr. Speaker : So may I move on now ?

Dr. Ram Manohar Lohia : This should also be answered.

Mr. Speaker : What answer should I elicit for this ?

श्री मु० क० चागला : मैं डाक्टर लोहिया की अशिष्टता का दावा नहीं करता——इसके लिये वे आदत से मज़बूर हैं——और न ही मैं विशाल शब्द कोष के ज्ञान भण्डार का दावा करता हूं। मेरे अन्दर कम से कम यह स्वीकार करने की नम्रता तो है कि मैं गलत हूं या अनभिज्ञ हूं। (व्यवधान)।

Dr. Ram Manohar Lohia : To talk of my nature and your own humility ! What audacity and shamelessness !

श्री मु० क चागला : मैं केवल इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूं। प्रश्न था कि इस संस्था का क्या निर्णय है । मैं सभा को स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इस संस्था की मूल नीति यह थी कि शोध-ग्रन्थ अंग्रेजी में होना चाहिये। इसका कारण यह था कि यह एक अखिल भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसके प्राध्यापक, अध्यापक और परीक्षक केवल अंग्रेज़ी ही जानते हैं और दूसरी भाषाएं अच्छी तरह नहीं जानते। किन्तु इस विचार से कि . . .

Dr. Ram Manohar Lohia : He has been working under the serfdom of English since his very brith and now he has come to quarrel with us ....*(Interruptions)*.

कुछ माननीय सदस्य : गलत, गलत ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह संस्था 2 प्रतिशत लोगों के लिये है या 98 प्रतिशत लोगों के लिये है ?

श्री त्यागी : यदि वे भारतीय भाषाएं नहीं जानते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : If they do not know Hindi .. *(Interruptions)*.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, I have a point of order. Is that institution... *(Interruptions)*.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

मैं आश्चर्यान्वित हूं। मुझे क्या करना है ? मैं समझने में असमर्थ हूं कि वरिष्ठ सदस्य चारों ओर किस प्रकार उठते हैं और बिना किसी अनुशासन और शान्ति के बोलना शुरू कर देते हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं उन से पूछता हूं । क्या यह संस्था संविधान से ऊपर है ? क्या यह 2 प्रतिशत लोगों के लिये है या 98 प्रतिशत लोगों के लिये है ?

श्री मु० क० चागला : मैंने कहा था कि वह इस संस्था या संगठन की नीति थी । अब उन्होंने इसमें परिवर्तन कर दिया । पिछले अधिवेशन ने इस सभा में हुये वाद-विवाद के परिणामस्वरूप अब किसी भी विद्यार्थी को छूट है कि वह अपना शोध-ग्रन्थ किसी भी भारतीय भाषा में भेज सकता है, यदि उस भाषा के परीक्षकों, निरीक्षकों तथा अध्यापकों का आवश्यक प्रबन्ध हो । अन्यथा कोई विद्यार्थी किसी संस्था में कैसे अध्ययन कर सकता है, जब तक कि अध्यापक, परीक्षक तथा निरीक्षक उस भाषा को न जानते हों जिसमें शोध-ग्रन्थ प्रस्तुत किया जाये ?

श्री भागवत झा आजाद : क्या अध्यापक सक्षम हैं ? विद्यार्थियों को क्यों सजा दी जाय, यदि अध्यापक या निरीक्षक भाषा नहीं जानते हैं ?

श्री नम्बियार : इस को समाप्त किया जाना चाहिये, कोई सीमा भी होनी चाहिये ।

कई माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : सभा के वृतान्त में कुछ नहीं समाविष्ट होगा । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अब वह बन्द करें और इस विषय को यहीं पर छोड़ दें । इस पर आगे वाद-विवाद नहीं चलना चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Samadhi of Late Prime Minister Lal Bahadur Sahstri

244. Shri. Naval Prabhakar :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No 1020 on the 7th April, 1966 and state :

(a) whether the detailed scheme for the construction of a Samadhi for the late Prime Minister Lal Bahadur Shastri has since been formulated ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the progress made in the preliminary development of the Samadhi ?

Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b). No. It will take quite some time to work out a detailed scheme. At the moment we are concentrating on the first phase of the scheme.

(c) The approximate expenditure on the first phase will be Rs. 1.5 lakhs. It has practically been completed.

केरल अराजपत्रित अधिकारी संघ की मांगें

*245. श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल अराजपत्रित अधिकारी संघ ने यह मांग की है कि राज्य सरकार द्वारा हाल में घोषित किये गये वेतन संशोधन पर पुनर्विचार करने के लिये नई समिति नियुक्त की जाये;

(ख) क्या उस संघ ने यह भी मांग की है कि जब तक समिति नियुक्त नहीं की जाती है तब तक अराजपत्रित अधिकारियों तथा कम आय वाले कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दी जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) केरल सरकार ने संघ की मांगें स्वीकार नहीं की हैं। लेकिन वह उन असंगतियों पर विचार करने के लिए राजी हो गयी है जिनकी ओर उसका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाये।

रोकी गई (फ्रोजन) अमरीकी सहायता

*246. श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री बाल गोविन्द वर्मा :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बसुमतारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रा० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से योजना मंत्री के वापस आने के बाद अमरीका ने रोकी गई अमरीकी सहायता फिर से चालू करने की संभावना के बारे में कोई संकेत दिये हैं;

(ख) क्या कुछ परियोजनाओं के लिये सहायता देने की इच्छा के अतिरिक्त जिसके लिये पहले ही वचन दिया हुआ है, शीघ्र ही काफी राशि मिलने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :(क) सभा की मेज पर संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रैस-विज्ञप्ति रख दी गयी है जिसमें बताया गया है कि इस सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति क्या है ।

(ख) और (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और निर्यात-आयात बैंक द्वारा नवम्बर, 1965 से मंजूर किये गये ऋणों की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–6657/66] इसके अतिरिक्त दी जाने वाली प्रायोजना-सहायता और गैर-प्रायोजना सहायता पर विचार किया जा रहा है ।

Aid India Club

*247. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri P. C. Barooah :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :
Shri Shree Narain Das :
Shri N. R. Laskar :
Shri R. Barua :
Shri Liladhar Kotoki :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri Hem Barua :
Shri Surendra Nath Dwivedi :
Shri Nath Pai :
Shri Alvares :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Daljit Singh :
Shri Kindar Lal :
Shrimati Maimoona Sultan :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri Kajrolkar :
Shri D. C. Sharma :
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri Brij Basi Lal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total aid promised to be given by the Aid India Club for the Fourth Five Year Plan;

(b) the proportion of non-project aid therein ;

(c) the amount of aid promised to be given by the U.S.S.R. and East European countries; and

(d) the proportion of non-project aid therein ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Choudhri) : (a) and (b). The exact requirements of aid for the Fourth Five Year Plan and the response of the Aid India Consortium thereto will be known only after the Fourth Plans finalised and the Aid India Consortium has had an opportunity to study it. So far as 1966-67 is concerned, on the basis of commitments already made and intentions expressed by Consortium members, it is expected that $900 million would be available as non-project aid from the members of the Aid India Consortium the question of project aid is yet to be considered.

(c) & (d). Soviet Government have announced a total credit of 970 million roubles including carry-forward from Third Plan to Fourth Plan and Bokaro Project credit. The non-project portion of this is yet to be finalised. As regards East European countries, loan agreements have been concluded with Hungary on 15-6-1966 for Rs. 25 crores and with Yugoslavia on 18-6-1966 for Rs. 60 crores. Both these credits are tied to projects. The matter with other East European countries has not yet been settled.

गांवों में बेरोजगारी

*248. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि योजना के पन्द्रह वर्षों के बावजूद भी गांवों में अत्यधिक बरोजगारी है और वह बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किस दर पर प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है; और

(ग) उनके लिए उत्पादनशील रोज़गार की व्यवस्था करने के लिए चौथी योजना में अस्थायी तौर पर क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में, बेरोज़गारी की अपेक्षा चिरकालिक अर्द्ध-रोज़गारी की समस्या है । निस्सन्देह, जनसंख्या की वृद्धि से अर्द्ध-रोज़गारी की समस्या गम्भीर हो गई है । फिर भी, प्रति वर्ष अर्द्ध-रोजगारी किस दर से बढ़ या घट रही है, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह बताना सम्भव नहीं है । प्रत्येक क्षेत्र में स्थिति एक दूसरे से भिन्न है ।

(ग) इन कार्यक्रमों का चौथी योजना की रूपरेखा में समावेश कर दिया जायेगा ।

मैसर्स चमन लाल ब्रदर्स से वसूली

*249. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक : **श्री बागड़ी :**

क्या **वित्त** मंत्री 17 मई, 1966 को दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) चालीस लाख रुपये के आंशिक भुगतान में से, जिसके बारे में उन्होंने 24 मार्च, 1966 को बताया था कि सरकार ने वह राशि वसूलकर ली है, कितनी विदेशी मुद्रा ब्रिटेन की फर्म और मैंसर्स चमन लाल एण्ड प्रदर्स से अब तक वास्तव में प्राप्त हुई है; और

(ख) इस मामले में प्रवर्त्तन निदेशालय ने क्या कानूनी कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) तारीख 24-3-1966 के वक्तव्य में बताया गया था कि 40 लाख रुपये की रकम 'वापस मिल गयी' है और यह नहीं कि वह सरकार द्वारा वसूल कर ली गयी है । जैसा कि बाद में तारीख 17-5-1966 के वक्तव्य में स्पष्ट किया गया है, 40 लाख रुपये की रकम एक करार के अधीन सुरक्षित थी जो ब्रिटेन के साथ किया गया था और जो भारत के रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया था । जैसा कि वक्तव्य में बताया गया है, इस रकम में से 55,000 पौंड की राशि उस तारीख को वास्तव में मिल चुकी थी । उस तारीख के बाद 30,000 पौंड की एक और रकम मिल चुकी है ।

(ख) पहले वक्तव्य में बताये गये शेष 35 लाख रुपये में से बकाया रही रकम में से 1,90,894 पौंड के सम्बन्ध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पार्टी को 'कारण बताओ' नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है ।

40 लाख रुपयों में से बाकी रकम के बारे में भारत के रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

आर्थिक समीक्षा

*250. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री म० क० कुमारन:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या देश में मजूरी के ढांचे पर सामान्यत: पुनर्विचार करने के प्रश्न तथा इस सम्बन्ध में आय, मजूरी तथा उत्पादन के सम्बन्ध में दीर्घकालीन नीति बनाने की ओर सरकार ध्यान दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर किस स्तर पर विचार किया जा रहा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्या निश्चित कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जी हां। पिछले काफी समय से सरकार आमदनियों सम्बन्धी उपयुक्त नीति निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। देश के लिए आमदनियों सम्बन्धी नीति की एक व्यापक रूपरेखा तैयार करने के लिए जून 1964 में एक संचालन दल नियुक्त किया गया था, जिसके सदस्य रिजर्व बैंक, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और योजना आयोग के अधिकारी हैं। इस दल ने इस विषय से सम्बद्ध विभिन्न बातों के बारे में काफी काम किया है। यह एक जटिल विषय है और दल को अपनी रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार करने में अभी कुछ समय लगेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक से ऋण

*251. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन शर्तों में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है जिनके अन्तर्गत विकासशील देशों को विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण ऋण दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख) विश्व बैंक और उससे सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ विकासशील देशों की आवश्यकताओं की बराबर समीक्षा करते रहते हैं और इस बात पर भी विचार करते हैं कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए इस प्रकार की निरंतर समीक्षा के परिणामस्वरूप, वित्त-व्यवस्था की शर्तों में पिछले पांच वर्ष की अवधि में काफी सुधार हुआ है। उदाहरण के तौर पर, अब यह बात मान ली गयी है कि बढ़ती हुई मात्रा में गैर-प्रायोजना सहायता देना और किसी प्रायोजना की पूरी लागत के कुछ अंश की पूर्ति (न कि उस प्रायोजना की केवल विदेशी मुद्रा सम्बन्धी लागत की पूर्ति) करना आवश्यक है। ऋण लेने वाली संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम आदि के सम्बन्ध में, उन्होंने उस सीमा में कमी कर दी है, जिस सीमा तक दूसरों को ऋण देने से पहले बैंक से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की मार्फत लम्बी अवधि के विकास-ऋणों के लिए और ज्यादा रकम उपलब्ध

करने के उद्देश्य से, बोर्ड आफ गवर्नर्स की स्वीकृति से विश्व बैंक ने, अपनी अतिरिक्त राशि में से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को 1963-64 में 500 लाख डालर और 1964-65 में 750 लाख डालर की रकमें दी हैं ।

कांगसावती परियोजना

*252. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० रानेन सेन :

क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कांगसावती परियोजना में जिसे केन्द्र ने मंजूर किया है, धन की कमी के कारण निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है; और

(ख) यदि हां, तो तेजी से निर्माण कार्य कराने के लिये पर्याप्त धन न देने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने राज्य की योजना के लिये निर्धारित राशि के अतिरिक्त धन के लिये प्रार्थना की है । इस पर विचार किया जा रहा है ।

आसाम के पहाड़ी जिलों का विकास

*253 श्री वारियर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बसुमतारी :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के पहाड़ी जिलों के जिस में मिजो पहाड़ी जिले भी शामिल हैं विकास सम्बन्धी केन्द्र तथा राज्य के संयुक्त अध्ययन दल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है तथा सरकार को अपने प्रस्ताव पेश कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन के बारे में क्या निर्णय किया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी–; 6658/66)।

(ग) अध्ययन दल के प्रस्ताव विचाराधीन हैं और उन के बारे में शीघ्र निर्णय किये जाने की आशा है ।

Kosi Canal Power House

*254. **Shri Lathan Chaudhry:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1634 on the 12th May, 1966 and state :

(a) when the Kosi Canal Power House will start functioning and the action being taken by Government to expedite its completion and commissioning ;

(b) whether the machinery for this Power House impounded by Pakistan has since been released; and

(c) if not, the alternative arrangements being made by Government for the same ?

Minister for Irrigation and Power (Shri F. A. Ahmed): (a) : The East Kosi Canal Power Station is now expected to be commissioned in 1967. Civil works for the construction of the Power House are nearing completion except for the draft tube gates and intake stop logs. The erection of the generating units 2, 3 and 4 is being taken up. The erection of Unit I cannot be taken up as certain parts of the unit have been impounded by the Government of Pakistan. All efforts are being made by the Bihar State Electricity Board to expedite the commissioning of the Power Station.

(b) & (c). The machinery impounded by the Government of Pakistan mainly relate to the generating unit No. 1 and the draft tube liners for the other three generating units. The machinery has not yet been released. If the impounded packages are not released. by the Government of Pakistan in the near future, these will be fabricated in India.

प्लाटों की बिक्री सम्बन्धी नीति

*255. **श्री मा० ल० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **निर्माण, आवास, तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि अब तक प्राप्त किये गये अनुभव को देखते हुए रिहायशी प्लाटों की बिक्री सम्बन्धी नीति का पुनर्विलोकन किया जाये ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) यह विदित हुआ है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 28 मई 1966 को हुई अपनी बैठक में "दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन विकास तथा निपटान" की योजना के अन्तर्गत रिहायशी प्लाटों के निपटान के संबंध में नीति में कुछ परिवर्तन की सिफ़ारिश का संकल्प अपनाया है । उनके द्वारा यह संकल्प दिल्ली प्रशासन को आगे की कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन से सिफ़ारिशें प्राप्त होने पर निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय में इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिये डाक्टरों को प्रोत्साहन

*256. श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिये डाक्टरों को आकर्षित करने हेतु उन्हें अधिक उपलब्धियों और अधिक सुविधाओं जैसे मकान तथा सवारी के रूप में अधिक प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकारों से कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य-सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कौन-कौन से राज्य डाक्टरों को ये प्रोत्साहन देने के लिये सहमत हो गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अधिकतर राज्यों ने ग्रामों में सेवा करने वाले डाक्टरों के वेतनक्रम पुरीक्षित कर दिये हैं। चिकित्सा अधिकारियों के वेतन क्रमों तथा अन्य सुविधाओं के बारे में संबंधित प्रधिकारी समय समय पर पुनर्विचार करते रहते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सेवा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के वेतन क्रमों भत्तों तथा अन्य प्रहोत्साहनों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । (पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6659/66)।

Raids connected with Foreign Exchange violations

*257 **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri R. S. Pandey :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri Hem Barua :
Shri Surendra Nath Dwivedy :
Shri Nath Pai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently officials of his Ministry during the course of searches made at the office, premises, factories and residential flats of the group of Directors of companies located at several places of Bombay and Gujaraf recovered some documents connected with ; vi alued at lakhs of rupees, which showed that a large scale violation of the Foreign Exchange Rules is going on;

(b) if so, the name of places and names of companies involved with the results of the raids; and

(c) the action taken against the companies involved therein ?

The Minister in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b) : As a result of searches conducted by the Officers of the Enforcement Directorate on 23-5-66 and 24-5-66, at the premises of four firms and five individuals in Bombay, one firm in Thana and a firm and an individuals in Baroda, documents indicating certain transaction in foreign currencies including Swiss Francs in contravention of the provisions of the Foreign Exchange Regulation

Act, 1957 have been seized. It would not be in the public interest to disclose more details or the names of the Compaenies at this stage.

(c) The matter is still under investigation.

जीवन बीमा निगम सम्बन्धी विनियमन

*258. **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम के निदेशकों की समिति द्वारा कार्य संचालन किये जाने तथा कार्यवाही वृतान्तों के कार्यवाही-सारांश को पुस्तकों में रिकार्ड किये जाने के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 (1) के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम सम्बन्धी किसी विनियमन की स्वीकृति दी थी ; और

(ख) क्या यह सच है कि 1957—59 के दौरान जीवन बीमा निगम के निदेशकों की समिति ने कार्यवाही सारांश पुस्तक में अपने कार्यवाही वृतान्तों का ऐसा कोई भी रिकार्ड नहीं रखा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जीवन बीमा निगम विनियम, 1956 और साथ ही जीवन बीमा निगम विनियमन, 1959 में, जो बाद में 1956 के उक्त विनियम के स्थान पर लागू हुआ, यह व्यवस्था है कि निगम के सदस्यों की बैठकों में किये गये सभी निर्णय " जहां तक सम्भव हो निर्णय के रूप में लिखे जायेंगे और ऐसे निर्णयों का निगम की कार्यवाही पुस्तक में इन्दराज इस बात का निश्चित सबूत होगा कि निगम द्वारा ये निर्णय किये गये थे। ये दोनों विनियम भारत सरकार की स्वीकृति से जारी किये गये थे।

सदस्यों की विभिन्न समितियों अर्थात् कार्यकारी समिति, निवेश समिति, सेवा और बजट समिति तथा जनसम्पर्क समिति के सम्बन्ध में बीमा निगम विनियम, 1959 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक समिति की कार्य-प्रणाली वही होगी जो उसके अपने द्वारा निश्चित की जायगी ।

(ख) 1956 में निगम की स्थापना के बाद से निगम के सदस्यों की बैठकों में किये गये निर्णय, विनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही पुस्तक में दर्ज किये गये हैं। वास्तव में निगम की समितियां भी, अपनी स्थापना के समय से ही कार्यवाही-विवरण पुस्तकें रखती है; सिर्फ सेवा और बजट समिति ने (जिसे पहले वरिष्ठ सेवा समिति कहा जाता था) केवल फरवरी 1962 से ऐसा करना शुरू किया है ।

Expenditure by Central Ministers

*259. **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred by Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers separately on electricity , water and telephones between 1962 and July, 1966; and

(b) whether Government had asked the Ministers to restrict the expenditure on above items to the minimum in view of the State of Emergency and if so, the result thereof?

Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) The figures in regard to the consumption of electricity and water in the houses of the Ministers is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course. As regards the expenditure on telephones this Ministry is not concerned with it. A separate question may be addressed to the Ministry of Communications.

(b) With effect from the 1st April, 1963, the Ministers agreed to have a voluntary ceiling of Rs. 200/- per mensem i.e. Rs. 2,400 per year in regard to the consumption of electricity and water in the residential portion of the houses occupied by them. Any excess in this regard is paid for by the Minister himself.

कृषि में बिजली की खपत

*260. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन के पश्चात् नवम्बर, 1965 के पश्चात् कृषकों द्वारा बिजली का अधिक प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय प्रगति हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या बिजली की सप्लाई की शर्तें अब भी इतनी कठोर हैं कि किसान लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते ; और

(ग) क्या इन शर्तों को और अधिक उदार बनाने का विचार है ताकि कृषक बिजली का अधिक उपयोग कर सकें ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) कृषकों द्वारा की जाने वाली बिजली की खपत में सुधार हुआ है अथवा नहीं इसका अन्दाजा इस समय लगाना कठिन है ।

(ख) तथा (ग). नवम्बर, 1965 में हुए राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन ने कृषि सम्बन्धी कामों के लिये बिजली की सप्लाई की शर्तों को आसान और उदार बनाने के निमित्त निम्नलिखित मार्गदर्शिकाएं बताईं :

न्यूनतम खपत गारण्टी अधिकतम 35 रुपये प्रति बी०एच० पी० प्रतिवर्ष निर्धारित की जानी चाहिये, जमानत की अदायगी केवल दो महीनों की औसतन खपत के बराबरी मांगी जानी चाहिये, कृषि सम्बन्धी कामों में बिजली के खपतकर्ताओं से वितरण पथों का खर्च नहीं लिया जाना चाहिये, और 100 फुट से परे की सर्विस लाइनों का खर्च कृषकों से सूद के बिना 60 मासिक किस्तों में वसूल किया जाना चाहिये यदि वे इकमुश्त देने में असमर्थ हों और प्रथम 100 फुट सेवापथ कानूनन मुफ्त होना चाहिये ।

यद्यपि निर्धारित सिद्धान्त यही थे । राज्यों को यह इजाज़त थी कि वे कोई और उदार शर्तों को भी अपना सकते हैं । राज्य सरकारों /राज्य बिजली बोर्डों से यह अनुनय किया जा रहा है कि वे इन सभी सिफारिशों के अनुकूल चलें ताकि कृषि विकास के लिये ये प्रोत्साहन का काम दें ।

जहां तक न्यूनतम गारण्टी का सम्बन्ध है, मैसूर, उड़ीसा पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में न्यूनतम गारण्टी सम्मेलन द्वारा सुझाई गई रकम से भी कम है। गुजरात राज्य ने 60 रुपये से घटा कर 35 रुपये प्रति वी० पी० एच० प्रति वर्ष की न्यूनतम गारण्टी को मान लिया है। अन्य राज्यों के साथ इस विषय पर पत्र व्यवहार चल रहा है।

सम्मेलन द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि कृषि सम्बन्धी कामों के लिये बिजली की खपत पर कोई बिजली कर न लगाया जाय। आन्ध्र प्रदेश, जम्मू व काश्मीर राजस्थान, और उत्तर प्रदेश के राज्यों ने कृषि में हुई बिजली की खपत पर बिजली कर नहीं लगाया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब ने कृषि कामों के लिये बिजली की खपत करने वालों को बिजली कर की अदायगी से अवमुक्त कर दिया है। चूंकि केरल और मैसूर में बिजली कर को मिला कर भी कृषि सम्बन्धी बिजली की दरें कृषकों के लिये निर्धारित 12 पैसे प्रति यूनिट के अधिकतम दर से कम है इस लिये इन राज्यों ने बिजली कर को छोड़ देना आवश्यक नहीं समझा है। कुछ राज्यों का विचार है कि चूंकि लगाया गया बिजली कर बिल्कुल नगण्य है, इसलिये कर में माफी करना आवश्यक नहीं है। अन्य राज्य सरकारें इस विषय पर अभी विचार कर रही हैं।

सम्मेलन में दिये गये अन्य सुझाव अभी राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों के विचाराधीन हैं। उपर्युक्त सुधारों के असर का पता लग जाने के पश्चात् यदि आवश्यक समझा गया, इन शर्तों को और उदार बनाने के प्रश्न पर भविष्य में विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की मांग

*261. **श्री कोल्ला वेंकैया :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दलजीत सिंह : **श्री लखमू भवानी :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री 17 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 286 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की हड़ताल के बाद उनकी सेवा की शर्तों को अधिक उदार बना दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन में पेश की गई मांगों को कहां तक पूरा किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग). केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की सेवा की शर्तों के बारे में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय किये हैं जिन से उनकी उचित मांगों की पूर्ति हो जाती है :—

(1) वर्तमान केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों के अन्तर्गत "ङ" वर्ग में नियुक्त सभी चिकित्सा अधिकारी अथवा नियमित आधार पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के किसी समान पद पर नियुक्त व्यक्ति अपनी सेवा के रिकार्ड के आधार पर जी०डी० ओ० प्रथम श्रेणी के ग्रेड में पदोन्नत कर दिये जायेंगे।

(2) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की विभिन्न नयी श्रेणियों के वेतन मान तथा प्रैक्टिस न करने के भत्ते की दर काफी अच्छी कर दी गई है।

(3) संशोधित वेतन मान और भत्ते पीछे 1 जुलाई 1965 से दिये जायेंगे।

(4) संन्तोषजनक ढंग से 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर अधिक से अधिक द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की पदोन्नति हो सके यह सुनिश्चित करने के लिए प्रथम श्रेणी के जनरल ड्यूटी अधिकारियों की काडर संख्या की प्रति वर्ष पुनरीक्षा की जायेगी ।

(5) सुपर टाइम ग्रेड 2 में (1300—60—1600—100—1800 रुपये का वेतन मान) जिस में प्रथम श्रेणी के जनरल ड्यूटी अधिकारियों और विशेषज्ञ ग्रेड के अधिकारियों की पदोन्नति की जायेगी कुछ अनिर्दिष्ट पोस्ट सम्मिलित कर दी गई हैं।

(6) विभिन्न स्टेशनों की 3 श्रेणियां अर्थात् (क) प्रमुख शहर (ख) छोटे शहर और नगर ; तथा (ग) दूरवर्ती बस्तियां और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गीकृत करने तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्यों का एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार वारी बारी से तबादला करने का विचार है, ताकि इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को अपने सेवा काल में विभिन्न स्टेशनों पर काम करने का अवसर मिल जाये।

इलैक्ट्रानिक संगणक (कम्प्यूटर)

*262. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के किन किन विभिन्न उपक्रमों को इलैक्ट्रोनिक संगणक (कम्प्यूटर) खरीदने अथवा किराये पर लेने की अनुमति दी गई है;

(ख) खरीदने पर अथवा किराये पर लेने पर प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ग) संगणकों (कम्प्यूटरों) का आयात करने की अनुमति देने के संबंध में सरकार अपनी नीति किन किन विभिन्न आधारों तथा प्राथमिकताओं पर निर्धारित करती है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख). सूचना इकटठी की जा रही है और मिलते ही सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) दुनियां के बाकी हिस्से में तेजी से हो रही औद्योगिकी संबन्धी प्रगति के साथ साथ चलने के उद्देश्य से संगणक यन्त्र (कम्प्यूटर) लगाना भारत के लिए विशेष लाभकारी होगा, खास तौर पर आंकड़ों के विश्लेषण और वैज्ञानिक रीति से किये गये कुछ प्रकार के उन कार्यों के सम्बन्ध में जिनमें आकड़ों के विश्लेषण कार्य संचालन और कार्यक्रम तैयार करने बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के वेतन-चिट्ठे तैयार करने के लिए तालिका नियंत्रण (इंवेंटरी कंट्रोल) की बड़े पैमाने पर आवश्यकता होती है। इसी प्रकार संगणक यंत्र परमाणु शक्ति आयोग और अनुसन्धान-कार्य करने वाली संस्थाओं अंकसंकलन सम्बन्धी संगठनों और बड़े-बड़े बैंकों की पैचीदा किस्म की तकनीकी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। आधुनिक संगणक यंत्रों की सहायता से ये काम बड़ी कुशलता से और समय पर किये जा सकते हैं।

बाहर से संगणक यंत्र मंगाने के लिए अनुमति देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इस देश में भी इन यंत्रों के तैयार करने के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाय।

रोगियों पर स्वास्थ्य शुल्क लगाना

*263. श्रीमती विमला देवी :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
डा० श्रीनिवासन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री सुबोध हांसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि सभी सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों पर स्वास्थ्य शुल्क लिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित शुल्क का क्या प्रयोजन है;

(ग) प्रस्तावित शुल्क की दर क्या है; और

(घ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां। कुछ वास्तविक निर्धन रोगियों को छोड़कर शेष सभी रोगियों से सभी प्रकार की अस्पताली सेवाओं के लिये स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति ने अलग अलग श्रेणियों के अनुसार शुल्क लेने की एक प्रणाली चलाने का सुझाव दिया था। स्वास्थ्य शुल्क लगाने की सम्भावना पर विचार करने का भी सुझाव दिया गया था। यह सुझाव राज्य सरकारों को विचारार्थ भेज दिया गया था।

(ख) सार्वजनिक अस्पतालों में उपलब्ध सेवाओं के लिये शुल्क लगाने से राजस्व की प्राप्ति होगी जिसे अधिक अच्छी सुविधायें उपलब्ध करने के काम में लाया जा सकता है।

(ग) बहिरंग रोगियों से 10 पैसे तथा अन्तरंग रोगियों से प्रतिदिन 25 पैसे शुल्क लेने का एक सुझाव दिया गया था किन्तु इसका निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया गया था।

(घ) जहां कुछ राज्य सरकारें बहिरंग रोगियों से शुल्क ले रही हैं वहां कुछ ऐसी भी हैं जो इसके पक्ष में नहीं हैं।

औषधि नियंत्रण अधिनियम संबंधी समिति का प्रतिवेदन

*264. श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि नियंत्रण अधिनियम के प्रवर्तन के बारे में जांच के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है। समिति की सिफारिशें रिपोर्ट के छठे अध्याय (पृष्ठ 112—117) में दी गई हैं।

(ग) इन सिफारिशों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा नियुक्त राज्य मंत्रियों की समिति विचार कर रही है।

ऋणों का जमाखोरी के लिये उपयोग

*265. **श्री अ० ना० विद्यालंकार:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बैंकों से औद्योगिक ऋणों के रूप में बड़ी संख्या में प्राप्त की गई राशियां कच्चा माल खरीदने के बहाने वाणिज्यिक जमाखोरी के लिये प्रयोग में लाई जा रही हैं और यह कच्चा माल उद्योगपतियों के गोदामों से चोर बाजार में बेच दिया जाता है;

(ख) कुछ बेईमान उद्योगपति कच्चे माल अंशों तथा पुर्जों आदि का अधिक स्टाक जमा न कर सकें तथा इन्हें चोर बाजार में न बेच सकें इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) जमाखोरी के लिये ऋणों की राशि का प्रयोग न किया जा सके, इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). रिजर्व बैंक और भारत सरकार का सम्बन्ध केवल स्थूल ऋण-नीतियों से है जो आम तौर पर इस प्रकार निर्धारित की जाती हैं कि जमाखोरी और सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को बढ़ावा न मिले। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ऋण सम्बन्धी नीति की बराबर समीक्षा की जाती है और जब आवश्यक होता है तब सामान्य रूप से और छंटाई के आधार पर ऋण-नियंत्रण किया जाता है। लेकिन जमाखोरी और मुनाफाखोरी के मामलों में राज्य सरकारें सम्बद्ध कानूनों के अनुसार कार्यवाई करती हैं।

सरकारी क्षेत्र में कार्यक्रम

*266. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री लिंग रेड्डी :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अगले चार वर्षों में अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता होगी;

(ख) यदि हां, तो कितने;

(ग) क्या पिछले वर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा मूल अनुमानों को पूरा करने के लिए कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों में काट-छांट करना आवश्यक समझा है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) जी हां।

(ख) यह प्रश्न फिलहाल योजना आयोग के विचाराधीन है। आयोग की सिफारिशों को चौथी योजना के मसौदे की रूपरेखा जिसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की सम्भावना है में शामिल कर दिया जायेगा। यह दस्तावेज सभा-पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

अल्प संख्यकों के प्रतिनिधियों की प्रधान मंत्री से भेंट

*267. **श्री रिशांग किशिंग:** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों के कुछ प्रतिनिधि जून, 1966 में प्रधान मंत्री से मिले तथा उनका ध्यान इस ओर दिलाया कि राज्यों द्वारा उनके हित की निरन्तर अवहेलना की जा रही है;

(ख) क्या सरकार को उनकी इस भावना का जो उनके मन में घर कर गई है पता है कि अल्पसंख्यकों के, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के हितों की राज्यों द्वारा जानबूझकर अवहेलना की जा रही है; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार उनके हितों की रक्षा करने के लिये एक स्थायी अल्पसंख्यक आयोग स्थापित करने के लिये विचार कर रही है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) तथा (ख). जमायत उल्लेमा-ए-हिन्द का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री से 4 जून 1966 को मिला था और उसने उन्हें मुस्लिम समुदाय की समस्यायें बताई थीं। उस प्रतिनिधि मंडल ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही थी।

(ग) जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का सम्बन्ध है, उनके हितों की देखभाल करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन एक विशेष कार्य अधिकारी पहले से नियुक्त किया जा चुका है ।

अत्यावश्यक औषधियों सम्बन्धी समिति

*268. **श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक औषधियों सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन के दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य उप-पत्तियां और सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं ।

(ख), (ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

घटिया किस्म की औषधियां

*269. श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बाजार में घटिया किस्म की औषधियां बिक रही हैं, जो आमतौर पर असली कह कर उपभोक्ताओं को बेची जाती हैं ;

(ख) क्या बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्ली जैसे बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी औषध-शालायें हैं, जो इन औषधियों तथा दवाइयों की निर्माता कही जाती हैं ; और

(ग) क्या औषधि नियंत्रक संगठन इन बेईमान लोगों के समाज सिरोधी क्रिया-कलापों को रोकने में प्रायः असफल रहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) औषध एवं अंगराग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1965–66 में जांचे गये औषध नमूनों से पता चलता है कि लगभग 16.4 प्रतिशत औषधियां अच्छी किस्म की नहीं हैं ।

(ख) प्रमुख शहरों में ऐसी कोई लाइसेंस शुदा एकक भी हैं जो घटिया किस्म की औषधियां तैयार कर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है । हो सकता है कि बिना लाइसेंस प्राप्त एकक इस कार्य को कर रहे हों । जो भी यह कार्य करता है वह इसे छिपे-छिपे ही करता है ।

(ग) जी नहीं । जब कभी कोई घटिया किस्म की औषधि उनके ध्यान में आती है तो औषधि नियंत्रणसंगठन बड़े कड़े उपाय बरतता है । वे घटिया किस्म को औषधियों के बारे में काफी सतर्क हैं । औषधनियंत्रण संगठन को अधिक प्रभावकारी बनाने का विचार है ।

राजघाट में महात्मा गांधी के उपदेशों का अन्तरंकन (इंसक्रिप्शन)

1232. श्री राम हरख यादव : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी के उपदेशों को राजघाट समाधि के प्रवेशद्वार पर अन्तरांकित (इन्सक्राइब) करवाने का है ;

(ख) यदि हां, तो अंकित किये जाने वाले उपदेशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस योजना पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

निर्माण, आवास, तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी हां । समाधि, के प्रवेश द्वार तथा गुफा की दीवारों पर अंतरंकन किया जायेगा ।

(ख) गांधी जी के उपदेशों के उद्धरणों का चयन करने के लिये सर्व श्री श्रीमन्नारायण, दिवाकर, तेन्दुलकर तथा काका साहेब कालेलकर से सुझाव मांगे गये थे । श्री श्रीमन्नारायण तथा श्री दिवाकर ने सुझाव दिये थे । सार्वजनिक भवनों को अलंकृत करने के लिये कलाकारों के चयन की समिति ने इन

सुझावों में से कुछ पाठों का चयन किया है। अब पाठों को राजघाट समाधि समिति के पास विचार के लिये भेजा गया है। पाठ की प्रतिलिपि (हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में) सभापटल पर रख दी है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 6660/66)।

(ग) समाधि में अंतरंकनों (इनसक्रिप्शन्स) को खोदने के कार्य के लिये 15,000 रुपये की की राशि उपलब्ध है।

कृषि भवन, नई दिल्ली में ब्राह्मी सांड

1233. **श्री राम हरख यादव :** क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली के मुख्य द्वार के दोनों ओर लाल पत्थर में ब्राह्मी सांडों की एक जोड़ी लगाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है?

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री महरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). कृषि भवन के मुख्य द्वार पर प्रत्येक ओर एक-एक, समुचित आकार तथा अनुपात एवं सार्वजनिक भवनों के अलंकरण के लिये कलाकारों की चयन समिति द्वारा अनुमोदित डिजाइन के, लाल पत्थर में ब्राह्मी सांड़ लगाये जायेंगे।

(ग) लगभग 12,000 रुपये।

इद्दिकी नियंत्रण बोर्ड

1234. **श्री मे० क० कुमारन्** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री इद्दिकी परियोजना के लिये नियंत्रण बोर्ड के बारे में 12 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5530 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी दूसरी परियोजना के लिये कोई ऐसा बोर्ड है जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में नहीं है ; और

(ख) यदि नहीं, तो केवल इद्दिकी परियोजना के लिये एक केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) जी, हां। जिन बिजली परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने हाथ में नहीं लिया है उनके कार्यभारी नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित हैं :—

(1) कोयना नियंत्रण बोर्ड (महाराष्ट्र में कोयना पन बिजली परियोजना के लिये)

(2) पन-बिजली परियोजना निर्माण बोर्ड (मैसूर में शरावती और अन्य पन-बिजली परियोजनाओं के लिये)।

(3) श्रीसैलम नियन्त्रण बोर्ड (आन्ध्र प्रदेश में श्रीसैलम पन बिजली परियोजना के लिये)।

(4) रिहन्द नियंत्रण बोर्ड (उत्तर प्रदेश में रिहन्द पन-बिजली के लिये)।

(5) दिल्ली ताप नियंत्रण बोर्ड (दिल्ली और पंजाब दोनों के दिल्ली 'सी' पावर स्टेशन के लिये) ।

इनके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सिंचाई व बहुद्देशीय परियोजनाओं के लिये भी नियंत्रण बोर्ड हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय देशी औषध परिषद्

1235. **श्री मे० क० कुमारन् :**
श्री बासप्पा :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दीघे :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय देशी औषध परिषद् (सेन्ट्रल काउन्सिल काफ इंडोजीनस मेडीसन्सन) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

कुष्ठ रोगियों के लिये पुनर्वास केन्द्र

1236. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में पल्लीकाल में कुष्ट रोगियों के पुनर्वास केन्द्र के निवासियों ने केरल सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें कुछ और समय के लिये निर्वाह भत्ता दिया जाय ; और

(ख) उनको निर्वाह भत्ता दिया जाना जारी है अथवा नहीं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां ।

(ख) जी हां, राज्य सरकार ने 1 जुलाई, 1966 से और छः महीने की अवधि के लिये बीस रुपये प्रति मास की घटी दर से इस आर्थिक सहायता को जारी रखने के आदेश दे दिये हैं ।

शोलायार पन-बिजली परियोजना

1237. **श्री वासुदेवन् नायर :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में शोलायार पन-बिजली परियोजना के निर्माण कार्य पर कुल कितने लोग लगे हुये हैं ;

(ख) क्या राज्य में लागू संघ श्रम कानून इन श्रमिकों पर लागू नहीं किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि इन मजदूरों को स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर घोषित की गई छुट्टी की मजूरी तक नहीं मिली है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अहमद): (क) नियमित रूप से कार्य करने वाले 50 कारीगर ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के सम्बन्ध में घोषित छुट्टी के लिये कारीगरों को मजदूरी दी गई थी ।

केरल में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बिजली

1238. **श्री अ० व० राघवन :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में उन ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिकता सूची तैयार कर ली गई है जहां बिजली की व्यवस्था करने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में 1966-67 में बिजली की व्यवस्था की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अहमद): (क) जी हां । 147 ग्राम केन्द्रों की एक सूची तैयार की गई है ।

(ख) 1966–67 के लिये निर्धारित विद्युतन लक्ष्य 110 केन्द्रों का है । इन 110 केन्द्रों को 147 केन्द्रों की सूची में से निम्नलिखित आधार पर चुना जायेगा :

(1) नये कार्यों को हाथ में लेने से पहले गत वर्ष के अपूर्ण कार्यों को पूरा किया जायेगा ।

(2) न्यूनतम गारन्टी करार के कार्यान्वन के अधीन, सम्बद्ध जिला विकास परिषदों द्वारा उन कार्यों के लिये निर्धारित की गई प्राथमिकता के अनुसार नये केन्द्र कार्यान्वित किये जायेंगे ।

केरल में बिक्री कर और कृषि आय-कर की बकाया-राशि

1239. **श्री अ० व० राघवन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1966 को केरल में बिक्री कर और कृषि आय-कर की कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) 1950 से लेकर अब तक प्रति वर्ष प्रत्येक जिले में कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) बिक्री कर के अन्तर्गत 452.63 लाख रूपये और कृषि-आयकर के अन्तर्गत 88.66 लाख रुपये ।

(ख) और (ग) : सभा की मेज पर विवरण रख दिये गये हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० —6661/66] ।

आपातकालीन जोखिम बीमा योजना

1240. **श्री राम हरख यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपातकालीन जोखिम योजना के अन्तर्गत जारी की गई वर्तमान पालिसियों की अवधि बढ़ा दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है तथा उसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या यह वृद्धि बीमा योजना सम्पत्ति पर भी लागू है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, हां । 31-3-66 को जो पालिसियां चालू थी उन की अवधि अप्रैल—जून 1966 की तिमाही के लिये बढ़ा दी गयी थी । और फिर 30-6-66 को जो पालिसियां चालू थीं, या उन तिमाही में जो नई पालिसियां ली गईं थीं उनकी अवधि अगली तिमाही अर्थात् जुलाई—सितम्बर 1966 तक के लिये बढ़ा दी गयी थी ।

(ख) पिछली तिमाही के अन्तिम दिन को जो पालिसियां चालू थीं उनकी अवधि बढ़ाने के लिये बीमे की कोई किस्त नहीं ली गई थी ।

(ग) जैसा कि अधिनियम में बताया गया है आपातकालीन जोखिम बीमा योजना के अन्तर्गत पालिसियों का सम्बन्ध केवल माल और कारखानों से है न कि बीमा किये जाने योग्य रिहायशी इमारतों आदि अन्य सम्पत्ति से ।

गन्दी बस्तियों का हटाना

1241. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गन्दी बस्तियों के हटाने सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में आय की उपरि सीमा को 250 रुपये से बढ़ा कर हाल में 350 रुपये प्रति मास कर दिया है;

(ख) क्या औद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्ध में भी उपरि सीमा बढ़ा दी गई है और राज-सहायता के भिन्न-भिन्न स्तरों को आय "स्लैबों" से सम्बद्ध करने की नई "स्लैब" पद्धति लागू की गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इसे तदर्थ आधार पर किया गया है अथवा किन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ): मकान के आरंभिक आवंटन के लिए अभी तक आय सीमा 350 रुपये प्रति माह है किन्तु दिसम्बर, 1964 में चन्डीगढ़ में हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन

की सिफ़ारिशों पर यह निर्णय किया गया है कि पात्र औद्योगिक कर्मचारी सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत 350 रुपये प्रति माह की आय सीमा पार करने पर भी 500 रुपये प्रति माह की आय सीमा पर पहुंचने तक आवंटित किये गये मकान को अपने पास बनाए रख सकता है । जब उसकी आय इस से अधिक हो जायेगी तो उसे मकान खाली करना पड़ेगा ।

350 रुपये की आय सीमा पार करने पर, किराये में सहायता का अंश धीरे धीरे कम हो जायेगा तथा कर्मचारी को निम्नांकित रूप में सहायता किराये के ऊपर अतिरिक्त प्रभार देना पड़ेगा :—

कर्मचारियों का आय वर्ग		अतिरिक्त प्रभार
(1) 351 रुपये से 425 रुपये प्रति माह तक	मकान बनाने के लिए सहायता पर लिए जाने वाले ब्याज का	40 प्रतिशत
(2) 426 रुपये से 500 रुपये प्रति माह तक		80 प्रतिशत

ए कीकृत आवास योजना

1242. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में विभिन्न निम्न आय वर्गों के लिये एक एकीकृत आवास योजना आरम्भ करने का है ;

(ख) क्या सरकार ने आय के हिसाब से किराया निर्धारित करने की समस्या का अध्ययन कर लिया है ;

(ग) क्या प्रतिशत-तथा-वेतन-आय प्रक्रम (स्लैबस) पद्धति के आधार पर किरायों को आय से सम्बद्ध करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर लिया गया है ;

(घ) क्या किराया निर्धारण के सम्बन्ध में राज्यों को कोई एक समान हिदायतें दी गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) से (ङ): संपूर्ण देश में विभिन्न निम्न आय वर्ग वालों के लिए एकीकृत आवास योजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । ऐसी योजना व्यवहारिक भी नहीं हो सकेगी क्योंकि निम्न आय वर्ग के व्यक्ति विभिन्न श्रेणियों में आते हैं। यथा सरकारी कर्मचारी स्थानीय निकाय के कर्मचारी गैर-सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी रोज़ाना की मज़दूरी कमाने वाले, छोटे व्यापारी आदि । इनसभी श्रेणियों के मामले, में, उन्हें आवंटित किये गये आसवासीय वास के किराये को आर्थिक सहायता देनी होगी, किन्तु सभी मामलों में एक से मान-दण्ड लागू करने में कठिनाई है। इसलिए सरकार ने निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास

को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा है : (क) सरकारी कर्मचारियों के लिए, तथा (ख) अन्य के लिए। सरकारी कर्मचरियों के मामले में, जो किराया वसूल किया जाता है वह उनके द्वारा लिए गए वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता। अन्य के लिए, सरकार तीन योजनायें चला रही है जिनके नाम हैं—औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना, समुदाय के आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए निम्न आय वर्ग आवास योजना, तथा गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए गंदी बस्ती सफ़ाई योजना। इन योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता के लिए 250 रुपये प्रति माह से 350 रुपये प्रति माह तक की श्रेणी की आय सीमा है। इन मकानों के किराये को भी पूंजी सहायता के अनुदान के द्वारा मकान की लागत के 50 प्रतिशत तक सरकार आर्थिक सहायता देती है। इन मकानों के लिए केन्द्रीय सरकार ने मानक किराया निर्धारित किया है जो कि राज्य सरकारें वसूल करती हैं।

दिल्ली में क्वार्टरों का दिया जाना

1243. **श्री बागड़ी** : क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष में दिल्ली में श्रेणी सात, छः और पांच के क्वार्टर जिन आवेदनकर्ताओं को दिये गये हैं अथवा दिये जाने की पेशकश की गई है उनकी प्राथमिकता तिथि क्या है ;

(ख) उन व्यक्तियों के अतिरिक्त, जिनको क्वार्टर दिये जाने स्थगित किये गये अथवा जिनको क्वार्टर दिये जाने से वंचित किये गये समय की अवधि 1 अप्रैल, 1966 से पहले समाप्त नहीं हुई है, क्या प्रथम श्रेणी में उच्च प्राथमिकता वाले सभी आवेदन कर्ताओं को मार्च, 1966 में इन श्रेणियों में क्वार्टर दिये जाने की पेशकश की गई अथवा क्वार्टर दिये गये ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो प्रत्येक श्रेणी में कितने आवेदन कर्ताओं को छोड़ा गया है और उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) टाईप VII . . . 1-5-1961
टाईप VI . . . . जुलाई, 1961
टाईप . . . 30-4-1959

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आदिवासी, हरिजनों तथा भूमिहीनो लोगों का कल्याण

1244. **श्री सिद्दय्या** : क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री 12 जून, 1966 को प्रधान मंत्री की प्रसारण वार्ता के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों, हरिजनों तथा भूमिहीन लोगों के लिये कोई नया कार्यक्रम तैयार किया गया है अथवा करने का विचार है तथा क्या उसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) नया कार्यक्रम वर्तमान कार्यक्रम से किस रूप में भिन्न है ; और

(घ) उपरोक्त श्रेणियों में से प्रत्येक के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में नये कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये क्रमश: कितना धन निर्धारित करने का प्रस्ताव है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर): (क) से (घ) आदिवासियों हरिजनों तथा भूमिहीन लोगों की और अधिक तेजी से आर्थिक तथा समाजिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिये चतुर्थ योजना में व्यवस्थायें की गई हैं। साधारण विकास कार्यक्रमों से इन वर्गों को उचित हिस्सा दिलाये जाने के लिये किये गये उपायों के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रमों के अधीन इस प्रयोजन के लिये विशेष व्यवस्थायें की जा रही हैं तथा ग्रामीण कार्यों का एक बड़ा कार्यक्रम भी शुरू किया जायेगा। इन प्रस्तावों का ब्यौरा चतुर्थ योजना की रूप रेखा में दिया होगा, जिसे योजना आयोग शीघ्र ही पेश करेगा।

Pension to Indian Citizens Settled in Pakistan

1247. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Rameshwaranand:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has agreed to give pension to the citizens who have gone to Pakistan;

(b) if so, whether Pakistan has also agreed to give pension to the citizens who have come over to India from Pakistan;

(c) if so, the extent to help so far given by Pakistan to the Pakistani citizens who have come over to India; and

(d) if the reply to part (b) above be in negative, the reasons for India giving help Pakistan?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) & (b) Yes, Sir, The Governments of India and Pakistan have agreed to resume the disbursement of pensions to their pensioners through their respective Missions on a reciprocal basis from 1st May, 1966. This facility was available from 1961 to pensioners who had migrated from India to Pakistan and *vice versa* during the period 1st July, 1955 to 31st December, 1960 but it had to be suspended following the outbreak of hostilities between the two countries in September, 1965.

(c) The information is not available.

(d) Does not aries.

परिवहन अनुसन्धान केन्द्र

1248. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक परिवहन अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रस्तावित उद्देश्य , कार्य तथा कार्यक्रम क्या हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (अशोक मेहता): (क) परिवहन नीति तथा समन्वय समिति ने परिवहन अनुसन्धान और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की सिफारिश की है ।

(ख) केन्द्र के लिए प्रस्तावित उद्देश्य हैं :—

(1) तुलनात्मक लागतों सहित, परिवहन विकास की दीर्घकालीन मूलभूत समस्याओं का अध्ययन करना ;

(2) विशेष अन्वेषण तथा सर्वेक्षण करने में केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों को सहायता पहुंचाना ;

(3) परिवहन समस्याओं में अनुसंधान कर रहे या अपेक्षित विशेषज्ञ कर्मचारियों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तथा परिवहन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए अनुसथापन पाठ्यक्रम सहित विभिन्न परिवहन सेवायें से सम्बन्धित केन्द्र तथा राज्य के संगठनों, सड़क परिवहन तथा अन्यपरिवहन उद्योगों से व विश्वविद्यालयों से लिए गए व्यक्तियों को काम और प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध करना ।

सरकारी क्षेत्र के नियम

1249. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मनीराम बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वित्त मंत्री** 6 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1520 के उत्तर के सम्बन्ध में वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सचिवों और सरकारी क्षेत्र के निगमों के प्रधान और उपप्रधानों के कृत्यों को मिलाने के अवांछनीयता के बारे में इस बीच अपना निश्चय कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने असैनिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव को इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के प्रधान के पद से त्याग पत्र देने की सलाह दी है ; और

(ग) किन अन्य सचिवों को भी सरकारी उपक्रमों में इसी प्रकार के पदों से त्यागपत्र देने की सलाह दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) स्थिति का पुनर्विलोकन किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

Plantation Industry

1250. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K.N. Tiwary:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:—

(a) whether Government receive sufficient amount by way of taxes from the plantation industry like tea, coffee, sugarcane and jute;

(b) if so, whether Government have under consideration any scheme to give them relief in taxes already in force or not to levy new taxes for a period of five years with a view to increasing the production ; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Statement attached indicates the amounts collected by way of Central Excise duties on tea, coffee, sugar and jute manufactures, during the year 1965-66. Information in regard to direct taxation on the plantation industries referred to is not readily available.

(b) & (c). No such proposal is at present under considration.

Statement

Sr. No.	Name of commodity	Central Excise duties collected during 1965-66
		(Rs. in lakhs)
1.	Tea	1652
2.	Coffee	203
3.	Sugar	7398
4.	Jute Manufactures	715

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत तकनीकी सहायता

1251. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1965–66 में कोलम्बो योजना से सम्बद्ध देशों के तकनीकी सहयोग के अन्तर्गत कोलम्बो योजना के विभिन्न देशों को भारत द्वारा कितनी तकनीकी सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : कोलम्बो आयोजना की तकनीकी सहयोग योजना के अन्तर्गत 1965–66 में भारत द्वारा विभिन्न देशों को निम्नलिखित तकनीकी सहायता दी गयी हैं :

देश	प्रशिक्षण-केन्द्रों की संख्या	विशेषज्ञों की संख्या
अफगानिस्तान	35	8
बर्मा	3	—
कम्बोडिया	—	1
श्री लंका	34	4
कोरिया (दक्षिण)	4	—
लाओस	2	1
मलयेशिया	37	2
नेपाल	106	**
फिलिपीन	23	—
थाइलैंड	31	—
वियतनाम (दक्षिण)	2	—
जोड़	277	16

भारत ने इसके अतिरिक्त कम्बोडिया की सरकार को 25,000 रुपये के मूल्य के चिकित्सा और शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण दिये ।

**भारत द्वारा नेपाल को जो विशेषज्ञ दिये जाते हैं वे उस देश को आर्थिक सहायता देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत भेजे जाते हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

1252. **डा० लक्ष्मीमल सिंघवी** : क्या **निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के काम की देखरेख करने तथा काम की गति को तेज करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके कार्य क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि नलों (वाटर मेन) और भूमिगत नालियों तथा बिजली के न होने के कारण बाधा बनी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) जी हां ।

(ख) समिति के सदस्य निम्नांकित हैं :—

(1) श्री ए० एन चावला, सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

(2) श्री एस० जी० बोस मलिक, उप-अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

(3) श्री ए० वी० वेन्कटसुब्बन, आवास आयुक्त, दिल्ली प्रशासन

(4) श्री ओ० पी० मित्तल, इन्जीनियर सदस्य दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

(5) श्री एस० एस० लाल, वित्त तथा लेखा सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण

(6) श्री के० राम वर्मन, अपर मुख्य इंकजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ।

समिति का कार्य यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की विकास योजनाओं की प्रगति की देखरेख करे ।

(ग) केवल पानी के मेन्स तथा सीवर लांइनों के संबंध में कठिनाई अनुभव की जा रही है।

(घ) दिल्ली नगर निगम से कहा गया है कि वह ट्रन्क सर्विस की सप्लाई में शीघ्रता करें। उन क्षेत्रों के संबंध में जहां कि नगर निगम निकट भविष्य में ऐसी सेवाओं की व्यवस्था करने में असमर्थ है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा अन्तरिम उपाय के रूप में, ट्यूब वेलों, ऊपर की टन्कियों, ट्रन्क सीवरों अथवा सैंपटिक टैन्कों की व्यवस्था की जा रही है ।

कृषि पुनर्वित्त निगम

1253. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक :
श्री बागडी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त मंत्री** कृषि पुनर्वित निगम के बारे में 28 अप्रैल 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4621 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में अंगूर की खेती सम्बन्धी आवेदन पत्रों पर इस बीच कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में अंगूर की खेती करने के सम्बन्ध में कृषि पुनर्वित निगम को तीन योजनाएं प्राप्त हुई हैं। एक योजना के सम्बन्ध में, राज्य सरकार के कृषि-विभाग से तकनीकी व्यवहार्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा की जा रही है : और अन्य दो योजनाओं के सम्बन्ध में, धन की व्यवस्था करने वाले सम्बद्ध बैंकों ने इन योजनाओं की प्रारम्भिक स्थिति में धन की व्यवस्था करने की इच्छा अभी तक प्रकट नहीं की है। इसलिए, निगम अभी तक इन तीनों योजनाओं में से किसी भी योजना के लिए पुनर्वित व्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं दे पाया है।

कनाट सरकस नई दिल्ली

1254. **डा० लक्ष्मीमल सिंघवी :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री कृ० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में नई दिल्ली में कनाट सर्कस के स्वरूप में परिवर्तन करने तथा उसका विस्तार करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उससे क्या लाभ होगा ?

निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी नहीं तथापि कनाट सरकस के सामान्य कारोबार तथा वाणिज्य के खंड (सैक्टर) को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) 1981 में कल्पित सामान्य कारोबार तथा वाणिज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कनाट सरकस के सामान्य कारोबार के क्षेत्र को स्कूल लेन तथा तालस्ताय मार्ग तक बढ़ाने की परिकल्पना दिल्ली के मास्टर प्लान में हैं। इस प्रस्ताव का प्रमुख परिणाम यह होगा कि वर्तमान रिहायशी बंगले, पर्याप्त अतिरिक्त फर्शी क्षेत्रफल के साथ वाणिज्यक भवनों में बदल दिये जायेंगे। इस विस्तार से बढ़ने वाले यातायात, वाणिज्यक स्थापनाओं, सिनेमाओं, होटलों आदि की आवश्यकताओं का ध्यान भी विस्तार कार्यक्रम में रखा गया है।

जवाहर ज्योति

1255 **दी० चं० शर्मा : क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर ज्योति टार्च को कपूर सरसों के तेल तथा बिनौले से प्रज्वलित रखने के बजाय बढ़िया गैस से प्रज्वलित रखने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) और (ख). वर्तमान व्यवस्था संपूर्णत: संतोषजनक नहीं है । आंधी-पानी वाले मौसम में ज्योति को जलाए रखना भी कठिन है। अतएव यह प्रस्ताव है कि ज्योति को गैस के सहारे जलाया जाये।

आत्म-निर्भरता तथा अपने साधनों से विकास करना

1256. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री वाशिंगटन तथा ओटावा की अपनी यात्रा के बारे में 13 मई, 1966 को इस सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आत्म-निर्भरता तथा अपने साधनों से विकास करने के लिये सहायक संरचनात्मक आमूल परिवर्तन के उद्देश्यों को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) और (ख). आत्म-निर्भरता तथा स्वयं-स्फूर्ति विकास का उद्देश्य हमारी योजनाओं की व्यापक नीति में समाविष्ट है। कृषि में तथा औद्योगिक क्षमता में विकास की उच्चतर दर प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न विकास कार्यक्रम हैं उन से हमें निर्यात बढ़ाने और आयात में कमी करने में साहयता मिलेगी इसके अलावा, भारत में मशीन निर्माण की क्षमता बढ़ने से, नई परियोजनाओं के साथ साथ आयात पर अधिक निर्भर न रह कर वर्तमान सुविधाओं के विस्तार के लिए पूंजीगत संयंत्र और मशीनरी उपलब्ध करना सम्भव होगा। योजना के सक्रिय कार्यान्वयन के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं वे वो कदम हैं जिनके द्वारा हमें इन उद्देश्यों की उपलब्धि होगी ।

भिन्न-भिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि

1257. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री वागडी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950–51 के पश्चात् राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है वह भिन्न भिन्न श्रेणियों में किस तरह और किस अनुपात में बंटी है— इस सम्बन्ध में निश्चित निष्कर्षों पर पहुचने के लिये क्या सरकार ने श्रेणियों के बीच आय के वितरण के सम्बन्ध में उस प्रमाण की जांच कर ली है जो महल-नोबिस समिति, एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदनों तथा उस जानकारी से जो आयकर जांच अभिकरण तथा प्रवर्तन निदेशालय के काम-काज और अन्य गैर सरकारी स्रोतों से उपलब्ध हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के परिणाम सभा-पटल पर कब तक रखे दिये जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख) आय के वितरण के प्रश्न पर आय-वितरण और निर्वाह स्तर समिति विचार कर रही है। समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट का केवल पहला भाग दिया है और वह सभा की मेज पर रखी जा चुका है। समिति की रिपोर्ट का दूसरा भाग सरकार को अभी नहीं मिला है।

नगर महंगाई भत्ते तथा मकान किराया भत्ते की दृष्टि से नगरों का दर्जा बढ़ाना

1258. **श्री मधु लिमये :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री बागडी : **श्रीमती राधदुलारी सिन्हा :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगर महंगाई भत्ते तथा मकान किराया भत्ते की दृष्टि से नगरों का दर्जा बढ़ाने वाले प्रस्ताव पर फिर से विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक की जांच के क्या परिणाम निकाले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई औद्योगिक बस्तियों में नगरपालिकायें

1259. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने नई सरकारी उद्योग क्षेत्र की बस्तियों जैसे दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला आदि तथा निजी उद्योग क्षेत्र की बस्तियों (प्रोप्राइटरी) टाउनशिप जैसे टाटा नगर, रावलगांव बाल चन्द्र नगर, डालमिया नगर आदि में नगरपालिकाएं स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) क्या सरकार ने वहां के लोगों को नागरिक अधिकार प्रदान करने के मामले में राज्यों को कोई सिफारिश की है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस बारे में क्या कोई अन्य कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) स्वायत्त शासन भारतीय संविधान में राज्य सूची का विषय है। अतः नगरपालिकाओं को स्थापित करना प्रथमतया सम्बंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। रूरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर जैसे औद्योगिक उप-नगरों तथा भोपाल शहर के निकट हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा

बंगलौर के निकट इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री और हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड आदि जैसे छोटे छोटे उप-नगरों में नगरपालिकाएं स्थापित करने के प्रश्न पर ग्राम नगर सम्बन्ध समिति ने विचार किया था जिसे केन्द्रीय स्वायत्त शासन परिषद् की सिफारिश के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय ने गठित किया था। इस समिति की सिफारिशों की जांच केन्द्र तथा राज्य सरकारें करेंगी और रिपोर्ट की छभी प्रतियों के मिल जाने पर वे उन पर उचित कार्यवाही करेंगी। इस रिपोर्ट को स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् की आगामी बैठक में भी रखा जायेगा ?

पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले क्षेत्रों में महामारी

1260. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि भारत की सीमा से लगने वाले पूर्वी पाकिस्तान के कई जिलों में गंभीर सूखा स्थिति के कारण फैले हैजा, टाइफाइड और चेचक की महामारी को फैलने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : गत संघर्ष के दौरान तथा उसके बाद दोनों देशों के बीच महामारी सम्बन्धी रिपोर्टों के आदान-प्रदान में व्यवधान पड़ जाने के कारण पूर्वी पाकिस्तान में महामारियों के फैलने के सम्बन्ध में ठीक-ठीक स्थिति ज्ञात नहीं है। हरिदासपुर की चौकी में जो भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच एक मात्र मान्य चौकी है पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों में से 1964 व्यक्तियों को हैजा के तथा 1684 व्यक्तियों को चेचक के टीके लगाये गये। बन गांव सब डिवीजन से जहां यह चौकी स्थित है किसी हैजा या चेचक की घटना की सूचना नहीं मिली है। टाइफाइड कोई अधिसूचित रोग नहीं है। निम्नलिखित निरोधी उपाय बरते गये हैं :—

(1) प्रत्येक मान्य सीमा चौकी पर जन स्वास्थ्य कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं और भारत में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्थानान्तरण की सीमा पर्ची दिये जाने से पूर्व हैजा और चेचक के टीके लगा दिये जाते हैं।

(2) जन स्वास्थ्य कर्मचारियों से स्थानान्तरित होने वाले परिवारों से सम्पर्क स्थापित करवाया गया तथा जो छूट गये थे उनको टीके लगवाये गये।

(3) खण्ड विकास अधिकारियों, अंचल प्रधानों और अध्यक्षों आदि को सलाह दी गई है कि वे पूर्वी पाकिस्तान से सामान्य मार्गों से भिन्न अन्य मार्गों से आने वाले किसी भी व्यक्ति की सूचना स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को दे दें ताकि उसको टीके लगाये जा सकें।

ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें

1261. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री हेम राज :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के मामले में जांच तथा मंजूरी की शक्ति का केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को हस्तांतरण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो हस्तांतरण का स्वरूप, सीमा तथा उद्देश्य क्या हैं तथा यह व्यवस्था किस प्रकार चल रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों को 5 लाख रुपये तक की लागत वाली ग्राम जलपूर्ति योजनाओं और 10 लाख रुपये तक की लागत वाली नगर योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार दे दिया गया है बशर्ते ऐसी योजनाएं केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन द्वारा निर्दिष्ट उन सूत्रों के अनुसार तैयार की गई हों जिन्हें अन्तिमरूप राज्य जन स्वास्थ्य इंजीनियरों से परामर्श करके दिया गया था।

यह अधिकार इसलिए दिया गया ताकि जलपूर्ति योजनाएं शीघ्र क्रियान्वित हो सकें।

इस अधिकार हस्तांतरण से काम कैसे चल रहा है इसका मूल्यांकन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता।

राजस्थान नहर परियोजना

1262. **श्री रामेश्वरानन्द :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर परियोजना को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के लिये सरकार कोई विशेष कार्यवाही कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फक्रुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) राजस्थान नहर परियोजना के द्रुत कार्यान्वयन में अनुभूत मुख्य कठिनाई राज्य सरकार के संसाधनों से ही प्राप्त होने वाले धन की अपर्याप्तता थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये केन्द्र द्वारा इस परियोजना को हाथ में लेने का प्रश्न विचाराधीन है इस परियोजना के लिये राज्य सरकार को और धन देने के लिये भी प्रयास किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Ganja Recovered in Bombay

1263. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Rameshwaranand:
Shri Raghu Nath Singh:

Will the Minister of **Finance** be pleased to State:

(a) whether it is a fact that the police recovered ganja worth more than three lakhs of rupees in Bombay during the last week of April, 1966;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection; and

(c) the action taken against them ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Ganja weighing 1175 kilos and valued at more than three lakhs of rupees was revcovered by the Anti-Corruption and Prohibition Intelligence Bureau, Bombay, from a truck near Mulund Barrier (Police Checknaka) Mulund, Bombay on the 25th April, 1966.

(b) Four.

(c) The case is still under investigation.

डाक्टरों की कमी

1264. **श्री लिंग रैड्डी :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री 24 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 748 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में डाक्टरों की कमी कहां तक दूर हो गई है ;

(ख) क्या उच्च वेतन-क्रमों की व्यवस्था करके चिकित्सा सेवाओं को पहले आकर्षक बनाया गया है ; और

(ग) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा पदालि बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) इस स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। 31-3-1966 और 30-6-1966 को चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या तथा उनमें से बिना डाक्टरों के चल रहे केन्द्रों की संख्या का एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये एल० टी० 6662/66]** ।

(ख) अधिकांश राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त डाक्टरों के वेतन मान संशोधित कर दिये हैं। ऐसे चिकित्सा अधिकारियों के वेतनमानों तथा अन्य सुविधाओं की समय समय पर पुनरीक्षा की जा रही है। प्रायमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के वेतन में भत्ते और अन्य सुविधाओं आदि की नवीनतम स्थिति के बारे में एक विवरण भी संलग्न है।

(ग) जी हां, गृह मंत्रालय एक अखिल भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा बनाने के बारे में पहले ही आवश्यक कदम उठा रहा है।

केरल में बिजली की कमी

1265. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 28 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1405 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने और क्या उपाय किये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : केरल में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये निम्नलिखित उपाय अपनाए गये हैं :—

(1) शोलायार में 18 मैगावाट के प्रथम उत्पादन यूनिट और सावरिगिरि में 50-50 मैगावाट के प्रथम तथा द्वितीय यूनिट को क्रमशः 9-5-66, 20-4-66 और 14-6-66 को चालू किया गया है ।

(2) मैसूर में मंगलौर से लेकर केरल में कसापोडे तक 110 के० वी० का एक पारेषण पथ बनाया गया है इससे प्रति दिन 40 लाख से 60 लाख यूनिट तक थोक पावर सीधी मैसूर से लेने में सुविधा होगी।

(3) कोचीन के निकट कलापस्सेरी में प्रतिष्ठापनार्थ 30 मैगावाट की क्षमता के एक ताप बिजली घर के लिये स्वीकृति दी गई है। पूर्ण होने पर ये बिजली घर

केरल में पन बिजली की सप्लाई को विशेष कर ग्रीष्म ऋतु में अपेक्षित तापीय सहायता पहुंचाएगा। चौथी योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित रूप से कुल 441 मैगावाट बिजली और उत्पन्न कर लेने की संभावना है।

शोलायार परियोजना :—18–18 मैगावाट के दूसरे और तीसरे उत्पादन यूनिट के क्रमशः दिसम्बर, 1966 और मार्च, 1967 तक चालू हो जाने की संभावना है।

सावरिगिरि परियोजना:—50 मैगावाट के तीसरे उत्पादन यूनिट के जनवरी-मार्च 1967 में चालू होने की संभावना है। 50–50 मैगावाट के चौथे, पांचवें और छटे यूनिटों के 1968-69 में चालू होने की संभावना है।

कुतिट्टयाडी परियोजना :—25–25 मैगावाट के पहले और दूसरे यूनिटों का 1968-69 में और 25 मैगावाट के तीसरे यूनिट का 1969–70 में चालू होना अनुसूचित है।

इदिक्की परियोजना:—इस परियोजना के प्रथम चरण में 130-130 मैगावाट के तीन यूनिटों का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है। पहले उत्पादन यूनिट का 1970–71 में चालू होना अनुसूचित है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आदेश में संशोधन करने के लिये प्रारूप विधेयक

1266. **श्री यशपाल सिंह**: क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों संबंधी आदेश में संशोधन करने वाले प्रारूप विधेयक को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक के कब तक पुनः स्थापित किये जाने की संभावना है ?

योजना तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : (क) तथा (ख). यह सारा विषय अभी विचाराधीन है।

पालना में ताप बिजलीघर

1267. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर के निकट पालना नामक स्थान पर एक बड़ा ताप बिजली घर स्थापित करने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र ने यह कहा है कि इस समय की क्षमता 50 मैगावाट होनी चाहिये न कि 100 जिसकी मांग राज्य सरकार ने की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग). पालना में एक बड़े ताप बिजली घर बनाने का प्रश्न लिग्नाइट भण्डार की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता और लिग्नाइट को खानों में से मितव्ययी रूप से निकालने की संभावना पर निर्भर करता है। इसलिये भण्डार की

पर्याप्तता को सिद्ध करने के लिये विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य करना पड़ता है। राज्य सरकार को तदनुरूप सलाह दे दी गई है। इसलिये बिजली संयंत्र के आकार के प्रति निर्णय करना इस समय असामयिक है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रेषण योजना

1268. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारकादास मंत्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रेषण योजना के अन्तर्गत गत वर्ष कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी; और

(ख) क्या इस योजना की अवधि और बढ़ाई जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रेषणा योजना 19 अक्तूबर, 1965 से 31 मई, 1966 तक लागू थी। रक्षित बैंक द्वारा 27 जुलाई, 1966 को भेजे गये आंकड़ों के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत 68.75 करोड़ रुपये प्राप्त हुये हैं।

(ख) और (ग). यह योजना 31 मई, 1966 को समाप्त हो गई थी तथा इस की अवधि बढ़ाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी आयात के लिये आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त, 1966 से बढ़ा कर 31 दिसम्बर, 1966 कर दी गई है।

दामोदर नौवहन नहर

1269. डा० म० मो० दास : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर नौचालन नहर को उस प्रयोजन के लिये काम में लाने के लिये सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है, जिसके लिये वह बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या बजरों द्वारा दुर्गापुर से कलकत्ता तक कोयला ले जाना आरम्भ कर दिया गया है ;

(ग) इस नहर के निर्माण पर कुल कितना खर्च आया है ; और

(घ) इस नहर से यदि कोई वार्षिक आय होने की आशा है, तो कितनी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी हां। नहर का व्यापारिक चालन एक प्राइवेट फर्म, मेसर्स हिन्दुस्तान शिपिंग कं० लि०, हावड़ा, को 10 वर्ष की अवधि के लिये दिया गया है। यह फर्म इस नहर को अक्तूबर, 1965 से चला रही है।

(ख) जी, नहीं। परन्तु बजरों द्वारा रेत और दूसरी सामग्री जैसे माल का यातायात आरम्भ हो गया है।

(ग) 520 लाख रुपये।

(घ) फर्म के साथ किए गए करारनामे के अनुसार प्रथम तीन वर्षों के दौरान कोई महसूल नहीं लिया जाएगा और इसलिये इस अवधि में कोई आमदनी नहीं होगी। तत्पश्चात् तीन वर्ष की

अवधि के दौरान एक रुपया पचास पैसे प्रति टन के हिसाब से महसूल लिया जाएगा। तत्पश्चात् महसूल की दर का दो रुपये प्रति टन के अन्दर अन्दर पुनरवलोकन किया जायेगा। पहले तीन वर्षों की अवधि के पश्चात् संभावित वार्षिक आमदनी का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है।

नागपुर के श्री राम दुर्गा प्रसाद के मामले

1270. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के सेठ श्रीराम दुर्गाप्रसाद के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में की जा रही जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इतनी अधिक देरी होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग). प्रवर्तन निदेलाशय द्वारा की जाने वाली जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है। सीमा-शुल्क विभाग, आयकर विभाग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है। सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा एक सौ से भी अधिक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किये जा चुके हैं तथा और भी नोटिस तैयार किये जा रहे हैं। आयकर अधिकारियों ने आयकर और सम्पत्ति-कर के बारे में कर-निर्धारण के एक सौ से अधिक मामले फिर से चालू किये हैं। इस मामले में बहुत बड़ी तादाद में पकड़े गये दस्तावेज़ों की जिनमें लगभग दस साल के इन्दराज हैं, छानबीन सरकार के कई विभागों द्वारा एक ही स्थान पर की जानी है और अलग-अलग दस्तावेजों में किये गये इन्दराजों का पारस्परिक संबंध स्थापित करना पड़ता है।

योजना में सम्मिलित परियोजनाओं का निष्पादन

1271, **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में एक स्थायी "मूल्यांकन एकक" (अप्रैजल सैल) बनाने के बारे में सुझाव दिये गये हैं जिसको योजना में सम्मिलित प्रत्येक परियोजना के निष्पादन के बारे में निगरानी रखने और यह सुनिश्चित करने के लिये अधिकार प्राप्त होंगे कि इनमें लगाई गई पूंजी से अधिकतम लाभ हो; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) योजना आयोग को स्थायी "मूल्यांकन एकक" (अप्रेज़ल सैल) जिसे योजना में सम्मिलित प्रत्येक परियोजना के निष्पादन के बारे में निगरानी रखने का अधिकार हो, के बनाने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। योजना आयोग के प्रबन्ध तथा प्रशासन प्रभाग का मुख्य सम्बन्ध कतिपय विशिष्ट परियोजनाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन और नई प्रणालियों तथा तकनीकों के उपयोग में सहायता प्रदान करने वाले अध्ययनों से है। उसे किन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं पर निगरानी रखने का अधिकार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय डाक्टर

1272. **श्री वारियर :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योग्यता-प्राप्त कितने भारतीय डाक्टर इस समय विदेशों में काम कर रहे हैं ; और

(ख) उनमें से कितने डाक्टर सरकार द्वारा उन्हें वापस बुलाने के लिये की गई कार्यवाही के फलस्वरूप भारत आ गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर): (क) इस समय विदेशों में काम करने वाले भारतीय डाक्टरों की ठीक ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली के राष्ट्रीय रजिस्टर में उपलब्ध सूचना के अनुसार 1957 से विदेशों में रह रहे 1844 भारतीय डाक्टरों के नाम इस रजिस्टर में दर्ज किये गये और उनमें से 985 डाक्टर 1-7-1966 को विदेशों में थे।

(ख) राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज 859 डाक्टर भारत लौट आये थे और उनमें 792 (93 प्रतिशत) को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के पूल के लिये छांट लिया गया था।

विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली में मनश्चिकित्सा रोगी कक्ष (साइकोथेरापी वार्ड)

1273. **श्रीमती विमला देवी :**
श्री दे० द० पुरी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली में 20 बिस्तर वाला एक रोगी कक्ष जिनमें मनश्चिकित्सा की व्यवस्था है पिछले छः महीने से खाली पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जिन रोगियों को मनश्चिकित्सा की जरूरत है उनके इलाज के लिये रोगी कक्ष का उपयोग हो, इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर): (क), (ख) और (ग) यह वार्ड मनोविकार के रोगियोंके लिये रखा गया था किन्तु सामग्री और स्टाफ की कमी के कारण इसे 14 जून, 1966 तक चालू नहीं किया जा सका। अब इस वार्ड का ऐसे रोगियों के लिये उपयोग किया जा रहा है।

वर्गीकरण समिति

1274. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी मुद्रणालय कार्यों सम्बन्धी वर्गीकरण समिति की सभी सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं ;

(ख) क्या कर्मचारी संघों के सुझावों पर विचार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन सुझावों को समविष्ट किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क), से (घ) वर्गीकरण समिति की सभी सिफ़ारिशों की परीक्षा कर ली गयी है तथा अधिकांश के संबंध में निदेश जारी किये जा चुके हैं । शेष कतिपय वर्गों के संबंध में, मान्यताप्राप्त यूनियनों/फ़ैडरेशनों के प्रतिनिधियों से उनके विचार तथा सुझाव मांगे गये हैं । ये अब विचाराधीन हैं । अन्तिम निर्णय शीघ्र लिये जायेंगे ।

कानपुर में औद्योगिक कर्मचारियों के लिये मकान

1275. श्री स० मो० बनर्जी : क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार को कानपुर में औद्योगिक कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के हेतु अतिरिक्त धनराशि दी है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को उनके द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार संपूर्ण रूप से निधियां दी जाती हैं न कि व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिये । उत्तर प्रदेश सरकार को 1965-66 के दौरान 34.69 लाख रुपये दिये गये तथा 1966-67 के दौरान उन्हें 22.00 लाख रुपये नियत किये गये हैं । कानपुर में औद्योगिक आवास के लिये राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत की गयी परियोजना तथा 1966-67 में उनके द्वारा किये गये व्यय के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्रमजीवी महिलाओं की मांगें

1276. श्री दी० चं० शर्मा : क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तम तथा सुरक्षित जीवन के लिये श्रमजीवी महिलाओं के कर्ज़न रोड स्थित होस्टल में एक और चौकीदार तथा एक चपरासी की व्यवस्था के सम्बन्ध में उनकी मांग पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). वर्किंग गर्ल्ज़ होस्टल के लिये केवल एक अतिरिक्त चौकीदार की मांग थी, तथा एक अतिरिक्त चौकीदार को होस्टल में तैनात कर दिया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Raids on Business Houses

1277. Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1036 on the 7th April, 1966 and state:

(a) whether investigation into the cases relating to the raids on some business houses in Bombay on the 16th and 17th March, 1966 has since been completed;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) if not, when it is likely to be completed and whether a copy of the Report will be laid on the Table?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The investigations are likely to be completed within six months. The Government, however, will not find it possible to place on the Table a copy of the investigation report of the Director of Enforcement.

नई दिल्ली के गोल मार्केट के लिए नई योजना

1278. **श्री बागड़ी :** **श्री रामसेवक यादव :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री मधु लिमये :**
श्री शिव पटनायक : **श्री महेश्वर नायक :**

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्केट क्षेत्र के लिये एक व्यापक योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय विद्यमान एक मंजिल वाले क्वार्टरों को गिरा दिया जायेगा और योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिये कई मंजिलों वाले क्वार्टर बनाये जायेंगे ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) से (घ). उस क्षेत्र की एक क्षेत्रीय व्यापक योजना तैयार कर ली गयी है । वर्तमान एक मंजिले निवास स्थानों जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है को गिराने के बाद पुनर्विकास की योजना में बहुमंजिलें निवास स्थानों, सामुदायिक सुविधाओं, व्यापारिक क्षेत्र के प्रसार, हस्पतालों तथा संस्थाओं की व्यवस्था है । क्योंकि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के निवास स्थान की बड़ी कमी है अत: योजना जब कभी निधियां उपलब्ध होंगी सुविधात्मक चरणों में कार्यान्वित की जायेगी । विभिन्न चरणों के व्यय का तभी पता चलेगा जब योजना का ब्यौरा तैयार हो जाएगा तथा प्राक्कलन स्वीकृत हो जायेगा ।

पुनर्विकास के भाग के रूप में, 611 एक मंजिले क्वार्टरों को गिरा कर 38 लाख रुपये की लागत पर 720 दो मंजिले टाईप I क्वार्टर बनाये जा चुके हैं ।

सुन्दरवन विकास के लिए बिजली

1279. **श्री च० क० भट्टाचार्य :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी के ज्वार-भाटा का उपयोग करके सुन्दरवन के विकास के लिये सस्ते दामों पर बिजली उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) तथा (ख). नदी अनुसन्धान केन्द्र, पश्चिम बंगाल द्वारा सुन्दरवन क्षेत्र में सप्तामुखी नदी से बिजली उत्पन्न करने की सम्भाव्यता के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया जा रहा है ।

भारत में सिंचाई और विद्युत् क्षमता का विकास

1280. **श्री वारियर :** **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री इम्बीचीबाबा : **श्री रामेश्वरटांटिया :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 12 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न सं० 1636 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिंचाई और विद्युत् क्षमता का विकास करने के लिये बृहद् योजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं । किन्तु प्राथमिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

(ख) तथा (ग). इस अवस्था में इनका तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उन परियोजनाओं की शिनाख्त करने में काफी समय लगेगा जो कि निर्माण के लिये संभव और आर्थिक विचार से उचित हों ।

अस्पृश्यता

1281. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री अस्पृश्यता के बारे में 25 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2783 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो आयोग द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) समिति से यह पहले ही कह दिया गया है कि वह अपनी रिपोर्ट यथा सम्भव शीघ्र तैयार करे ।

उत्तर प्रदेश में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

1282. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डय :

क्या **वित्त** मंत्री उत्तर प्रदेश में आय-कर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों के बारे में 14 अप्रल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3632 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) अभी जांच-पड़ताल चल रही है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

राष्ट्रीय विकास में सार्वजनिक सहयोग

1283. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री बलजीत सिंह :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विकास तथा योजना-बद्ध प्रगति में सार्वजनिक सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) किन-किन संगठनों में सहयोग मांगा गया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) मुख्य कदम ये हैं (1) ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में लोक कार्य क्षेत्रों का गठन, (2) शिक्षित समाज में योजना के प्रति रुचि बढ़ाने के लिये विश्वविद्यालयों और कालेजों में योजना गोष्टियों का गठन, और (3) सार्वजनिक सहयोग के क्षेत्र में अनुसन्धान और मार्गदर्शी योजनाओं का गठन ।

(ख) सार्वजनिक सहयोग के कार्यों में भाग लेने के लिये ऐसे सभी स्वैच्छित संगठनों का स्वागत किया जाता है जो राजनीतिक नहीं हैं ।

डाक्टरों का तबादला

1284. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आज़ाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों का तबादला सम्बन्धित रोगियों के हितों के विरुद्ध जल्दी जल्दी क्यों कर दिया जाता है ; और

(ख) क्या इस प्रथा को समाप्त करने और लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने के मामले में स्थायित्व की भावना पैदा करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना तथा सरकारी अस्पतालों के डाक्टर सभी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्य होते हैं

और उनका तबादला सार्वजनिक हित में इस सेवा के किसी भी संस्थान में हो सकता है। कर्मचारियों का तबादला किसी भी संगठित सेवा की एक सामान्य बात है। ऐसा तब किया जाता है जब कोई कर्मचारी छुट्टी चला जाय, कोई स्थान रिक्त हो जाय अथवा किसी की निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में पदोन्नति हो जाय। डाक्टरों का तबादला संघ क्षेत्रों और अन्य भाग ग्राही एककों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये भी किया जाता है। इससे रोगियों के हितों को कोई ठेस नहीं पहुंचती।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का दर्जा

1285. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के दर्जे के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). यह विषय अभी विचाराधीन है।

Water-Meters in Kidwai Nagar, New Delhi

1286. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Sonavane:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3489 on the 7th April, 1966 and state:

(a) whether the installation of water-meter in each Government quarter in Kidwai Nagar (East) has been completed;

(b) whether the final bills sent by the New Delhi Municipal Committee have been received and the rates reviewed; and

(c) if so, the result of review?

Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) The work is likely to be taken up soon.

(b) and (c) No. On receipt of the bills from the New Delhi Municipal Committee the ates will be reviewed.

पंजीकृत फर्मों द्वारा दिया गया आयकर

1287. **श्री काशी राम गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1965 के अन्त में 50,000 रुपये और उस से अधिक परन्तु एक लाख रूपये से कम आय पर आयकर देने वाली कितनी पंजीकृत फर्में थीं ;

(ख) वित्तीय वर्ष 1965 के अन्त में एक लाख रुपये और उस से अधिक आय पर आयकर देने वाली कितनी पंजीकृत फर्में थीं ; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1964 में उपरोक्त भग (क) और (ख) में उल्लिखित श्रेणियों की फर्मों पर पृथक्-पृथक कितना आयकर निर्धार्य था ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेंगी ।

पंजीकृत फर्मों द्वारा आयकर सम्बन्धी विवरण भेजना

1288. **श्री काशी राम गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपने आयकर सम्बन्धी विवरण भेजते समय पंजीकृत फर्मों को पंजीयन के लिये प्रति वर्ष फिर से आवेदनपत्र देना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में इस प्रणाली को समाप्त करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, नहीं । आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, रजिस्टर्ड फर्म को हर साल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दरख्वास्त नहीं देनी पड़ती है । जिस साल में फर्म अपने को रजिस्टर्ड कराना चाहती हो उसे पहले कर निर्धारण वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त उस फर्म को निर्धारित फार्म में पेश करनी होती है। यदि फर्म की रचना या भागीदारों के हिस्सों में कोई परिवर्तन नहीं हो तो एक बार मंजूर किया गया रजिस्ट्रेशन बाद के हर कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में भी लागू रहता है, किन्तु बाद वाले प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में फर्म को अपनी आय-विवरणी के साथ साथ निर्धारित फार्म में उक्त आशय की घोषणा करनी पड़ती है ।

(ख) और (ग) सवाल ही नहीं उठते ।

कारखाना जोखिम तथा वस्तु जोखिम बीमा अधिनियम

1289. **श्री काशी राम गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कारखाना जोखिम बीमा तथा वस्तु जोखिम बीमा अधिनियम के अन्तर्गत अब भी प्रीमियम लेती है;

(ख) क्या कुछ मामलों में प्रीमियम कम कर दिया जाता है अथवा बिल्कुल नहीं लिया जाता है तथा पालिसी चलती रहती है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख) जी, हां । 31 मार्च 1966 और 30 जून 1966 को जो चालू पालिसियां थीं उन पर 1966 के साल की क्रमशः दूसरी और तीसरी तिमाहियों की बीमा-किस्तें बिलकुल माफ कर दी गई थीं । सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाओं के अनुसार, अन्य मामलों में बीमा-किस्तें कुछ नाम-मात्र दरों पर देनी होती हैं जो 25 रुपये से अधिक नहीं होतीं । इसके अलावा जो व्यक्ति किस्त देना चूक जाते हैं उनसे बकाया किस्तों की रकमें भी वसूल की जाती हैं ।

कारखानों का बीमा

1290. **श्री काशी राम गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत से कारखानों को, जो कारखाना तथा माल जोखिम अधिनियम के अन्तर्गत नियमित रूप से प्रीमियम चुका रहे हैं कोई भी पालिसी नहीं दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त 87,000 आवेदन पत्रों में से 1965 की एक अन्तिम तिमाही में ही 60,000 पालिसियां जारी कर दी गई हैं। अनेक मामलों में, पालिसी जारी करने में देरी आवेदनपत्र अधूरे होने से तथा अधिनियमों द्वारा निर्धारित फार्म में न होने से हुई है।

अनाथालय और विधवा आश्रम

1291. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण बहुत से अनाथ-आलय और विधवा आश्रमों को बहुत कठिनाई होती है;

(ख) क्या इन संस्थाओं को सहायता देने के लिये पी०एल० 480 की निधि में से कुछ धन देने के लिये सरकार ने अमरीकी सरकार से प्रार्थना की थी; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

योजना तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) सरकार को इस बात का पता है कि सीमित वित्तीय साधनों के कारण बहुत सी समाज-कल्याण संस्थाओं को जिनमें अनाथालय और विधवा आश्रम भी शामिल है, कठिनाइयां होती हैं।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारयों के लिये मकानों की व्यवस्था

1292. **श्री गुलशन** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1966 से 1 अगस्त, 1966 तक केन्द्रीय सरकार के श्रेणी एक, दो, तीन और चार के कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये हैं; और

(ख) कितने व्यक्ति अभी प्रतीक्षा सूची में हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जनरल पूल से रिहायशी वास का आवंटन जिस श्रेणी के वे पात्र कर्मचारी हैं उसके अनुसार नहीं किया जाता अपितु जिस टाईप के वास के वे अधिकारी हैं उसके अनुसार किया जाता है। किसी विशेष टाईप का अधिकारी होने का निर्धारण उनके द्वारा ली गयी परिलब्धियों के आधार पर किया जाता है। 1 जनवरी, 1966 से 20 जुलाई, 1966 तक वास आवंटित किये गये कर्मचारियों की संख्या तथा विभिन्न टाईपों में वास आवंटन के लिए प्रतीक्षा करने वालों की संख्या

निम्नांकित है:—

जिस वास के लिए पात्र हैं उसका टाईप	वेतन श्रेणी	आवंटित अधिकारियों की संख्या	आवंटन के लिए अभी तक प्रतीक्षा करने वाले
I	110 रुपये से कम . .	1,722	8,366
II	110 रुपये—249 रुपये . .	1,005	29,477
III	250 रुपये—399 रुपये . .	1,127	10,153
IV	400 रुपये—699 रुपये . . .	1,736	5,124
V	700 रुपये—1299 रुपये .	770	2,369
VI	1300 रुपये—2249 रुपये . .	502	656
VII	2250 रुपये और उससे अधिक .	34	108
VIII	सचिव तथा अपर सचिव के स्तर के अधिकारी .	13	49
		6,909	56,402

मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

1293. **श्री प्र० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचीबावा :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कौन-कौन सी मुख्य सिंचाई परियोजना हैं जिन को इस वर्ष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी;

(ख) उन में से कितनी परियोजनायें केरल में हैं; और

(ग) इस के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) चालू वर्ष के लिये निम्नलिखित वृहद सिंचाई परियोजनाओं के लिये निश्चित केन्द्रीय सहायता का प्रबन्ध कर दिया गया है:—

(1) नागार्जुनसागर (आन्ध्र प्रदेश)
(2) ब्यास (पंजाब और राजस्थान)
(3) राजस्थान नहर (राजस्थान)
(4) चम्बल (राजस्थान और मध्य प्रदेश)

(5) कोसी (बिहार)

(6) गंडक (बिहार और उत्तर प्रदेश)

केरल में सिंचाई परियोजनाओं के लिये कोई निश्चित केन्द्रीय ऋण सहायता नहीं दी जाती है। परन्तु इन परियोजनाओं के लिये विविध विकास ऋण के अधीन राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

अलप्पी, केरल में मलेरिया उन्मलन परियोजना

1294. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्था, नई दिल्ली के जरिये अलप्पी, केरल में मलेरिया उन्मूलन परियोजना आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब आरम्भ की गई है;

(ग) क्या दवा छिड़कने का काम आरम्भ कर दिया गया है ;

(घ) इस परियोजना में कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं;

(ङ) अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(च) इस वर्ष कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली के जरिये एलेप्पी और केरल में कोई मलेरिया निरोधी परियोजना आरम्भ नहीं की गई है किन्तु 10 जनवरी, 1966 को एक फाइलेरिया उन्मूलन परियोजना शुरू की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) नियमित 33

सामयिक 49

(ङ) 30 जून, 1966 तक 87,454,00 रुपये

(च) 1,25,000,00 रुपये

राज्यों में हैजे का प्रकोप

1295. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों विशेष कर आसाम में इस वर्ष हैजा महामारी के रूप में फैला था और इस के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हुई ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष प्रत्येक राज्य में हैजे से कितने व्यक्ति मरे ;

(ग) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने व्यक्तियों को हैजा हुआ है ; और

(घ) इस रोग पर काबू पाने तथा इसे समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयार) : (क) चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों में हैजा की घटनाएं होने की सूचना मिली है । उपलब्ध सूचना के अनुसार इस वर्ष आसाम से अभी तक 11 घटनाओं की सूचना मिली है जिन में से 3 घातक सिद्ध हुईं ।

(ख) और (ग) जनवरी, से जून, 1966 तक की अवधि में विभिन्न राज्यों में हुई हैज़ा की घटनाओं तथा उन के फलस्वरूप मृत्युओं की संख्या इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जनवरी-जून 1966 की अवधि में हैज़ा की घटनाओं और उन से होने वाली मौतों की संख्या	
		घटनायें	मृत्यु
1.	आन्ध्र प्रदेश	265	88
2.	असम	11	3
3.	बिहार	339	76
4.	गुजरात	421	13
5.	जम्मू तथा काश्मीर	*	*
6.	केरल	88	22 (19-7-66 तक)
7.	मध्य प्रदेश	19	4
8.	मद्रास	1175	237
9.	महाराष्ट्र	915	105
10.	मैसूर	328	73
11.	उड़ीसा	..	
12.	पंजाब	..	
13.	राजस्थान	..	..
14.	उत्तर प्रदेश	63	14
15.	पश्चिम बंगाल	925	142
16.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	..	..
17.	दिल्ली	65	2 (25-7-66 तक)
18.	हिमाचल प्रदेश	..	..
19.	मणिपुर	..	..
20.	पाण्डेचेरी	63	9
21.	त्रिपुरा		..
22.	लक्षदिवी मिनिकाय और अमनदिवी द्वीपसमूह	..	..
23.	गोवा	..	..

* उपलब्ध नहीं ।

..कोई नहीं ।

(घ) देश में हैज़ा के फैलाव को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये :—

(1) इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिये राज्य सरकारों को सभी संभव कदम उठाने के लिये सतर्क कर दिया गया है जैसे हैजा के टीके लगाना, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार, धूल और मक्खियां लगी खाद्य सामग्री की बिक्री पर प्रतिबन्ध आदि ।

(2) ग्राम एंव नगर जलपूर्ति कार्यक्रमों तथा नगर क्षेत्रों में मल निष्कासन कार्यक्रमों को बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है । राज्य सरकारों से कह दिया गया है कि वे उन जिलों की ओर विशेष ध्यान दे जहां हैजा एक स्थानिकमारी के रूप में फैलता है ।

(3) कलकत्ता में मई-जून 1965 और मार्च, अप्रैल 1966 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैजे पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किये । 18 से 30 जुलाई 1966 तक हैदराबाद में एक तीसरा पाठ्यक्रम चलाया गया ।

(4) हैजा वैक्सीन के उत्पादन में "एल टार" स्ट्रैन का प्रयोग तथा और अधिक प्रभावकारी हैजा वैक्सीन तैयार करने के लिए अनुसंधान कार्य शुरू किया गया ।

(5) महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में एक-एक संगठन के हिसाब से तीन प्रादेशिक हैजा नियंत्रण सगठनों और स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय, नई दिल्ली में एक केन्द्रीय सगठन की स्थापना करने की मजूरी दे दी गई है ।

(6) एक रोग, व्यपिकीय सेल, एक अथवा दो सचल क्षेत्र एककों की स्थापना तथा 9 स्थानिकमारी वाले राज्यों और असम, केरल एवं मध्य प्रदेश के तीन स्थानिकमारी रहित राज्यों में जहां 1965 में हैजा महामारी के रूप में फैला था विशेष हैजा-कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है ।

(7) राज्य सरकारें निम्नलिखित उपाय करती रहीं हैं :—

(क) हैजे की घटनाओं की तुरन्त सूचना ।

(ख) हैजे के रोगियों का पृथक्करण करना ।

(ग) रोग संक्रामन्त वस्तुओं और सशाप्य' स्पद जल का रोगाणुनाशन करना ।

(घ) हैजा रोधी टीके लगाना ।

(ङ) ग्राम और नगर क्षेत्रों विशेषतया भोजनालयों में पर्यावरणिक स्वास्थ्य सबंधी उपाय बरतना ।

(च) स्वास्थ्बय शिक्षा उपाय ।

Research on Rheumatic Heart Disease:

1296. Shri Onkal Lal Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the Government of U.S.A. have given some money in the form of grant to India for conducting research on rheumatic heart disease;

(*b*) if so, the amount thereof ; and

(*c*) the places where it has been utilised ?

Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (*a*) Yes.

(*b*) Rs. 4,92,845/- for a period of five years.

(*c*) The grant has been sanctioned recently for carrying out research at the Lady Hardinge Medical College and Hospital on the effect of drug prophylaxis on the incidence of rheumatic fever in Delhi.

Allotment of Land to Displaced Farmers in Rajasthan Canal Area

1297. Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government have decided to allot land to the farmers who have been displaced in the Rajasthan canal area ;

(*b*) if so, the area of land proposed to be given; and

(*c*) the basis of allotment ?

Minister of Irrigation and Power (Shri F. A. Ahmed) : (*a*) Yes.

(*b* and (*c*) It is proposed to allot land to the displaced farmers in the Rajasthan Canal area according to the size of land owned by them and that acquired. Detailed rules of allotment are under consideration.

List of Scheduled Castes in U.P.

1298. Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state :

(*a*) whether the Uttar Pradesh Government have urged upon the Central Government to include some castes like Tharu, Bhksa, Razi and Jaunsari living in certain cities of U.P. in the list of Scheduled Castes; and

(*b*) if so, the reaction of Government thereto ?

Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) : (*a*) and (*b*) The Uttar Pradesh Government have made some proposals for the revision of lists of Scheduled Castes and notificatoins of Scheduled Tribes. These are under consideration along with the proposals of other States for revision of the lists.

Consumers Co-operatives Store in Rajasthan

1299. Shri Onkar Lal Bera :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the Government of Rajasthan have asked for extra funds from the Central Government for opening Consumers Co-operative Stores for their employees; and

(*b*) if so, the extra amount allotted therefor ?

Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) No extra amount has been allotted.

Public Sector Industries

1300. Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government propose to set up a commission to go into the working of the industries in the public sector; and

(*b*) when it is likely to be appointed and the functions thereof ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (*a*) No, Sir.
(*b*) Does not arise.

कागज बनाने के कारखाने

1301: **श्री अ० व० राघवन** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राष्ट्रसंघ के एक लुग्दी और कागज विशेषज्ञ को भारत में कागज बनाने का उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से देश में उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाने का काम सुपुर्द किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका प्रतिवेदन मिल गया है ; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) संयुक्त राष्ट्र की सहायता से तथा व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् के सहयोग से योजना आयोग ने "पूर्व अन्वेषण गहराई सर्वेक्षण और अध्ययन" की एक स्कीम संचालित की है । हाथ में लिए गए ये गहराई सर्वेक्षण मैसूर तथा मध्य प्रदेश राज्यों के खनिज तथा वन साधनों तक ही सीमित हैं। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की एक लुग्दी तथा कागज विशेषज्ञ हाल में ही चार महीने तक भारत में रहा है ।

(ख) विशेषज्ञ का प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में बिजली का वितरण

1302. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर निगम तथा प्रमुख नगरपालिकाओं को अपने अपने क्षेत्रों में बिजली का वितरण करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव केरल सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है और इस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

केरल में एडामलायार परियोजना

1303. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री वारियर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 12 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5529 के उत्तर के सम्बन्धमें यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पेरियार नदी पर एडामलायर परियोजना के मामले में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) पेरियार नदी में ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त पानी बहता रहे ताकि उसका खारापन कम हो जाये इस उद्देश्य से के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने अभी हाल ही में परियोजना रिपोर्ट प्राप्त की है और इस पर विचार किया जा रहा है ।

संचयी सावधिक जमा तथा वेतन-पंजी बचत योजनाएं

1304. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेतन-पुंजी बचत योजना के अन्तर्गत संचयी सावधिक जमा खातों में जमा करने के लिये कटौतियां की लेखा-प्रक्रिया को सरल बना दिया है ;

(ख) इस योजना को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये कौन से नये परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ग) प्रक्रिया में इन परिवर्तनों से डाकघर बचत बैंक खातों के वर्तमान प्रणाली पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरलीकृत प्रणाली वेतन से सीधी बचत करने वाले दलों पर लागू होती है जिन में से प्रत्येक में बढ़ने वाली मीयादी जमा खातों में रुपया जमा कराने वाले कम से कम 25 सदस्य होते हैं । इस प्रणाली का उद्देश्य वेतन से सीधी बचत करने वाले दलों के सदस्यों के हितों को हानि पहुंचाये बिना नियोजकों और डाकघरों का काम कम करना है । इस प्रणाली की मुख्य बात ये हैं :—

(1) 'काटी गयी रकम की अनुसूची" जिस में वेतन से सीधी बचत करने वाले दल के प्रत्येक डाक सदस्य के सम्बन्ध में काटी गयी रकम दिखायी जाती थी, हर महीने नियोजक द्वारा डाकघरों को भेजी जाती थी । नयी प्रणाली के अनुसार दल की स्थापना के समय डाकघरों को मूल

अनुसूची भेजी जयेगी और इसके बाद हर महीने केवल "परिवर्तन विवरण" ही भेजे जायेंगे। कर्मचारियों की सूचना के लिये नियोजक "अनुसूची" और "परिवर्तन विवरण" को जिनकी प्राप्ति डाकघर द्वारा विधिवत् रूप से स्वीकार की गयी हो नोटिस बोर्ड पर लगाने की व्यवस्था करेगा।

(2) प्रविष्टियां करने के लिए सदस्यों की पास बुकें अब तक हर महीने डाकघर भेजी जाती थीं लेकिन इस प्रणाली के अनुसार ये पास बुक अब प्रत्येक छमाही के अन्त में भेजी जायेंगी खाते में रुपया न जमा कराने की स्थिति में डाकघर जमाकर्ता को साधारण नोटिस और खाता बन्द किये जाने की स्थिति में रजिस्टर्ड नोटिस भेजेगा।

(3) "मूल अनुसूची" और "परिवर्तन विवरणों" के आधार पर वेतन से सीधी बचत करने वाले दलों के सदस्यों के खाते की प्रविष्टियां बड़े डाकघर की लेखा पुस्तकों में हर महीने की जायंगी।

Sudarshan Park, Delhi

1305. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Works Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that nearly 50 houses in Sudarshan Park, Delhi, which had been constructed many years before, were demolished by the Municipal Corporation of Delhi on or about the 16th June, 1966;

(b) whether it is also a fact that as a result thereof property worth two lakh rupees has been destroyed and many people have been rendered homeless ; and

(c) if so, the reasons for demolishing the houses in this manner ?

Minister of Works, Housing and Urban Develpoment (Shri Mehr Chand Khanna):

(a) 40 mud-mortar structues were demolished.

(b) No substantial loss except the labour involved in raising these sub-standard structures was caused. Only 40 families have been dislocated.

(c) The structures were put up unauthorisedly. The land is earmarked for roads and parks.

Smuggling of Foreign Exchange

1306. **Shri Bede :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a gang of four smugglers which indulged in smuggling of foreign exchange has been apprehended by the Punjab Police in the third week of June, 1966;

(b) whether it is also a fact that currency notes worth 40 thousand rupees, some valuable articles and some documents containing code words in Gujarati language, were also recovered from them ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) and (b). On the 4th June, 1966, four persons travelling in a car were apprehended by the police authorities at Phagwara in Punjab. These persons as well as the car were searched and Rs. 40,623/- in Indian currency, three watches, one gold ring, one transistor and some documents with code words in Gujarati were recovered. The car was also seized.

(c) The four persons were arrested and subsequently released on bail. The case is under investigation.

मणिपुर में बिजली का संभरण

1307. **श्री रिशांग किशिंग : क्या सचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में मणिपुर में बिजली की सप्लाई में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) इस समय बिजली की सप्लाई के स्रोत क्या हैं;

(ग) मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में कितने नगरों तथा गांवों में अब तक बिजली लगाई गई है; और

(घ) इस संघ राज्य-क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता में से कितनी बिजली तैयार की गई है और कितनी बिजली का उपयोग किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) द्वितीय तथा तृतीय योजनावधियों में मणिपुर की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता में क्रमश: 650 किलोवाट और 1052 किलोवाट की वृद्धि हुई थी ।

(ख) बिजली सप्लाई के वर्तमान संसाधन ये हैं—इम्फाल में केन्द्रीय डीज़ल स्टेशन और मोएरंग, थौबल तथा ऊखरूल में तीन छोटे डीज़ल केन्द्र ।

(ग) केवल एक, नामश उखरूल ।

(घ) इम्फाल नदी की शाखा लीमखांग सरिता पर उपलब्ध बिजली शक्यता बिजली उत्पादन के लिये प्रयोग में लाई जा रही है । चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक नई लीमखां पर बिजली के चरण 1 के अधीन 600 किलोवाट बिजली उत्पन्न होने की सम्भावना है ।

सहकारी चीनी की मिलों को ऋण की सुविधाएं

1308. **श्री रामचन्द उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री 21 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1274 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी चीनी मिलों को धन देने के लिये राज्य सहकारी बैंकों के कुछ अतिरिक्त ऋण सीमा मंजूर करने के प्रश्न पर अब विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) रिजर्व बैंक ने यह आवश्यक नहीं समझा कि सहकारी चीनी मिलों की वित्त-व्यवस्था के लिए सहकारी बैंकों को ऋण देने की कोई विशेष सीमा निर्धारित की जाय क्योंकि उन्हें राज्य बैंक और कुछ मामलों में, अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पर्याप्त ऋण दिया जाता है ।

स्टाक एक्सचेंजों सम्बन्धी अमरीकी विशेषज्ञ

1309. **श्री राम चन्द उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री 7 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या **3377** के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिये भारतीय विशेषज्ञों की एक छोटी समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर अब विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : जी हां। सरकार ने एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है। उस के गठन आदि के बारे में विस्तृत बातों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

उड़ीसा में अकाल-ग्रस्त क्षेत्र

1310. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य को उस राज्य के अनेक भागों में व्याप्त अकाल तथा सूखे की स्थिति को दूर करने के लिये अब तक कुल कितना धन दिया है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से इस प्रयोजन के लिये और अधिक सहायता देने की प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 6.45 करोड़ रुपया।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किराया-खरीद आधार पर मकानों की बिक्री

1311. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने द्वारा बनाये गये मकानों को किराया-खरीद आधार पर बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं, किन्तु फ्लैटों को बनाने तथा किराया-खरीद के आधार पर आवंटन करने के लिए एक प्रस्ताव उनके विचाराधीन है।

(ख) और (ग). सरकार को अभी तक प्रस्ताव नहीं मिला है।

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री की कर देयता

1312. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री नाथ पाई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बिजयानन्द पटनायक की कर-देयता के बारे में जांच-पड़ताल पूरी हो गई है;

(ख) क्या यह सच है कि जांच-पड़ताल करने वाले अधिकारियों ने एक न्यास (ट्रस्ट) सम्पत्ति के मामले में ही लगभग 80 लाख रुपये के आयकर का अपवंचन पाया है तथा सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) आयकर के अपवंचन के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

(ख) ट्रस्ट के बारे में भी जांच-पड़ताल की जा रही है, किन्तु किसी प्रकार की कर की चोरी अथवा कर की चोरी की मात्रा के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।

(ग) अभी तक कर की कोई चोरी निश्चित नहीं की जा सकी है, किन्तु अब तक की गयी जांच-पड़ताल के परिणाम के आधार पर कर-निर्धारण के कुछ मामलों को दोबारा उठाया गया है। पेचीदा और विस्तृत प्रकार की जांच-पड़ताल होने के कारण ही विलम्ब हुआ है।

New One Rupee Notes

1313. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the colour of new one-rupee currency notes fades away in case they are washed by mistake;

(b) if so, whether any complaints have been brought to Government's notice; and

(c) the action being taken by Government to print currency notes of better quality ?

The Minister of Finanec (Shri Sachindra Chaudhry) : (a) No Sir, However all currency notes get bleached to a good extent if boiled in detergents.

(b) Some one-rupee notes alleged to have been bleached due to washing were received by the Offices of the Reserve Bank of India. These notes, however, showed no signs of crumpling or folds which would indicate that they were washed along with garments; it appeared that the bleaching was due to some other reasons.

(c) It is not Government's intention to make any change in the present quality of printing.

गर्भ निरोध के लिये आयुर्वेदिक औषधि

1314. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गाजियाबाद के एक डाक्टर द्वारा गर्भ निरोध के लिये खोज निकाली गई एक आयुर्वेदिक औषधि सरकार के पास परीक्षणार्थ भेजी गई है ;

(ख) क्या इसका कोई परीक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

सरकारी अस्पतालों से दवाइयों का बेचा जाना

1315. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इस आशय के समाचार मिले हैं कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों, औषधालयों तथा औषधि भण्डारों से औषधियां तथा दवाइयां प्राय: चोर बाजार में अथवा अन्यत्र बेची जाती हैं और यह भ्रष्टाचार चिन्ताजनक रूप में फैला हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जघन्य प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर): (क) गत एक वर्ष में सी० जी० एच० एस० चिन्हित दवाइयों के बाजार में बिकने की केवल एक ही घटना की रिपोर्ट मिली।

(ख) दवाइयों की किसी प्रकार की चोरी न होने देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) विभिन्न औषधालयों में कीमती दवाइयां केवल चिकित्सा अधिकारियों की पर्ची पर ही दी जाती हैं जो छपी हुई होती हैं और उन पर चिकित्सा अधिकारी के बाकायदा हस्ताक्षर होते हैं ।

(2) विभिन्न औषधालयों में स्टोरों की एकाएक तथा व्यापक जांच के लिए स्टोरों की जांच करने वाले नियुक्त किए गये हैं ।

(3) अवैधानिक व्यापार को कम करने तथा जांच पड़ताल में सुविधा के लिए सभी डिब्बों शीशियों तथा अधिकांश गोलियों पर सी० जी० एच० एस० का एक खास निशान लगा दिया जाता है ।

आसाम को केन्द्रीय सहायता

1316. **श्रीमती रेणु बड़कटकी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने राज्य में हाल की बाढ़ से बांधों तथा अन्य सुरक्षात्मक कार्यों को हुई क्षति की मरम्मत करने के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) दो करोड़ रुपये ।

(ग) एक करोड़ रुपये का ऋण देना मंजूर कर लिया गया है तथा अधिक सहायता का प्रश्न विचाराधीन है ।

'सामुदायक रूप से रहने' ('लिविंग इन कम्यूनिट') सम्बन्धी योजना

1317. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने "सामुदायिक रूप से रहना" (लिविंग इन कम्यूनिटी) नामक योजना जिसके अन्तर्गत एक इमारत में फ्लैटों के मालिक अनेक लोग होंगे क्रियान्वित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) ऐसे फ्लैटों को बनाने में कितना समय लगने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) 1694 ।

(ग) दो वर्ष ।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा रिहायशी प्लाटों की बिक्री

1318. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार 1967 के अन्त तक निम्न आय तथा मध्य आय वर्गों को लाटरी अथवा नीलामी के माध्यम से क्रमश: कितने रिहायशी प्लाट बेचने का विचार कर रही है ; और

(ख) किन-किन बस्तियों में ऐसे प्लाट बेचने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) 1967 के अन्त तक विक्रय के लिए 4,396 प्लाटों का उपलब्ध होने की आशा है । अभी तक यह निर्णय नहीं किया गया है कि निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के विक्रय के लिये अथवा नीलाम के लिए कितने प्लाट रखे जायेंगे ।

(ख) सफदरजंग, झिलमिल ताहिरपुर, वजीरपुर, फ्रैन्डस कालोनी, मसजिद मोठ, तथा जनकपुरी ।

तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर

1319. **श्री पें० वेंकटसुब्बया :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के दुर्भिक्ष पीड़ित व्यक्तियों के लिये सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर के दूसरे चरण को पूरा करने के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता देने का फैसला कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी जायेगी और यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) . तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर चरण-2 के प्राक्कलन की अभी जांच हो रही है। आशा है कि इसे स्कीम के चरण 1 के पूरा होने पर कार्यान्वियन के लिये हाथ में लिया जाएगा। स्कीम को दोनों भागीदार राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों में से ही वित्तीय सहायता दी जाएगी और यह केन्द्रीय सहायता द्वारा फुटकर विकास ऋणों के माध्यम से अनुपूरित की जाएगी।

बिहार में ग्रामदान आन्दोलन

1320. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के ग्रामदान आन्दोलन में आज तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या ग्रामदान में प्राप्त गांवों के विकास के संबंध में कोई कार्यक्रम है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) सर्व सेवा संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बिहार में 30 जून, 1966 तक 9010 गांव ग्रामदान में प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) और (ग) . जी हां। ग्रामदान वाले गांवों की उन्नति के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना तैयार की गई है। इसके अन्तर्गत भूमि को उपयोगी बनाने और भूमि सुधार करने, कृषि औजारों, उर्वरकों, बीजों और बैलों की पूर्ति करने और मालगोदामों को बनाने की योजनाओं के लिए सहकारी समितियां, सांविधिक ग्रामसभाओं या अन्य उपयुक्त अभिकरणों के माध्यम से ऋण और अनुदान देने के लिए एक करोड़ रुपये की रकम की व्यवस्था की गई है। बिहार को 4.59 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है जिसमें से बिहार सरकार ने 1.50 लाख रुपये की राशि भूदान योजना समिति को ग्रामदान वाले उन गांवों के विकास के लिए दी है जिनमें सहकारी समितियां नहीं हैं। जिन गांवों में सहकारी समितियां हैं वहां अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था राज्य सहकारिता विभाग द्वारा की जा रही है। बिहार के मुंगेर जिले में ग्रामदान वाले गांवों के सघन विकास का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

नागार्जुन सागर परियोजना

1321. **श्री म० ना० स्वामी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुन सागर के दूसरे चरण का अनुमोदन किये जाने के लिये प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Use of Loop for Family Planning

1322. Dr. Mahadeva Prasah : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(*a*) the number of women who have adopted the loop device under the Family Planning Programmes so far; and

(*b*) the percentage of women who have conceived even after adopting this device ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) 9,28,430 I.U.C.D. insertions have been reported so far from all over the country.

(b) According to field studies carried out by Indian Council of Medical Research, the percentage of conceptions after insertion of the loop is less than 1 %.

Small Pox Epidemic in U. P.

1323. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Smallpox and Chicken-pox have spread in epidemic form recently in the Northern parts of the country, particularly in Uttar Pradesh;

(b) if so, the number of persons affected thereby and the number of persons who died as a result thereof, in each State; and

(c) the steps taken to prevent the disease ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar):(a) & (b). There has been no smallpox epidemic recently in the northern parts of the country including Uttar Pradesh. The situation is termed as an epidemic when one hunderd or more cases are reported per week for a million of population. The figures are as follows :

No.	Name of the State	Incidence of Small-pox in 1966 (upto 15-7-1966)		Average case rate per million week of the population
		Cases @	Deaths @	
1.	Uttar Pradesh	3,324	1,071	1.43
2.	Punjab	182	47	227
3.	Delhi	391	72	4·03
4.	Himachal Pradesh	3	1	0·07
5.	Jammu and Kashmir	*	*	—

@Figures provisional.
*Figures not availble

Chickeapox is not a notifiable disease and therefore no information is available;

(c) The following steps are being taken in the areas wherefrom smallpox cases are reported:—

(i) Immediate vaccination of contacts and mass vaccination in the affected and threatened areas
(ii) Intensification of Health Education and publicity measures to make vaccination easily acceptable

सालंदी बांध परियोजना

1324. **श्री गोकलानन्द महन्ती :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हदगढ़ परियोजना (सालंदी बांध परियोजना) से कुल कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई होने का अनुमान है ;

(ख) इससे थानावार कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई होने की संभावना है ; और

(ग) यदि उड़ीसा में क्योझर जिले में आनन्दपुर में प्रस्तावित वैतरणी बांध द्वारा सहायता की जाये तो कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) सालन्दी बांध परियोजना द्वारा सिंचित होने वाला कुल क्षेत्र निम्नलिखित है :—

खरीफ . .	1,13,000 एकड़
रबी	53,500 एकड़

(ख) थानावार सिंचित होने वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु खरीफ अधीन ब्लाकवार सिंचित होने वाला क्षेत्र निम्नलिखित है :—

ब्लाक का नाम	कुल क्षेत्र जिस की सिंचाई होनी है
	(एकड़)
1. बंध ब्लाक . . .	3,988
2. खैरा ब्लाक .	12,819
3. सिमूलिया ब्लाक	34,238
4. भद्रक ब्लाक	37,953
5. वसुदेवपुर ब्लाक	12,593
6. तिहिडी ब्लाक	11,409

(ग) जब आनन्दपुर बराज पूरा हो जाएगा, आनन्दपुर परियोजना के साथ मिल कर सालंदी परियोजना निम्नलिखित क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं पहुंचाएगी :—

खरीफ	3,86,000 एकड़
रबी	2,40,000 एकड़

मैट्रिक के बाद शिक्षा पाने वाले अपाहिज विद्यार्थियों को छात्रवृतियां

1325. **श्री गोकलानन्द महन्ती :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैट्रिक के बाद शिक्षा पाने वाले ऐसे अपाहिज विद्यार्थियों की राज्यवार संख्या क्या है जो इस समय छात्रवृतियां ले रहे हैं ; और

(ख) ऐसे विद्यार्थियों की राज्यवार संख्या क्या है जो गत दो वर्षों में छात्रवृत्तियां ले रहे थे ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :(क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–6663/66]**

दिल्ली में सहकारी समितियों के लिये भूमि

1326. **श्री रामेश्वर टांटियां** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि दिये जाने के लिये कितनी सहकारी समितियां पात्र हैं ;

(ख) कितनी सहकारी समितियों को भूमि दी गई है ; और

(ग) शेष समितियों को कब भूमि देने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :(क) 205 ।

(ख) और (ग) भूमि के आवंटन का प्रस्ताव 152 सोसाइटियों को किया गया है तथा स्वीकार कर लिया गया है । इनमें से 33 सोसाइटियों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है । यह निर्णय किया गया है कि 22 और सोसाइटियों को विकसित प्लाट आवंटित किये जायें क्योंकि अपनी कम आवश्यकताओं के कारण वे भूमि को सस्ते तौर पर विकसित नहीं कर सकते । शेष 97 सोसाइटियों को कुछ क्षेत्रों में अर्जन प्रक्रिया पूरी हो जाने, मोटे तौर पर विकास योजनायें तैयार हो जाने तथा सोसाइटियों के द्वारा संपूर्ण प्राक्कलित प्रीमियम जमा कर देने के बाद, भूमि का आवंटन कर दिया जायेगा । 53 सोसाइटियों से जिन्हें कि आवंटन का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, उत्तर की प्रतीक्षा है ।

मध्य आयवर्ग के लिये प्लाट्स

1327. **श्री रामेश्वर टांटियां** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य आय वर्ग के लोगों को रिहायशी प्लाटों के आवंटन के प्रयोजन के लिये आय की अधिकतम सीमा को 15,000 रुपये से और आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नियंत्रण वाली वस्तुओं पर बिक्री कर

1328. **श्री सेझियान**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को नियंत्रण वाली वस्तुओं पर बिक्री-कर लगाने का अधिकार देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार संविधान में संशोधन करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करेगी और कब तक ऐसा करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली में रक्त की कमी

1329 **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली के अस्पतालों में रक्त की मांग बहुत बढ़ गई है और चूंकि ब्लड बैंकों में रक्त अधिक जमा नहीं हो रहा है, इसलिये राजधानी में रक्त की अत्यधिक कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो बढ़ती हुई मांग के अनुरूप रक्त जमा न होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) रक्त का संग्रह मांग के अनुरूप हो रहा है और ऐसा कभी नहीं हुआ जब रक्त के अभाव के कारण किसी आपात मामले में रक्ताधान मना कर दिया गया हो।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

तवा परियोजना

1330 **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में तवा बहुप्रयोजनीय परियोजना का काम संतोषजनक रूप से और कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस परियोजना के मूल वित्तीय अनुमान क्या हैं ;

(घ) इसका पुनरीक्षित अनुमान क्या है ; और

(ङ) इन अनुमानों में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) धन की कमी।

(ग) 2750.13 लाख रुपये।

(घ) तथा (ङ) राज्य सरकार इस समय अनुमानों का पुनरीक्षण कर रही है।

भारत का भू-मानचित्र (सोयल मैप)

1331 **श्री चांडक** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग तथा भारत के राष्ट्रीय एटलस संगठन द्वारा तैयार किये गये भारतीय भू-मानचित्र में भारत की भूमि की विशेषताओं का सही सही चित्रण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग अन्य भारतीय भू-मानचित्र तैयार करने का विचार क्यों कर रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के भू-मानचिज के लिये मानचित्र में शामिल किये जाने योग्य जानकारी नहीं दे सका फिर भी योजना आयोग के संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान डिवीजन ने राष्ट्रीय एटलस संगठन, कलकत्ता को यह काम सौंप दिया ; और

(घ) मानचित्र में शामिल किये जाने योग्य कितने प्रतिशत अधिकृत जानकारी जिससे भारत की मिट्टी के पार्श्वचित्र (प्रोकाइल) का वर्णन भी शामिल है, उपलब्ध है

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) जी हां, योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया भारत का भू-मानचित्र कृषि विकास के भू-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जब कि राष्ट्रीय एटलस संगठन द्वारा तैयार किया गया भू-मानचित्र गठन के आधार पर भूमि का भूगोलिक वितरण का प्रतिनिधित्व करता है ।

(ख) फिलहाल योजना आयोग में जो भू-मानचित्र तैयार किया जा रहा है वह राष्ट्रीय एटलस संगठन या योजना आयोग द्वारा अब तक तैयार किये गये भू-मानचित्रों से काफी बड़े पैमाने पर है। अब तक राष्ट्रीय एटलस संगठन तथा योजना आयोग ने जो मानचिज तैयार किये हैं वे क्रमश: 1·50 लाख और 1·95 लाख के पैमाने पर हैं। योजना आयोग में जो भू-मान चित्र तैयार किया जा रहा है वह 1·10 लाख के पैमाने पर है और आधुनिक कृषि प्रणालियों के लिए अपेक्षित व्यापक सूचना उपलब्ध करेगा ।

(ग) यह सच नहीं है । बिहार और उत्तर प्रदेश के भू-मानचित्र के सम्बन्ध में मानचित्र के लिए उपयोगी आंकड़े खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एटलस संगठन को जिन्हें यह काय सौंपा गया है, पहले ही उपलब्ध किये जा चुके हैं ।

(घ) कार्य प्रगति पर है । परन्तु ठीक ठीक प्रतिशत के रूप में बताना कठिन है । अनुमान है कि जितने भू-भाग के विषय में पार्श्वचित्र उपलब्ध है, उस विस्तृत तथा पैमाइश भू-सर्वेक्षणों के अन्तर्गत देश का लगभग बीस प्रतिशत क्षेत्र आता है ।

भारत का भू-मान चित्र (सोयल मैप)

1332 **श्री चांडक :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग की प्राकृतिक संसाधन सम्बन्धी समिति द्वारा आरम्भ किये गये निम्न-लिखित अध्ययनों के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है :—

भूमि सुधार शैल-समूह (ज्योलोजिकल फोर्मेशन) खनिज संसाधन, स्थल रूपरेखा (टोपोग्रेफी) पर्वत, जलवायु, प्राकृतिक खण्ड, भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े, उपज क्षमता, भूक्षमता वर्गीकरण, क्राप भूमि, चरागाह, वन क्षेत्र, बस्तियां, मनोरंजन क्षेत्र तथा राष्ट्रीय उद्यान ;

(ख) क्या योजना आयोग की राष्ट्रीय संसाधन सम्बन्धी समिति, राष्ट्रीय एटलस संगठन तथा भारत के महापंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल) ने भी ऐसे ही अध्ययन किये थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ध्यान डा० एम० एस० रंधावा द्वारा "लैंड रिसोर्सेज आफ इंडिया" नामक पुस्तक के खण्ड एक की प्रस्तावना की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय एटलस संगठन के कायक्रमों की स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करने के लिये तुलना की गई है कि ये अध्ययन पूर्णत: भिन्न हैं तथा राष्ट्रोपयोगी हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक महता) : (क) अपने दीर्घकालीन कार्यक्रम के भाग के रूप में, प्राकृतिक संसाधन समिति इन सब अध्ययनों को ध्यान में रखती है। ये सब अध्ययन साथ साथ नहीं किये जा सकते हैं। अतः इन्हें प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा वन और खनिज संसाधनों से संबंधित भूमि पर, समिति पहले ही अध्ययन शुरू कर चुकी है। उदाहरण के लिए ये अध्ययन इस प्रकार हैं : भारत में खादरों के सर्वेक्षण और भूमि उद्धार सम्बन्धी अध्ययन; खारी, क्षारीय और सेमवाली भूमि सहित बंजरभूमि तथा उनके पुनरुद्धार के उपायों के बारे में अध्ययन; नदी घाटी परियोजनाओं में बांधों के ऊपर जलस्रोत क्षेत्रों में भूमि संरक्षण का अध्ययन; चावल के प्रति एकक कम उत्पादन का अध्ययन; ईंधन की प्रवृत्तियां और सम्भावनाएं; लुगदी, कागज और अखबारी कागज तथा अन्य, वन पर आधारित उद्योगों के लिए वनों में उपलब्ध कच्चा माल; भारत में तांबा, जस्ता, जिंक और ऐंटिमोनी वाले क्षेत्रों का अन्वेषण इत्यादि।

(ख) राष्ट्रीय एटलस संगठन स्वयं कोई सर्वेक्षण नहीं करता है, और प्रारंभिक आंकड़ों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के लिए जिम्मेदार अन्य संगठनों पर निर्भर रहता है। जनसंख्या के आंकड़ों के अन्तगत क्षेत्र में भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय सर्वेक्षण करता है। जिन आंकड़ों का जनसंख्या से कोई सम्बन्ध नहीं है उनके बारे में यह संगठन विभिन्न मंत्रालयों और संबंधित सर्वेक्षण संगठनों पर निर्भर करता है।

(ग) डा० एम० एस० रन्धावा के "भारत में भूमि संसाधन", भाग 1, शीर्षक प्रकाशन की भूमिका में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और राष्ट्रीय एटलस संगठन के कार्यक्रमों की तुलना नहीं की गई है।

रोहतक में परिवहन फर्मों द्वारा कर अपवंचन

1333. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री दशरथ देव :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान रोहतक जिले (पंजाब) में दो परिवहन फर्मों द्वारा कर अपवंचन के मामले की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जांच-पड़ताल अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए इन फर्मों के नाम बताना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) जांच-पड़ताल पूरी होने पर कार्रवाई की जायेगी।

भारत में विदेशी पूंजी

1334. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री कोलला वैंकैया :**
श्री दशरथ देव : **श्री म० ना० स्वामी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रिजर्व बैंक द्वारा भारत में विदेशी पूंजी के बारे में किए जा रहे सर्वेक्षण में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने, 1962 के अन्त में भारत में लगी हुई विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में, हाल ही में एक तदर्थ सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष, रिजर्व बैंक के बुलेटिन के अप्रैल, 1666 के अंक में प्रकाशित किये गये थे।

आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश परिवहन व्यवस्था

1335. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन आयोजन के लिये संयुक्त तकनी की दल ने आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपाय सुझाए गए हैं ; और

(ग) सरकार का उनको कब क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग). परिवहन आयोजन सम्बन्धी संयुक्त तकनीकी दल ने, मुख्य जिन्सों की परिवहन आवश्यकताओं के बारे में क्रमबद्ध क्षेत्रीय परिवहन सर्वेक्षणों तथा अध्ययनों की शुरूआत की है। ये अध्ययन और सर्वेक्षण प्रगति पर हैं और विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन विकास की समस्याओं का पता लगाने में सहायता प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय तथा राज्य परिवहन योजनाओं का ब्यौरा तैयार करते समय, इन अध्ययनों के प्रतिफलों को ध्यान में रखा जायेगा।

परिवहन आयोजन सम्बन्धी संयक्त तकनीकी दल ने, परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिए कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की हैं।

योजनाओं की क्रियान्विति

1336. **श्री दास्सपा :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में प्रधान मंत्री ने वारंगल में यह कहा था कि दोषपूर्ण क्रियान्विति के कारण इस देश में योजना तथा कार्यक्रम सफल नहीं हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं की क्रियान्विति को दोष-मुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) प्रधान मंत्री ने 24 जून, 1966 को वारंगल में अपने भाषण के दौरान कहा था कि क्रियान्विति में दोषों और दुर्बलताओं के कारण कुछ क्षेत्रों में योजनाएं और कार्यक्रम बहुत सफल नहीं हो पाये हैं और इन त्रुटियों को दूर करने के लिए सावधानी से जांच की जा रही है ।

(ख) योजना आयोग कुछ समय से इस समस्या पर विचार कर रहा है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रलेख (अध्याय 17) में योजना की क्रियान्विति में सुधार करने के लिए सिफारिशें की गई थीं । चौथी योजना को तैयार करते समय इस पक्ष की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

भारत सरकार ने देश के लोक प्रशासन की जांच के लिए और जहां आवश्यक हो सुधार और पुनर्गठन की सिफारिशें करने के लिए प्रशासन सुधार आयोग का भी गठन किया है । यह आयोग अपनी सिफारिशें करते समय निःसंदेह यह भी ध्यान रखेगा कि विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में प्रशासन कुशलता बढ़ाने की आवश्यकता है ।

देहाती क्षेत्रों में परिवार नियोजन

1337. **श्री बासप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से देहातों में परिवार नियोजन का अधिक प्रचार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : चौथी पंचवर्षीय योजना (जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से देहातों में परिवार नियोजन का अधिक प्रचार करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाने का विचार है :—

(क) मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों को सुदृढ़ कर तथा ऐसे और केन्द्र खोलकर ग्राम परिवार नियोजन संगठन को मजबूत करना ।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उप केन्द्रों तथा परिवार नियोजन क्लीनिकों के लिये भवन निर्माण और स्टाफ के लिये क्वार्टरों का निर्माण करना ।

(ग) ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थायी केन्द्रों के अन्तर्गत नहीं आ सकते इस सुविधा को उपलब्ध करने के लिये सचल बन्ध्यीकरण गर्भाशयी गर्भरोधक एककों की व्यवस्था करना ।

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये स्टाफ की वृद्धि करना ।

(ङ) ग्राम नेताओं के प्रशिक्षण के लिये तथा गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) एवं बन्ध्यीकरण सेवाओं की व्यवस्था के लिये देहाती क्षेत्रों में पुनश्चर्या शिविर तथा सेवा शिविरों का आयोजन ।

(च) परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्य की पुनरीक्षा के लिये केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् द्वारा नियुक्त एक विशेष समिति ने ग्राम परिवार नियोजन संगठन को और आगे सुदृढ़ करने की सिफारिश की है। इस समिति की सिफारिशें इस समय विचाराधीन हैं।

दिल्ली में पानी के दूषित होने का खतरा

1338. **श्री बासप्पा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली में पानी दूषित हो जाने का खतरा अभी बना हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) और (ख) दिल्ली में जल दूषित होने के खतरे को निम्नलिखित उपायों द्वारा एक बड़ी सीमा तक दूर कर दिया गया है :

(क) शाह आलम पुल के निकट नजफगढ़ नाले के बायें किनारे का निर्माण।

(ख) बादली डम्प के चारों ओर एक गोल बांध का निर्माण और खत्ते के लिये इसका उपयोग बन्द करना।

(ग) नजफगढ़ नाले को चौड़ा तथा गहरा करके उसकी जल निकास की क्षमता बढ़ाना।

वज़ीराबाद के ऊपरी स्रोत की ओर कई कस्बों के अतिरिक्त उस पर ऊपरी स्रोत के इर्द-गिर्द चार गांव अर्थात् गोपालपुर, पुराना वज़ीराबाद, नया वज़ीराबाद और जगतपुर हैं जो बाढ़ के दिनों में पानी के दूषित होने के सहायक कारण हो सकते हैं। इन गांवों को दूसरी जगहों पर हटाने का प्रश्न दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नदी में शहर के कई नाले गिरने से ओखला का जलपूर्ति स्रोत दूषित होता है। इन नालों में से कतिपय नाले बंद किए जा चुके हैं जब कि दूसरों को बीच में रोकने के लिये सीवेज का कार्य चल रहा है। इस स्रोत से शुद्ध जल वितरण को सुनिश्चित करने के लिये शोधन प्रणाली में कड़ा प्रयोगशाला नियंत्रण रखा जा रहा है। अन्ततोगत्वा पीने के अभिप्राय से इस स्रोत के उपयोग को बन्द ही कर दिया जाना है।

कलकत्ता में पटरियों पर बैठने वाले व्यक्तियों पर आयकर

1339. **श्री चं० का० भट्टाचार्य :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जुलाई, 1966 के पहले सप्ताह में कलकत्ता के समाचारपत्रों में प्रकाशित पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पटरियों पर बैठने वाले व्यक्तियों में ऐसे भी लोग हैं जो प्रतिमास 800/900 रुपए कमाते हैं ; और

(ख) क्या आयकर विभाग ने ऐसे लोगों से आयकर वसूल करने के हेतु इस पर ध्यान दिया है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। स्थानीय आयकर अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिला दिया गया है।

मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज लिमिटेड, दिल्ली

1340. **श्री जेधे :** क्या **वित्त** मंत्री मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज लिमिटेड, दिल्ली के बारे में 7 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1024 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक द्वारा मांगी गई जानकारी प्राप्त हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो जमाकर्ताओं की देय राशि का भुगतान न किये जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) इस सवाल पर कि कम्पनी को अपने जमाकर्ताओं के दावों की अदायगी के लिए कोई स्वीकार्य योजना तैयार करने और यदि आवश्यकता हो तो, किये गये दावों की पूर्ति के लिए अपनी कुछ सम्पत्ति बेचने तथा उसके द्वारा अपनी सहयोगी संस्थाओं को दिये गये अग्रिमों को वसूल करने के लिए कहा जाय, विचार किया जा रहा है।

वेतन-निर्धारण

1341 **श्री जेधे:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनरीक्षित (रिवाइज्ड) वेतनक्रम लागू करने की तारीख को सरकारी कर्मचारी का वेतन, उसके वतन को (जो उसने पिछले दिन लिया हो) पुनरीक्षित वेतनक्रम में अगली ऊपरी स्टेज में समायोजित करके ही निर्धारित किया जाता है तथा उसके मूल वेतन में कोई और परिवर्तन नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों में पुनरीक्षित वेतनक्रमों में वेतन कैसे निर्धारित किया जाता है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या इस प्रणाली का भूतकाल में कोई उल्लंघन किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) द्वितीय वतन आयोग की सिफारिशों पर जब 1 जुलाई, 1959 से संशोधित वेतनक्रम लागू किये गये थे तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन इन वेतनक्रमों में वेतनांक के आधार पर निर्धारित किया गया था अर्थात् कर्मचारी का वेतन निर्धारित (संशोधन से पूर्व) वेतनक्रम के जिस वेतनांक पर पहुंच चुका था संशोधित वेतनक्रम में उसे उसके बराबर के वेतनांक पर निर्धारित किया गया था, पर साथ ही वेतनांक के सीमा निर्धारण की कुछ शर्तें थी और जहां इस प्रकार के निर्धारण से कर्मचारी के वेतन में कमी आती थी वहां व्यक्तिगत वेतन की व्यवस्था की गयी थी।

लेकिन सामान्य नियम यह है कि अगर पद के कर्तव्य और जिम्मेदारियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और केवल वेतनक्रम में संशोधन किया जाता है तो संशोधित वेतनक्रम में वेतनांक उस स्थल पर निर्धारित किया जाता है जो संशोधित वेतनक्रम से पूर्व के वेतनक्रम में सबसे बाद में लिये गये मूल वेतन के बराबर होता है। अगर नये वेतन क्रम में वेतनांक का ऐसा कोई स्थल नहीं होता तो सबसे बाद में लिये गये वेतनांक के ठीक नीचे के अंक पर वेतन निर्धारित किया जाता है और उस वेतन तथा सब से बाद में लिय गये वेतन के बीच के अन्तर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में मंजूर किया जाता है जो भविष्य में होने वाली वेतन-वृद्धि में शामिल कर दिया जाता है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

मितव्ययिता सम्बन्धी उपाय

1342. **श्री मा० ल० जाधव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र तथा राज्यों में मंत्रियों पर होने वाले व्यय को कम करने के लिये मितव्ययिता सम्बन्धी कौन-कौन से उपाय किये गये हैं ; और

(ख) इनसे कितनी बचत होने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) केन्द्र में मितव्ययता सम्बन्धी निम्नलिखित उपाय करने का निर्णय किय गया है :—

(1) (i) मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों की वर्तमान संस्था की फिर से जांच की जा रही है और उसमें, यथा सम्भव कमी करके उसे निर्धारित संख्या के बराबर रखने का विचार है ।

(ii) मंत्रियों के दौरे पर जाते समय प्राय: एक से अधिक वैयक्तिक सहायक को साथ नहीं ले जाने के लिये कहा गया है ।

(iii) स्टाफ-कार का खर्च कम से कम कर दिया जाये । भविष्य में भारत की बनी हुई कारें ही खरीदी जायें ।

(2) राज्य सरकारों के मंत्रियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) बचत की सही रकम का अन्दाजा लगाना संभव नहीं है ।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा अपमिश्रित शहद की बिक्री

1343. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने कनाट प्लेस स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन द्वारा अपमिश्रित मधु बेचे जाने के आरोप में उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया है ;

(ख) यदि हां, तो उस सौदे का ब्यौरा क्या है, जिसके फलस्वरूप मुकदमा दायर किया गया ; और

(ग) इस समय मुकदमा किस अवस्था में पहुंचा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) खादी ग्रामोद्योग भवन पर मुकदमा नई दिल्ली नगरपालिका ने चलाया है ;

(ख) खादी ग्रामोद्योग भवन में रख गये मधु की किस्म के बारे में शिकायत मिलने पर 3 मार्च, 1966 को एक नमूना लिया गया था, विश्लेषण करने पर उस मूनने में अपचायन शक्कर की 4.8 प्रतिशत न्यूनता पायी गयी ।

(ग) यह मामला कोर्ट में निलम्बित है। दूसरी पेशी 20 अगस्त, 1966 की निश्चित हुई है ।

'पी' प्रपत्र जारी करने वाली व्यवस्था पर खर्च

1344. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री दशरथ देव :
श्री कोल्ला वैंकया :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'पी' प्रपत्र जारी करने वाली व्यवस्था पर वर्ष 1964, 1965 तथा 1966 में अब

तक भारत के रक्षित बैंक का कुल कितना खर्च आया ; और

(ख) क्या सरकार का विचार 'पी' प्रपत्र' विनियमों को रद्द करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 'पी' प्रपत्र जारी करने की व्यवस्था करने वाला अभिकरण विदेशी मुद्रा नियंत्रण संगठन का एक अंग है और इसीलिये यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि केवल इस पर कितना व्यय किया गया ।

(ख) जी, नहीं ।

"पी" प्रपत्रों के लिये प्रार्थनापत्र

1345. **श्री दशरथ देव :**
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 तथा 1966 में अब तक 'पी' प्रपत्रों के लिय भारत के रक्षित बैंक को कुल कितने प्रार्थनापत्र मिले हैं ;

(ख) उक्त अवधि में कुल कितने प्रार्थना पत्र नामंजूर किये गये ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 1965 में, 54252; 1966 में (जून के अन्त तक) 2760 ।

(ख) 1991 ।

(ग) ये प्रार्थनापत्र इसलिए नामंजूर किये गये कि ये नियमों के अन्तर्गत नहीं आते थे ।

खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम के अन्तर्गत मामले

1346. **श्री हेम राज :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वर्ष 1966 के पूर्वार्द्ध में प्रत्येक राज्य में खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम के अन्तर्गत थोक विक्रेताओं तथा निर्माताओं का कितने मामलों में चालान किया गया और सजा दी गई ; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य में इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने फुटकर विक्रेताओं का चालान किया गया तथा सजा दी गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनों का लगाया जाना

1347. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री माहेश्वर नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे भारत में जीवन बीमा निगम के कर्मचारी स्वचालित मशीनों के लगाये जाने के विरुद्ध संघर्ष करते रहे हैं और इस कारण से 5 जुलाई 1966 को निगम के केन्द्रीय वसूली कार्यालय में काम ठप हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) कुछ समय से जीवन बीमा निगम कर्मचारियों का एक यूनियन जीवन बीमा निगम में कम्प्यूटर लगाये जाने के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। 5 जुलाई, 1966 को देश में विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय नकद वसूली केन्द्र लगभग सामन्य रूप से काम करते रहे।

(ख) उस यूनियन की मांग है कि जीवन बीमा निगम को अपने कार्यालयों में कम्प्यूटर नहीं लगाने चाहिये ।

(ग) जीवन बीमा निगम ने बार-बार यह बताया है कि कम्प्यूटर लगाने से कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं होगी। इसके विपरीत, लेखा और आंकड़ों के संकलन तथा पालिसीधारकों की अधिक अच्छी सेवा उपलब्ध करने के लिये कम्प्यूटर आवश्यक हैं। सरकार जीवन बीमा निगम के दृष्टिकोण से सहमत है।

गांवों में बिजली लगाने का कार्य-क्रम

1348. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 24 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 743 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि राज्यवार गांवों मे बिजली लगाने के कार्यक्रम के मामले मे जो असंतुलन है उसका अध्ययन करने तथा उसे ठीक करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : तीसरी योजना के अन्त तक लगभग 9·6 प्रतिशत ग्रामों मे बिजली लगा दी गई थी, परन्तु आठ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी अखिल भारतीय औसत तक पहुंचना है ।

इस अन्तर को समाप्त करने के लिये राज्य अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे चौथी योजना की अपनी ग्राम विद्युतन स्कीमों को इस तरह बनाएं जिसे से वे अपने राज्य में 15 से 20 प्रतिशत ग्रामों में बिजली लगा पाए और इस के साथ साथ पम्पों / नल कूपों के समहों को ऊर्जित कर पाएं ।

राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिस में इस प्रश्न पर और विचार विमर्श करने का विचार है। अगली कार्यवाही इस सम्मेलन में हुए निर्णयों को ध्यान मे रख कर की जाएगी।

मंत्रियों द्वारा विदेशी कारों का प्रयोग

1349. **श्री दे० जी० नायक :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों द्वारा कितनी विदेशी कारें प्रयोग मे लाई जा रही हैं; और

(ख) क्या लोगों के सामने मितव्ययता का एक उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सरकार का विचार सभी विदेशी कारें वापस लेने का है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जूलाई, 1966 मे विदेशों से मंगायी गयी 29 कारें मंत्रियों के लिये उपलब्ध थीं। अब कुछ मंत्री देश में बनी कारें काम मे लेने लगे हैं या शीघ्र ही ऐसा करने वाले हैं।

(ख) भविष्य मे भारत मे बनी कारें खरीदने का निर्णय किया गया है सिवाय उन मामलों के जिन मे कार की आवश्यकता मुख्य रूप से विदेशी आगन्तुकों और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए हो। विदेशों से मंगायी गई जो कारें मंत्रालयों के पास हैं उन का किस प्रकार सर्वोत्तम प्रयोग किया जाय इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में आयकर की चोरी

1350. **श्री धूलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में आयकर की चोरी के कितने मामले 30 जून, 1966 को अनिर्णीत पड़े थे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): 197।

अस्पतालों सम्बन्धी समिति

1351. **श्री दशरथ देव :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री बीरेन भट्टाचार्य :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री बृज वासी लाल :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री 25 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 726 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच उन अस्पतालों की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय कर लिया है जिन में बहुत भीड़ भाड़ रहती है और दवाइयों तथा डाक्टरों आदि की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के कब तक नियुक्त किये जाने की संभावना है ; और

(ग) सरकार को प्रतिवेदन कब तक दे दिये जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क), (ख) और (ग). एक ऐसा अध्ययन दल नियुक्त करने का विचार है जो देश में चिकित्सा कार्य में सुधार लाने तथा अस्पताली सेवाओं के भावी विस्तार के लिये ठोस मार्गदर्शक आधार तैयार करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न वर्गों के अस्पतालों के कार्य संचालन का अध्ययन करेगा। यह एक छोटी सी समिति होगी जिस में लगभग आठ सदस्य होंगे। इस समिति के नियुक्ति के आदेशों के शीघ्र जारी होने की सम्भावना है और आशा है कि यह अपना कार्य छ : महीने में पूरा कर देगी ।

इर्विन अस्पताल, नई, दिल्ली में एम्बुलैंस गाडियां

1352. **श्री दशरथ देव :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री म० न० स्वामी :
श्री दीमेन भट्टाचार्य :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में निकले इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि नई दिल्ली के इर्विन अस्पताल की तीनों एम्बुलेंस गाड़ियां कई महीनों से खराब हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है ; और

(ग) क्या सरकार का सम्बन्धित पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) जी हां। किन्तु रोगियों, विशेषतया आपातिक रोगियों के लिये ब्लड बैंक एम्बुलैंस और यूनिसेफ़क दो गाड़ियों से काम लिया जा रहा था।

एक एम्बुलैंस की मरम्मत की जा चुकी है और उस से काम लिया जाने लगा है किन्तु पुराने माडलों के फालतू पुर्जे न मिलने के कारण अन्य दो गाड़ियों की मरम्मत नहीं की जा सकती है ।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में जो कहा गया है उसको ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये जापान से सहायता

1353. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये जापानी सहायता के बारे मे प्रारम्भिक वार्ता करने के लिये अधिकारियों का एक दल जापान भेजा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो जापान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई उनकी वार्ता का क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री शर्वेन्द्र चौधरी): (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

नई दिल्ली में बहुमंजिली रिहायशी इमारतें

1354. **श्री बागड़ी** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में बहुमंजली रिहायशी इमारतों का निर्माण विभागीय रूप से किया गया है अथवा ठेकेदारों के द्वारा ;

(ख) अब तक कितने ब्लाक बन कर तैयार हो गये हैं ।

(ग) इन तैयार ब्लाकों में से प्रत्येक के निर्माण का कार्य किस तारीख को आरम्भ किया या गया और प्रत्येक रहने योग्य किस तारीख को तैयार हुई ; और

(घ) इन फ्लैटों की निर्माण लागत इसी प्रकार के पहले के रिहायशी मकानों की निर्माण लागत की तुलना में कितनी है ?

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) ठेकेदारों के द्वारा ।

(ख) और (ग). 138 टाइप V फ्लैटों के छः खंड तथा 115 टाइप Vi फ्लैटों के पांच खंड तैयार हो गये हैं । उन के शुरू होने तथा तैयार होने की तारीखें नीचे दी गयी हैं :—

	शुरू होने की तारीख़	तैयार होने की तारीख़
138 टाइप V फ्लैटों के छः खंड	1 अक्तूबर, 1963	31 मई, 1965 तथा 2 जून, 1966 के मध्य विभिन्न तारीखों पर ।
115 टाईप Vi फ्लैटों के पांच खंड	23 नवम्बर, 1963	30 सितम्बर, 1965 के मध्य विभिन्न तारीखों पर ।

(घ) निर्माण तथा सेवाओं की तुलनात्मक लागत नीचे दी गयी है :—

	दो मंजिले	आठ मंजिले
	रुपये	रुपये
टाईप V	40,100.00	62,600.00
टाईप Vi	53,930.00	74,140.00

यद्यपि बहु-मंजिलें फ्लैटों के निर्माण की लागत अधिक है किन्तु भूमि की बचत है जो कि दिल्ली में बहुत मंहगी है ।

पानी के मीटरों की चोरी

1355. **श्री बृजबासी लाल :** क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई सरकारी बस्तियों के मकानों से पानी के मीटरों के चोरी की कई घटनाएं हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन चोरियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री : (श्री मेहर चन्द खन्ना) (क) जी हां ।

(ख) यह निर्णय किया क्या है कि निधियां उपलब्ध होने पर पानी के मीटरों को क्वार्टरों के अन्दर लगा दिया जायेगा ।

ऐपेक्स कोआपरेटिव बैंक, भोपाल

1356. **श्री वाडीवा :** **श्री हुकमचन्द कछवाय :**
श्री चांडक : **श्रीपाराशर :**
डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय को 1966 में मध्य प्रदेश के संसद सदस्यों से कोई पत्र मिला है जिस में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 95(क) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा एपेक्स कोआपरेटिव बैंक भोपाल से खरीदे गये 5 लाख रुपये मूल्य के अंश (शेयर) मध्य प्रदेश सरकार को हस्थान्तरित किये जाने चाहियें ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पत्र का कोई उत्तर भेजा गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी : (क) जी, हां ।

(ख) इस आशय का उत्तर भेज दिया गया है कि इन शेयरों को मध्य प्रदेश सरकार को अन्तरित कर देने का निश्चय कर लिया गया है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

परिवार नियोजन व्यवस्था

1357. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सुरेन्द्र सिंह :
श्री दे० जी० नायक :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या फोर्ड फाउण्डेशन के परिवार नियोजन विशेषज्ञ के मूल्यांकन के अनुसार, जो जनवरी, 1965 में भारत आया था और जिसने प्रायः सभी राज्यों का दौरा किया था, भारत मे परिवार नियोजन व्यवस्था अपर्याप्त है ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उसकी सिफारिशों पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जनवरी 1965 मे फोर्ड फाउण्डेशन का कोई विशेषज्ञ भारत नहीं आया था तथापि फरवरी 1965 में संयुक्त राष्ट्र के पांच विशषज्ञों का एक दल भारत आया था और उस ने अधिकांश राज्यों का दौरा करके भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

(ख), (ग) और (घ). इस दल की सिफारिशों तथा उन पर की गई कार्यवाही का एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—6664/66]।

ग्रामीण पेय जल योजनाएं

1358. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हाल में सूखा पड़ने के कारण समूचे देश में पीने के पानी की कमी हो जाने तथा पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के बढ़ जाने के फलस्वरूप राज्यों ने केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग से यह मांग की है कि चालू वर्ष में तथा चौथी योजना के दौरान ग्राम्य पेय जल योजनाओं के लिये उनके नियत की जाने वाली राशियों में पर्याप्त वृद्धि की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात सरकारों ने अपनी-अपनी ग्रामीण नल-जल पूर्ति योजनाओं के लिए अतिरिक्त खर्च की एक निश्चित प्रार्थना की है । ग्रामीण जल पूर्ति योजना एक केन्द्र सहाय्यित योजना है और इसके लिए धन की व्यवस्था वार्षिक राज्य योजना में की जाती है । स्थिति इस प्रकार है:—

(1) **आन्ध्र प्रदेश** : राज्य सरकार ने गांवों में नलों द्वारा जल पहुंचाने की अपनी अनिवार्य योजनाओं के लिए 1966-67 में 3.00 करोड़ रुपये के नियतन का अनुरोध किया था । तथापि राज्य सरकार ने ग्राम जल पूर्ति योनाओं के लिए 1966-67 की अपनी वार्षिक योजना में कोई व्यवस्था नहीं की थी । योजना आयोग ने इस राज्य सरकार से पूछा कि उसने वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देते समय ग्राम क्षेत्रों में जल पूर्ति के लिए अपेक्षित धन राशि को क्यों सम्मिलित नहीं किया तथा क्या वह अब वह ग्रामजल पूर्ति योजना के निमित्त अन्य निधियों में से कुछ रकम की व्यवस्था कर सकती है । राज्य सरकार ने राज्य योजना के लिए नियत राशि में से अपेक्षित रकम की व्यवस्था कर सकने में अपनी असमर्थता प्रकट की है और अब उसने अपनी योजना के लिए नियत धन राशि में अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये के नियतन का अनुरोध किया है । योजना आयोग इस विषय पर विचार कर रहा है ।

(2) **महाराष्ट्र** : राज्य सरकार ने गांवों में नलों द्वारा जल पहुंचाने की योजना के लिए 1.8 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि नियत करने के हेतु योजना आयोग से अनुरोध किया था । योजना आयोग ने इस विषय पर अपनी असमर्थता प्रकट कर दी है क्योंकि इस के लिए 1966-67 के केन्द्रीय

बजट में कोई व्यवस्था नहीं है, तथापि आयोग ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि उन्हें इस बारे में कोई भी आपत्ति नहीं होगी यदि राज्य सरकार राज्य की वार्षिक योजना में हेरफेर करके इस कार्यक्रम को चलायें ।

(3) **उड़ीसा** : योजना आयोग की उड़ीसा सरकार से 169.56 लाख रुपये लागत की एक योजना मिली है जिसमें कालाहाण्डी, बोलनगिर तथा फुलबनी जिलों के तेजी से विकास करने का एक विशेष कार्यक्रम है । इसका ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है तथा क्रियान्वित किये जाने से पूर्व इस पर केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन की मंजूरी ली जानी है । इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 1966-67 के दौरान यह मंत्रालय 10 लाख रुपये की एक टोकन व्यवस्था सम्मिलित करने का विचार कर रहा है ।

(4) **राजस्थान** : राज्य सरकार ने अपनी ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लिए चालू साल में 106.40 लाख रुपये की अतिरिक्त धन राशि के नियतन की प्रार्थना की थी । बाद में इस मांग को घटा कर 50 लाख रुपये कर दिया गया है । अभी यह प्रार्थना वित्त मंत्रालय (समन्वय विभाग) के विचाराधीन है ।

(5) **गुजरात** : गुजरात सरकार ने हाल ही में सुझाव दिया है कि उसकी ग्राम जल पूर्ति योजना को केन्द्र चालित योजना माना जाये क्योंकि राज्य सरकार राज्य योजना और हैल्थ सेक्टर के निमित्त नियत धन राशि में से (चौथी योजना अवधि में अपेक्षित) 43.05 करोड़ रुपये के खर्च को वहन करने में समर्थ नहीं होगी । इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में क्षय रोगी

1359. **श्री वाड़ीवा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में दिल्ली में क्षय रोगियों की संख्या बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1961 से 1965 की अवधि में प्रत्येक वर्ष में क्षय रोगियों की संख्या क्या थी; और

(ग) उक्त अवधि में कितने रोगियों की मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) (ख) और (ग). ऐसे कोई कारण नहीं हैं जिसके आधार पर यह विश्वास किया जाय कि दिल्ली में क्षय रोगियों की संख्या बढ़ गई है । गत पांच वर्षों में दिल्ली में कोई महामारी सर्वेक्षण नहीं किया गया है अतः इस अवधि में दिल्ली में क्षय रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा नहीं ऐसा निश्चित रूप से कह सकना संभव नहीं है । तथापि जैसा कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो जायेगा दिल्ली के विभिन्न क्षय रोग क्लीनिकों में पंजीकृत किये गये क्षय रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है:—

वर्ष	पंजीकृत रोगियों की संख्या	घातक सिद्ध हुए रोगियों की संख्या
1961	7661	564
1962	8702	663
1963	8686	641
1964	10821	818
1965	11431	728

उन क्षेत्रों में जहां पहले ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी नये क्लीनिक खोलकर रोगियों का पता लगाने की सुविधाओं के विस्तार कर देने से तथा 1964 से दिल्ली में यथा सम्भव सभी क्षय रोगियों का पता लगाने तथा उनका उपचार करने से संबंधित तीव्र अभियान चलाने के कारण ही सम्भवतया पंजीकृत रोगियों की संख्या में यह वृद्धि हुई है।

आगरा में आयकर सम्बन्धी अपीलें

1360. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64, 1964-65 और 1965–66 में आय धन कर के अपीलीय सहायक, कमिश्नर, आगरा (उत्तर प्रदेश) के आदेशों के विरुद्ध कितने मामलों में न्यायाधिकरण के समक्ष विभागीय तौर पर अपीलें की गई; और

(ख) उनके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): मांगी गई सूचना इस प्रकार है:—

	1963–64		1964–65		1965–66	
	आय कर	धन कर	आयकर	धन कर	आय कर	धन कर
(क) उन मामलों की संख्या जिनमें विभागीय अपीलें दायर की गई	16	2	17	—	68	1
(ख) (i) ऊपर (क) में से निपटायी गयी अपीलों की संख्या .	16	2	15	—	8	—
(ii) (ख) (i) में से उन मामलों की संख्या जिनमें अपील स्वीकार की गई . . .	1	2	1	—	—	—
(iii) ऊपर (ख) (i) में से उन मामलों की संख्या जिनमें अपील खारिज कर दी गई .	15	—	14	—	8	—
(iv) शेष अनिर्णीत . .	—	—	2	—	60	1

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये सिंचाई योजनाएं

1362. **श्री कृ० च० पन्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये छोटी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों की निम्नलिखित सिंचाई स्कीमों को चतुर्थ योजना में शामिल करने के लिये विचार कर रही है :

(1) हिल और दून घाटी में सिंचाई नहर की लाइनिंग ।

(2) दून घाटी में नहर की क्षमता को बढ़ाना ।

(3) गढ़वाल के भवर क्षेत्र में नहर की लाइनिंग करने की परियोजना ।

(4) भवर क्षेत्रीय नहर और हिल पर जल मार्ग की लाइनिंग ।

(5) पौढ़ी गढ़वाल जिले में 25 मील लम्बी नहर का निर्माण ।

(6) टेहरी गढ़वाल जिले में 20 मील लम्बी नहर का निर्माण ।

(7) नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में 38 मील लम्बी नहर का निर्माण ।

(8) दून घाटी में छोटी छोटी नहरें ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान धन की उपलब्धता के अधीन ये योजनाएं केवल अस्थायी रूप में ही हैं ।

दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन

1363. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

न्यू जेमेहारी खास तथा बबीसोल कोयला खानों में तालाबन्दी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि इस बारे में एक व्यक्तव्य दें :—

"न्यू जेमेहारी खास तथा बबीसोल कोयला खानों में तालाबन्दी जिसके परिणामस्वरूप सैंकड़ों श्रमिक बेरोजगार हो गये ।"

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : न्यूजेमेहारी खास कालियरी मालिक—भारत माइनिंग लि० 9-ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता) ।

सरकार को मिली सूचना के अनुसार 28 जुलाई, 1966 को न्यू जेमेहारी खास कालियरी में कोई तालाबन्दी नहीं थी। परन्तु यह रिपोर्ट मिली है कि 27 जुलाई को मैनेजमेंट द्वारा तीन श्रमिकों पर आरोप लगाए गए और परिणामस्वरूप कालियरी के 28 लोडरों ने उस दिन और 28 जुलाई, 1966 को पहली पारी में धीरे काम करने की प्रवृत्ति अपना कर विरोध प्रकट किया। मैनेजमेंट ने 28 जुलाई को दूसरी पारी में 9 ट्रेमेरों और ड्रैसरों को जबरी छुट्टी दे दी। संबंधित पक्षों में हुई बात-चीत में इस मामले पर समझौता होने के बाद उसी दिन तीसरी पारी के दौरान कालियरी में सामान्य रूप से काम पुनः चालू हो गया।

बाबीसोल कोलियरी : (मालिक—न्यू जेमेहारी खास कोलियरी कं० प्राइवेट लि०, पो० ओ० जे० के० नगर, जिला बर्दवान)।

श्रम और रोजगार विभाग को 2-8-66 को कोलियरी मजदूर सभा, आसनसोल के संगठन सचिव का 30 जुलाई, 1966 का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यह सूचित किया गया कि मजदूरों को राशन देने में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों, श्रम अधिकारी द्वारा कुछ मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार और बोनस की अदायगी की मांग के संबंध में आरोपों के कारण कालियरी में 30 जुलाई, 1966 से तालाबन्दी कर दी गई। 2 अगस्त को बबीसोल कालियरी के प्रबन्धों का एक तार भी मिला, जिसमें कोलियरी मजदूर सभा द्वारा कोलियरी में अव्यवस्था तथा कर्मचारियों और अफसरों पर आक्रमण करने की शिकायत की गई थी। उन्होंने कहा कि कोलियरी में जीवन माल सुरक्षित नहीं था तथा उन्होंने तत्कालिक हस्तक्षेप की मांग की।

बबीसोल कोलियरी के प्रबन्धकों द्वारा 30 जुलाई, 1966 से तालाबन्दी घोषित करने की सूचना मिली है। प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कलकत्ता 3-8-66 को उपबन्धकों के प्रतिनिधियों से मिले और झगड़े के विषय पर विचार-विमर्श किया। विचार विमर्श अभी जारी है। उनकी रिपोर्ट आने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक लाभांश की गैर-अदायगी का संबंध है, कोलियरी के प्रबन्धकों ने अभी तक अपने मजदूरों को बोनस भुगतान अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार 1964 का बोनस नहीं दिया है। प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कलकत्ता ने कोलियरी के प्रबन्धकों को 'कारण-बताओ नोटिस' (शो काज़ नोटिस) दे दिया है और उनसे यह पूछा है कि बोनस आदयगी अधिनियम, 1965 का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों न की जाय।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि बबीसोल कोयला खान में बहुत असंतोष पाया जाता है क्योंकि खान के मालिक ने वहां पर राशन की दुकान खोलने से इन्कार कर दिया है जबकि वे अनाज का भण्डार जमा किये हुए हैं और चोरबाजार में बेच रहे हैं। सरकार ने हाल ही में श्रम अधिकारी तथा उसके भाई के क्वार्टर से अनाज वसूल भी किया है। क्या सरकार इस अवैध तालाबन्दी को समाप्त कराने के लिये कुछ कार्यवाही करने वाली है ?

श्री शाहनवाज खां : जैसे ही हमें समाचार मिला हमने तुरन्त कार्यवाही करने के लिये प्रादेशिक श्रम अधिकारी को नियुक्त कर दिया था। वह बातचीत कर रहे हैं। बातचीत की समाप्ति पर ही कोई कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : खान मालिकों को जिन्होंने कर्मचारियों को बोनस देने से इन्कार कर दिया है तथा कर्मचारियों के अंगूठे लगाव कर उनको कम पैसा दिया है गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : हमने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं। उनकी अवधि समाप्त होने पर उन पर मुकदमा चलाया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण पश्चिम) : क्या यह सच नहीं है कि मालिकों ने दुराचरणों से सरकार तथा कर्मचारियों का ध्यान बदलने के लिये ही तालाबन्दी की है। इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा मैंने पहले ही बताया है श्रम अधिकारी बातचीत कर रहा है। जैसे ही वह अपनी जांच समाप्त कर लेंगे हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व) : गत वर्ष बोनस अधिनियम के पास होने के पश्चात् गैर-सरकारी क्षेत्र के खानों के मालिकों ने अधिनियम के अनुसार बोनस देने से इन्कार कर दिया है। सरकार ने यह भी कहा था कि यदि किसी खान के मालिक ने 31 मार्च, 1966 के अन्दर बोनस का भुगतान नहीं किया तो सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी। परन्तु अभी अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि बबीसोल कोयला खान के मालिकों को बोनस का भुगतान न करने पर कचहरी में मुकदमा चलाने की बजाय केवल कारण बताओ नोटिस ही दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने मालिकों के प्रति ऐसा रवैया क्यों अपनाया है ?

श्री शाहनवाज खां : यह प्रक्रिया का मामला है। नोटिस की अवधि 10 दिन है। इसके पश्चात् आगे कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जब सरकार को यह निश्चित जानकारी थी कि बबीसोल कोयला खान के मालिक ने बोनस का भुगतान नहीं किया है तो सरकार ने उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया। क्या कारण बताओ नोटिस अनिवार्य था ?

श्री शाहनवाज खां : द्विपक्षीय बातचीत अर्थात् प्रबन्धक तथा श्रमकों के बीच चल रही थी। अब यह बातचीत टूट गई है। हमने दस दिन के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

डा० रानेन सेन : कारण बताओ नोटिस जारी क्यों किया गया है ? सीधा मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGES

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I would like to say something on the Calling Attention Motion as my name was also included therein.

Mr. Speaker : I have called you only for the motion of Privileges.

Shri Ram Sewak Yadav : In Bihar Democracy is in danger. The Chief Minister has already ordered for firing to Suppress the people (*interruption*)..

Shri Bagri : Before the privileges motion there is an adjournment motion which may kindly be taken up.

Mr. Speaker : You cannot raise the question like this. Please take your seat.

Shri Bagri : According to the rules and regulations this motion is valid. In Haryana Prant and Rajasthan people are dying with starvation.

Mr. Speaker : You please take your seat otherwise I would have to call your name.

Shri Bagri : Mr. Speaker, Sir, you may please listen.

Mr Speaker : I cannot tolerate any more. You may please leave the House.

Shri Bagri : Mr. Speaker Sir.

Mr Speaker : I call Shri Bagri by name to leave the House.

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री बागड़ी, संसद् सदस्य, को जिनको अध्यक्ष महोदय ने नाम लेकर पुकारा है, दो सप्ताह के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री बागड़ी, संसद् सदस्य, को जिनको अध्यक्ष महोदय ने नाम लेकर पुकारा है, दो सप्ताह के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

Shri Ram Sewak Yadav : I was arrested on the 12th July, 1966 in Barabanki during a peaceful demonstration. I was taken to jail without being produced before the magistrate. I was not even told anything about the sections of I.P.C. under which I was arrested. Later in the day, however, I was told that I have been arrested under sections 332, 426 and 147 of the Indian Penal Code and also section 122 of the Railways Act. On the very day intimation about my arrest was sent to the Speaker wherein it was told that I have been arrested in defiance of sections 188 and 144. Firstly a wrong information was given to the Speaker because it was not actually under sections 188 and 144 but under sections, already mentioned, that my arrest took place. The warrant that was issued to me was dated 14th July when I was already in jail and about which authorities told me only on the 16th July. It is quite clear from above, that the charge of defying section 188 is wrong and the facts have been suppressed.

I was released only on furnishing two bail-bonds, *i.e.*, one in the case under 188 and the other in the case under 332, 426 and 147.

Besides all this I was also beaten by the Police sub-inspector. I am thankful to the Speaker that he has already taken some action in this regard. It constituted a serious encroachment upon the rights and privileges of the Members.

I would like to request that the whole matter may be referred to the Committee of Privileges.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : There are two things in this case. One the truth has been concealed and no information has been given to you regarding the sections of the Indian Penal Code under which the arrest took place. Secondly wrong information has been given to you about the Sections. Therefore, I request that this may be referred to the Committee of privileges.

Shri S.M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Speaker, Sir, you were informed, as has been said by Shri Jadav that the arrest of Shri Yadav was made under Sections 144 and 188 whereas some other sections were also imposed upon him. This has happened in the case of Member Parliament and this can be referred and should be referred to Committee of Privileges. I have already requested and I would again like to request that thousands of sections have been imposed in connection with 'Uttar Pradesh Bandh' .....

Mr. Speaker : All this cannot be raised at this time.

Shri S. M. Banerjee : This case may be referred to the Committee of Privileges.

Shri Bade (Khargon) : I would like to say that he was arrested under Section 188 and other sections were imposed later on. Authorities concerned also intimated wrong sections to the Speaker. Therefore, I would request that serious notice should be taken of and I also call for a strong action.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं आप का ध्यान नियम 229 की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय सदस्य का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मेरा विचार है कि इस नियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। श्री राम सेवक यादव द्वारा इस सभा में बताये गये तथ्यों को देखते हुए नियम 229 के उल्लंघन तथा उनके साथ किये गये दुर्व्यवहार की जांच की जानी चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि जेल के भीतर उनकी मारपीट की गई है तथा उनको गाली आदि दी गई हैं तो मैं निवेदन करूंगी कि आपको पुलिस की रिपोर्ट पर निर्भर न रह कर निष्पक्षरूप से जांच करानी चाहिये।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : I would like to know whether you will trust the hon. Member who have got injuries and who tells you about them or to the police ?

Mr. Speaker : So far as I am concerned I will trust the hon. Member. But we cannot create new privileges. The question is whether the correct information was furnished and that too immediately by the authorities concerned whosoever have made the arrest or not. How the allegation has been made that correct and immediate information was not given in this case. I would like to know what the hon. Minister would say in this case.

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक): प्रश्न यह है कि क्या नियम 229 का उल्लंघन हुआ है। यह ठीक है कि यदि किसी व्यक्ति को धारा 188 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो यह आवश्यक है कि उसके लिये वारंट लिये जायें। परन्तु भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 64 और 65 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में गिरफ्तारी अमल में लाई जाये तो वारंट की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं कि मुझे यह सूचना दी गई थी कि सदस्य को धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। क्या उनको अन्य धाराओं के अन्तर्गत भी गिरफ्तार किया गया है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : ऐसा पता लगा था कि उन्होंने अन्य धाराओं के अन्तर्गत भी अपराध किये हैं तथा उन धाराओं के अधीन पुलिस ने मुकदमा पेश किया तथा स्वयं मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किये थे। अब प्रश्न यह है कि क्या एक और सूचना सभा को दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या नियम 229 तथा इससे संलग्न तीसरी अनुसूची का पर्याप्त रूप से अनुसरण किया गया है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : यदि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई अपराध किया जाता है तो बिना वारंट के भी सम्बन्धित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे मामले में यह कहना कि सम्बन्धित व्यक्ति की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है ठीक है। इसलिये सभा को जो सूचना भेजी गई थी वह ठीक थी। जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है यह ठीक है कि कोई अलग सूचना नहीं दी गई थी। प्रश्न यह है कि जब एक बार उनको गिरफ्तार किया गया . . . .

अध्यक्ष महोदय : जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो यह अपराधिक आरोप था और जब मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया तो यह दण्डनीय अपराध था। यह दोनों नियम 229 में शामिल हैं।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : अब प्रश्न यह है कि क्या जब मुकदमा शुरू हुआ तो वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को इस सभा को पुनः सूचना देनी चाहिए थी।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : जब उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया तो अन्य वारंट जारी करने की क्या आवश्यकता थी। वारंट तब जारी किया जाता है जब व्यक्ति जेल में नहीं होता। मन्त्री महोदय को स्पष्ट करके बताना चाहिये . . . . अन्तर्बाधा

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री महोदय का यह मतलब है कि जब एक किसी सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना सभा अथवा अध्यक्ष को दे दी जाती है तो यदि उन पर अन्य दण्डनीय अपराध लगाये जाते हैं तो अध्यक्ष को कोई सूचना नहीं भेजी जाती है? क्या यह स्थिति है?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : इस मामले के लिये कोई पूर्व दृष्टान्त नहीं है। यह मामला इस प्रकार है कि धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी परन्तु जब यह पता लगा कि कुछ अन्य अपराध भी किये गये हैं और मामला न्यायालय में चला गया तो मजिस्ट्रेट ने अन्य धाराओं के अन्तर्गत पुनः वारंट जारी किये। यह बहुत ही तकनीकी मामला है कि एक व्यक्ति . . . . अन्तर्बाधा

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री की यह राय है कि इसके लिये कोई पूर्व उदाहरण नहीं है और यह बहुत तकनीकी मामला है तो मैं जांच के लिये समिति को सौंप दूंगा।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I would like to know whether it is a concern of Law Minister or Home Minister. It is the duty of Home Minister to protect the respect and dignity of the Members.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): मैं श्री अशोक मेहता की ओर से 'चौथी पंचवर्षीय योजना' के बारे में श्री ईरा सेझियान तथा अन्य सदस्यों द्वारा 28 जुलाई, 1966 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर को शुद्ध करने वाला एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6649/66]

श्री ल० ना० मिश्र : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं : —

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :——

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 59वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 23 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1150 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 60वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 23 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1151 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या, एल०/टी० 6650/66]**

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1152 की एक प्रति जो दिनांक 23 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6651/66]**

(3) (एक) सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत डाकखाना बचत-पत्र (सशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस आर० 633 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 6652/66]**

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6652/66]**

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कु० ल० राव): राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केवल बिजली शुल्क अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 220/66 की एक प्रति मैं सभापटल पर रखता हूं जो दिनांक 7 जून, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6653/66]**

श्री ल० ना० मिश्र: मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 की धारा 130 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा केरल भूमि सुधार (पट्टेदारी) नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 240/65 जो दिनांक 8 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 256/65 जो दिनांक 15 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 425/65 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) एस० आर० ओ० संख्या 453/65 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) एस० आर० ओ० संख्या 454/65 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) एस० आर० ओ० संख्या 28/66 जो दिनांक 8 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) एस० आर० ओ० संख्या 143/66 जो दिनांक 5 अप्रैल, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) एस० आर० ओ० संख्या 147/66 जो दिनांक 5 अप्रैल, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) एस आर० ओ० संख्या 150/66 जो दिनांक 5 अप्रैल, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दस) एस० आर० ओ० संख्या 152/66 जो दिनांक 5 अप्रैल, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्यारह) एस० आर० ओ० संख्या 164/66 जो दिनांक 19 अप्रैल, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बारह) एस० आर० ओ० संख्या 200/66 जो दिनांक 17 मई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेरह) एस० आर० ओ० संख्या 236/66 जो दिनांक 14 जून, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौदह) एस० आर० ओ० संख्या 237/66 जो दिनांक 14 जून, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6654/66]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित पट्टाज़ी देवास्वोम भूमि (निधान तथा मताधिकारदान) अधिनियम, 1961 की धारा 12 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 21/66 की एक प्रति जो दिनांक 1 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पट्टाज़ी देवास्वोम भूमि (निधान तथा मताधिकारदान) नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6655/66]**

(3) ऊपर की मद संख्या (1) की (एक) से (ग्यारह) और मद संख्या (2) में बताई गई अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6656/66]**

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि पिछले वर्ष 8 और 15 जून को जारी की गई अधिसूचनाओं को आज सभापटल पर रखा गया है । इसके क्या कारण हैं ।

श्री ल० ना० मिश्र : विलम्ब के लिये मुझे खेद है । मैं विलम्ब के कारणों का पता लगाकर अपना बताऊंगा ।

मंत्री परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS— *Contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा 1 अगस्त 1966 को श्री ही० ना० मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है"

श्री रा० गि० दुबे अपना भाषण आगे जारी करेंगे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री रा० गि० दुबे (बीजापुर उत्तर) : जहां तक हमारी विदेश नीति का सम्बन्ध है इस देश तथा मानवता के हित में पंडित नेहरू ने जो कुछ किया, इस समय उसकी निन्दा करने की मनोवृत्ति देखने में आ रही है । उनकी दी हुई तटस्थता की नीति के कारण भारत को बहुत लाभ हुआ है । इससे संसार में विशेषकर अफ्रीकी-एशियाई देशों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है । जहां तक चीन की नीति का सम्बन्ध है वह देश शांति स्थापित नहीं करना चाहता। वह युद्ध को बढ़ावा देना चाहता है । वह दूसरे देशों में इस युद्ध को भड़काना चाहता है । इसी कारण चीन को इन्डोनेशिया तथा कुछ तटस्थ देशों के सामने अपमान सहना पड़ा। बड़े शक्तिशाली देश युद्ध के हक में नहीं हैं और वह शांति स्थापित करना चाहते हैं । इसके विरुद्ध भारत के नेता भारत तथा अन्य देशों के मध्य मित्रता स्थापित करने के लिए अन्य देशों का भ्रमण कर रहे हैं ।

जहां तक आर्थिक नीति का सम्बन्ध है मूल्यस्तर को नीचे लाने के लिए कुछ ठोस कार्य किया जाना चाहिये । अत्यावश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर दी जानी चाहियें । एक "सुपर" बाजार पर्याप्त नहीं है । लगभग प्रत्येक गांव में सहकारी भंडार होने चाहियें और उन पर प्रभावशाली नियंत्रण होना चाहिये । इस से मूल्यस्तर को नीचा लाने में काफी सहायता मिलेगी । युगो-स्लाविया में बचत सम्बन्धी कुछ उपाय अपनाये गये थे । यह उपाय हमारे लिये भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं ।

खाद्य उत्पादन को बढ़ाना उद्योग के विकास से भी अधिक आवश्यक है ताकि हम आत्म-निर्भर बन सकें । खाद्य के उत्पादन पर ही मूल्य ढांचा निर्भर करता है । यदि खाद्य उत्पादन निश्चित स्तर पर हो जाये तो मूल्य ढांचे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है । खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए जिला यूनिटों को अवश्य ही सक्रिय बनाया जाना चाहिये । इस समय किसान को खाद और अन्य सामग्री की आवश्यकता है। उपायुक्तों तथा अन्य अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपयुक्त निधि दी जानी चाहिये जिस से वे कामगर बन सकें । जिला अधिकारियों में सहयोग नहीं है । इस पर भी विचार किया जाये ।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : यह बड़ी अजीब बात है कि प्रस्तावक मुख्यत: अपने देश की कुछ घटनाओं के लिए नहीं बल्कि वियतनाम में असफलताओं के लिए सरकार की निन्दा कर

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

रहे हैं। मेरी समझ में यह कहना ठीक नहीं है कि हमारी सरकार वियतनाम की समस्या पर दोहरी बातें करती रही है । अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष होने के नाते भारत के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह पक्षपात करे। वास्तविकता यह है कि अध्यक्ष होने के नाते हमने अपना कर्त्तव्यपालन करने का प्रयत्न किया है । हमने आक्रमण की निन्दा की है। हमने बमबारी की तथा युद्ध के और बढ़ने की निन्दा की है तथा शांतिपूर्वक समस्या को सुलझाने के लिये प्रस्ताव रखे हैं। हमने सुझाव दिया है कि इस समस्या का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। इसका राजनैतिक समाधान होगा। इस युद्ध के लिए दोनों पक्ष उत्तरदायी हैं। दोनों पक्ष युद्ध का आतंक फैला रहे हैं। यह आतंक कोई भी क्षमा नहीं कर सकता किन्तु इसके लिए एक पक्ष को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता । यदि हम पक्षपात का रवैया अपनायें और उन देशों से एकमत हो जायें जिन से इस देश के कुछ लोग प्रेरणा लेते हैं और अपनी तटस्थता की नीति और गैर-पक्षपाती प्रकृति को त्याग दें तो यह उचित नहीं होगा और इसे हम परिपक्व राजनय नहीं कह सकते।

विरोधी सदस्य ने कहा है कि प्रधान मंत्री "साम्राज्यवाद" शब्द की व्याख्या नहीं कर सकी हैं। उन्हें साम्राज्यवाद की व्याख्या की बातें करना शोभा नहीं देता । 1939 में जब यह देश विदेशी साम्राज्य के नीचे दबा हुआ था, श्री ही० ना० मुकर्जी तथा उनके दल ने साम्राज्यवादी युद्ध को जनता का युद्ध कहा था और किसी देश के युद्ध में भाग लेने से साम्राज्यवाद का नाम ही बदल दिया गया था ।

श्री ही० ना० मुकर्जी का यह विचार गलत है कि सभी विदेशी सहायता एक अभिशाप है । हम अपनी प्रभुसत्ता खोये बिना अपने हितों के लिए विदेशों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों को केवल इस बात पर आपत्ति है कि कुछ देशों से सहायता क्यों प्राप्त की जा रही है ।

कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी एक भी परियोजना का उदाहरण नहीं दे सकता जहां सरकार को देश के हितों का सौदा करने का दोषी ठहराया जा सके । सहायता ऐसी अवस्था बनाने के लिये ली जा रही है कि फिर किसी भी दूसरे देश पर निर्भर रहने की आवश्यकता न रहे। इसका अर्थ यह है कि सहायता केवल इस कारण ली जा रही है कि इसके बाद सहायता लेना समाप्त हो जाये। विदेशी सहायता पर निर्भर रहने और विदेशी सहायता के अभ्यस्त होने के खतरों से हम भली प्रकार परिचित हैं ।

यह कहा गया है कि देश में गड़बड़ी का कारण प्रतिरक्षा पर अत्याधिक व्यय है। यह सुझाव भी दिया गया है कि हमें चीन और पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध ठीक करने के लिए पहल करनी चाहिये परन्तु यह बात भुला दी गई है कि 1962 तक चीन के गन्दे तथा मक्कारी भरे प्रचार के कारण हमें अपनी प्रतिरक्षा के मामले में बहुत संतोष था और हमने प्रतिरक्षा पर अपना व्यय यथासम्भव कम रखा हुआ था क्योंकि हम शांति और देश के आर्थिक विकास की विचारधारा के लिए वचनबद्ध थे। परन्तु चीन ने हम पर आक्रमण करके हमें बड़ा धक्का पहुंचाया है। यदि ऐसा न होता तो भारत न तो अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था पर इतना अधिक व्यय करता और न ही उसका इतना विस्तार करता । जब हमारा देश प्रतिरक्षा के मामले में खतरा नहीं ले सकता । पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं तथा चीन और पाकिस्तान के बीच दुर्भिसन्धि को देखते हुए इस सदन का कोई सदस्य यह नहीं कह सकता कि प्रतिरक्षा पर व्यय कम किया जाना चाहिये। हम अपने देश को पुनः कमजोर होने नहीं दे सकते। प्रति-

रक्षा पर खर्च को कम करने का दूसरा उपाय यह बताया गया है कि हम अमरीका से अपनी प्रतिरक्षा के लिए कहें परन्तु इस प्रकार तो सरकार का अधिराज्य हो जायेगा। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अब देश अपनी प्रतिरक्षा के मामले में कोई खतरा नहीं उठा सकता।

यदि अमरीका तथा विश्व बैंक भी यह मांग करें कि प्रतिरक्षा पर व्यय कम किया जाये तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी परन्तु आज देश के लोग यह चाहते हैं कि सरकार देश की अखंडता की सुरक्षा करे। हम उस खतरे से अनभिज्ञ नहीं हैं जो कि चीन तथा पाकिस्तान के गठबन्धन से देश को पैदा हो गया है। एक ओर यह कहना कि हम सम्भव आक्रमण को देखते हुये भी अपनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारियां कम कर दें और दूसरी ओर यह कहना कि वियतनाम के मामले में हम युद्ध-प्रिय रवैया अपनायें देश भक्ति की कड़ी उपेक्षा है।

श्री रंगा कहते हैं कि हम वर्तमान प्रधान मंत्री को प्रधान मंत्री बनाने केलिए तैयार हैं। परन्तु राष्ट्रीय सरकार बनाई जानी चाहिये। इसका अर्थ यह है कि वह केवल सरकार में हिस्सा चाहते हैं परन्तु इसका तरीका सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना नहीं है। ऐसा विचार उत्पन्न किया गया है कि सरकार गैर-सरकारी हितों के सामने और अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार पूंजी के समक्ष झुक गई है तथा सरकारी क्षेत्र अब समाप्त किया जा रहा है। परन्तु यह नहीं बताया गया है कि वास्तव में नीति में क्या परिवर्तन किया गया। सरकारी क्षेत्र को संकुचित नहीं किया गया है। औद्योगिक नीति है संकल्प में कोई संशोधन नहीं हुआ है। सरकार सम्पत्ति के केन्द्रीय करण को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही करने के पक्ष में है। विरोधी दल समय-समय पर सदन में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करके केवल अपना आत्म-विश्वास बनाये रखना चाहते हैं। उन्हें समय समय पर यह अनुभव होता है कि निर्वाचन में वह नहीं जीत सकते और सरकार की निन्दा द्वारा वे एक दूसरे में आत्म-विश्वास बढ़ाते हैं और अपने आप को यह संतोष देने का प्रयत्न करते हैं कि भविष्य में भी वे कुछ आशायें रख सकते हैं। मैं सभा से यह प्रस्ताव अस्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore) : The economy of a country depends, to a great extent, upon its currency. Our country has devalued her currency twice. In 1949, it was devalued by 44 percent and in 1966 it has been devalued by 57·5 per cent. The value of currency has, thus, gone down by 82·8 percent. We have suffered to a great extent in the matter of import and export as a result of this devaluation. It has caused inflation. This is a cause of concern for every Indian and we should seriously consider this matter.

The Government is completely responsible for deterioration of the economy of the country. The Government invested money in such projects which have yielded no results. The return on such investment is very meagre. The Government invested Rs. 63 crores in Heavy Electricals, Bhopal but the annual income is only about six crores. The economy cannot be strengthened by unproductive expenditure.

It is wrong to foretell that we shall have not to devalue our rupee after 1966 at all. For the last ten years India has seen worst days in production. In this direction we have been far behind our neighbour countries. I want to ask the Government to state what benefit the country has derived from these three Five Year Plans. We desire that our economy should be taken proper care of. If we don't adopt measures to wipe up our economy, it is certain that we shall have face very terrible days and Government at that time may have to take the drastic measure of this type.

Best way to avoid the situation the worst time, it is very essential to take up measures of economy. At every stage the expenditure should be cut down. It is really sad that before doing this decision of devaluation, no-body was consulted at all. Even the Parliament was not taken into the confidence. I am confident that if the Government would have come before the country with open mind regarding this matter, the country as a whole would have risen like one man to do whatever sacrifice had been required to put up. Let me in this direction point out that although public Accounts Committee have made a number of recommendations

[Shri Prakash vir Shashtri]

regarding reduction of expenditure. It has suggeted certain ways to reduce the expenditure. But it is very sad that the Government have all together paid no heed to these suggestions and recommendations. Let me point out that huge expenditure is incurred by Central Social Welfare Board and the P.A.C. recommended that this expenditure should be curbed down. But it is very sad that this advice has been totally ignored, on the other hand several tactics are employed to continue the Board and its Chairman. The same is the situation almost, in connection with the Ministry of Community Development

Now, I come towards the expenditure of the Ministers. Government are spending thousands of rupees on Ministers and their residences and cars. The audit has also pointed out certain things in this connection. This question can very pertinently be asked that why could not the Ministers make sacrifices when people are constantly asked to do all that they could ? We are spending lacs on our Foreign Missions. This expenditure should also be reduced. Moreover, the number of cabint Ministers should also be cut down. We can go on with little small compact cabinet and thus save sufficient public money. Also I may urge that restrictions should be imposed on the Foreign travels and imports which are absolutely unnecessary.

Government want that the people of the country to do sacrifice, but they pay no heed towards cutting the expenditure. We are under heavy foreign debt. The ones of this Government will have to be faced by the generations to come. The currency notes of 48 billion rupees can be brought down to 18 billion of rupees. This is also a fact that government have devalued the currency under the pressure of the America and the world Bank.

Our foreign policy has been a total failure. I can safely say that something towards Kashmir will be done under the pressure of U.S.S.R. It is a matter of great regret that in the state of Jammu and Kashmir, there has been books, prescribed for study in the educational institutions which openly state that India has forcibly occupied Kashmir. In these books there are other objectionable portions also, which go against the spirit of the constitution. I want to urge upon the government that adequate attention should be paid to the affairs of Jammu and Kashmir State. We are spending crores of rupees of public fund in Kashmir, we must also look into the happenings there.

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर): मैं अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करने खड़ा हुआ हूं। मैंने विरोधी पक्ष के लोगों के भाषण सुने हैं। बहुत सी परस्पर विरोधी बातों को सुनना पड़ा है । प्रो० मुकर्जी, प्रो० रंगा और श्री मसानी के भाषण हमने सुने हैं। ये लोग चाहते हैं कि योजना आयोग को छुटटी दी जाय, करों को कम किया जाय और विदेशी सहायता और ऋण कम लिये जायं । स्वतन्त्र दल वाले चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र को तो बिलकुल छोड़ ही दिया जाय। वे नहीं चाहते कि गैर-सरकारी उपक्रमों को बहुत स्वतंत्रता देना चाहते हैं । उनका यह भी विचार मालूम होता है कि मजदूर वर्ग का जितना सम्भव हो सके शोषण किया जाय । । मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि ये लोग गुजरात में सत्ता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि ये लोग हर रोज परियोजनाओं को चालू करने की बातें करते रहते हैं। मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि यदि हम ने योजना आयोग को समाप्त कर देना है तो यह परियोजनायें कैसे चल सकेंगी। स्वतंत्र पार्टी नर्मदा और उकाई परियोजनाओं की वकालत करती है। योजना आयोग के बिना तो इस दिशा में कुछ भी नहीं हो सकता।

स्वतंत्र पार्टी वाले कुछ भी दावे क्यों न करें यह एक सचाई है कि वे सामन्तवादियों और पूंजीपतियों के कर्मचारियों ने बनाई है। उसमें सभी प्रतिक्रियावादी लोग शामिल हो गये हैं। इनकी किसी भी विषय पर नीति स्पष्ट नहीं है। भाषा और काश्मीर के मामले में तो उनकी कोई नीति है ही नहीं। कितने आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्र पार्टी के एक नेता ने सारे राष्ट्र की एकता पर भाषण देते हुए अन्ततोगत्वा काश्मीर के विभाजन का समर्थन किया। सरकार इसके विपरीत बिलकुल स्पष्ट कर चुकी है कि धर्म के आधार पर अब और कोई विभाजन इस देश में नहीं होगा। यदि ऐसा किया गया तो यह भारत के धर्म निरपेक्षता के आधारभूत विचार पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा जो कि नहीं होने दिया जायेगा।

स्वतन्त्र पार्टी ने सुझाव दिया कि सर्वदलीय सरकार का निर्माण किया जाय। इस मामले में हम परस्पर विरोधी विचारों के हैं। स्वतन्त्र पार्टी का यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे दल की नीतियां स्वतन्त्र दल की नीतियों से एकदम विपरीत है। उनमें मत ऐक्य कैसे स्थापित किया जा सकता है। इस दिशा में मैं केवल इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि बुद्धिमानों की सरकार के पक्ष में तर्क देना बिल्कुल अर्थहीन तथा मतिहीनता की बात है। लगभग छः मास बाद चुनाव हो रहे हैं और यह आश्चर्य की बात है कि अलग अलग विचारधारायें लिये हुऐ ये विरोधी दल एक साथ कांग्रस के विरोध में मिल कर चुनाव लड़ रहे हैं। सत्ता प्राप्त करने की लालसा कई बार घोर विरोधियों और शत्रुओं को भी परस्पर मित्र बना देती है। इस संदर्भ में मुझे इस बात का खेद है कि लोकतन्त्र पर पूर्ण विश्वास रखने वाला कोई विरोधी दल इस देश में पनप नहीं पाता है। लोकतन्त्र में एक शक्तिशाली विरोधी दल की हमेशा अपेक्षा रहती है। छोटे-छोटे गुटों से बिल्कुल काम नहीं चल सकता।

आज तो देश में जो स्थिति निर्माण हुई है उसमें कुछ विरोधी दल गठबन्धन करके देश में गड़बड़ करना चाहते हैं। साधारण जनता इस गड़बड़ में कोई भाग नहीं लेना चाहती। वे तो आर्थिक स्थिरता और देश भी खुशहाली की आकांक्षा लिये हुए हैं। और इस तथ्य से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि स्वतन्त्रता के बाद देश ने बहुत प्रगति की है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष में हमारी विजय का श्रेय हमारे वीर जवानों के रण कौशल साहस और वीरता को है। इसे हमारी समाजवादी नीति की विजय भी कहा जा सकता है। मेरा निवेदन इस दिशा में यह है कि हमें अपनी प्रतिरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, परन्तु विकास और प्रतिरक्षा का कार्य साथ-साथ चलना चाहिये। योजना के कार्य को भी गम्भीरता से करते हुए उसे सफलता की ओर ले जाना चाहिए।

श्री मोहम्मद कोया (कोजीकोड') : पदासीन दल द्वारा जो लोकतन्त्र पर भाषण हो रहे हैं उन्हें हम शान्ति से सुन रहे हैं। हमें भी लोकतन्त्र पर विश्वास है परन्तु जिस लोकतन्त्र का समर्थन सत्ताधारी कर रहे हैं उसमें हमारा विश्वास नहीं है। लोकतंत्र वह होता है जहां सत्ताधारी दल को रचनात्मक आलोचना करने का पूरा अधिकार हो। परन्तु आज ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि सत्ताधारी दल को यह डर है कि उनकी नीति की पोल खुल जायेगी। यह खेद की बात है कि हमारे यहां ब्रिटेन की तरह का विरोधी दल नहीं है परन्तु सचाई यह है कि इसके लिए भी सत्तात्ताधारी दल ही उत्तरदायी है। लोगों को पदों के लालच देकर विरोधी दलों में से तोड़ लिया जाता है।

कहा गया है कि सभी विरोधी दलों की भी नीति एक नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की विषमता स्वयं कांग्रस में भी पाई जाती है। आज तो बड़ी स्पष्ट बात है कि कांग्रेस में परस्पर विरोधी विचारों के लोग पनप रहे हैं। यदि श्री रंगा और श्री मुकर्जी के विचार नहीं मिलते तो श्री कामराज और कृष्ण मेनन भी एक ढंग से नहीं सोचेंगे। कामराज-इन्दिरा भी काफी दूर जा रहे हैं। अतः मेरा कहना यह है कि कांग्रेस को यह बात कभी भी नहीं सोचनी चाहिए कि उसे चुनाव में पराजित नहीं किया जा सकता। जो बहुमत वह चुनावों में प्रत्येक बार प्राप्त कर लेती है। वह स्थायी रहने वाला नहीं है। लोग मूर्ख नहीं हैं, उनके कामों की कलई शीघ्र ही जनता पर खुल जायेगी।

कहा गया है कि देश के हित में अवमूल्यन करना अनिवार्य हो गया था। आज देश में भयंकर आर्थिक स्थिति निर्माण हो रही है। इस सारी स्थिति के लिए यही पदासीन दल उत्तरदायी है। सरकार गलत कृत्य भ्रष्टाचार और गलत योजनाओं के फलस्वरूप ही ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है। और इसी स्थिति के कारण विदेशों के प्रभुत्व के कारण अवमूल्यन

[श्री मोहम्मद कोया]

करना पड़ा है। क्या यह विचित्र बात नहीं कि 19 वर्ष के अपने राज्य में लोग देश के समस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकी इस पर भी वह अपने शासन पर निरन्तर अधिकार रखने का दावा करती है। जिस देश में लोगों को भर पेट खाना नहीं उपलब्ध हो रहा हो उसका सत्ताधारी दल यह दावा करता है कि उसने देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए प्रयास किये हैं। देश में कीमतें इतनी बढ़ गयी है कि लोगों का दम निकलने लगा है। हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय तुलनात्मक दृष्टि से सब देशों से कम है। विभिन्न नगरों में दंगे हुए हैं। परन्तु हमारी सरकार ने कुछ भी नहीं किया।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करने के हेतु खड़ा हुआ हूं। मेरा यह भी विचार है कि इस प्रस्ताव को किसी भी दिशा में और किसी भी व्यक्ति द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया गया। आने वाले चुनावों के लिए विरोधी दलों की एक चाल है। वैसे लोकतन्त्र में अविश्वास के प्रस्ताव का बड़ा ही महत्व होता है। इसमें सरकार को उखाड़ फेंकने का अभिप्राय निहित होता है। परन्तु हमारे यहां के विरोधी दल को पता है कि उसके बस का कुछ करना नहीं है। और उस अविश्वास प्रस्ताव का हाल भी वही होने वाला है जो कि इससे पहले हो चुका है। फिर भी जो बातें इन लोगों ने कही हैं उसका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे।

दो ही बातों पर अधिक जोर दिया गया है। वियतनाम और अदमूरत इसके बारे में काफी कुछ अधिकृत रूप से जो कहा जा चुका है। अवमूल्यन के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है। फिर भी मेरा सरकार को सुझाव है कि जिन अनुवर्ती पगों की पहले से घोषणा की है उनके अतिरिक्त भी अधिक कार्य करना चाहिये ताकि अवमूल्यन की दिशा ठीक बैठ सके और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। मेरा यह भी निवेदन है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सका है। चौथी योजना में इस बारे में ठोस पग उठाये जाने चाहिये। विदेशों पर निर्भर रहने की आदत हमें छोड़नी होगी यह बात मैं ने हर बार यहां कही है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई मुख्य कारण है। सिंचाई के साथ बाढ़ों का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। बाढ़ तथा सूखा कृषि उत्पादन के दो बड़े शत्रु हैं। मेरा कहना यह है कि पीड़ित क्षेत्र में बाढ़ नियन्त्रण तथा सारे देश में सिंचाई सुविधा देना विशेष कर सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिये। विदेशों से ऋण लेते समय भी हमें कुछ जागरूकता से काम लेना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी ऋण केवल कृषि उत्पादन तथा उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए ले जिन्हें हम निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमा सकें। मेरे विचार में वर्तमान कठिनाई से निकलने का यही एक मात्र मार्ग है।

मेरा यह आग्रह है कि हमें बड़ी गम्भीरता से यह सोचना चाहिए कि क्या हमने अपनी प्रयोगशालाओं में काम करने वाले अनुसन्धान करने वाले लोगों की सेवाओं का पूरा लाभ उठाया है। यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो हमें उनके कारणों का पता करना चाहिए। आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर हमें देशी वस्तुओं के विकास के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जहां देशी ज्ञान के विकास की सम्भावना है हमें दीर्घकालीन विदेशी सहयोग के समझौते नहीं होने देने चाहिये।

सरकार को इस बात को भी आश्वस्त करना चाहिये कि जो अनुवर्ती कार्य सरकार करने जा रही है उसके परिणामस्वरूप पुनः अवमूल्यन की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिये। सरकार को इस दिशा में काफी जागरूक रहना है और उसे इस बात का ध्यान रखना है कि अवमूल्यन का देश पर गलत प्रभाव न पड़े। यह बात भी उपेक्षा नहीं कि जानी चाहिए कि अवमूल्यन के बाद देश के भीतर की चीजों के दाम भी बढ़े हैं। सरकार को उन्हें रोकने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। एक उपयुक्त कार्य-प्रणाली स्थापित करनी चाहिये जो केवल कीमतों को ही बढ़ने से न रोके प्रत्युत उसका निरन्तर प्रयास हो कि मूल्यों की बढ़ने से रोका जाय।

मूल्यों को बढ़ने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए नगरों में उपभोक्ता स्टोर तथा ग्रामीण क्षेत्र में बहुउद्देशीय सहकारी समितियां ही केवल दो उपाय हैं। प्रयास किया जाना चाहिए कि इसका जाल सारे देश भर में फैल जाय। प्रत्येक व्यक्ति को इन सस्ती दुकानों से सस्ता माल मिलना चाहिए। मुनाफाखोरों और चोर बाजारी करने वालों को खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। यदि करों में वृद्धि हुई तो मूल्यों में भी साथ ही साथ वृद्धि हो जायेगी।

मुझे पूरा विश्वास है कि सभी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : प्रतिपक्ष वालों ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है परन्तु, उनकी सामूहिक रूप से इतनी संख्या नहीं है कि वह अपनी सरकार बना सकें। इसलिये इस अविश्वास के प्रस्ताव की वह गम्भीरता नहीं बनी रह सकी। मैं ने यहां पर किये गये भाषणों को ध्यान से सुना है। सभी सदस्यों ने देश की बड़ी-बड़ी समस्याओं पर अपने विचार करके सरकार का ध्यान उस ओर दिलाया है। यहां पर हो रही चर्चा की पूरे देश में प्रतिक्रिया होगी। आगामी चुनाव बहुत निकट आ रहे हैं। हमें मतदाताओं के समक्ष अपनी बात रखनी होगी। आज देश बहुत गम्भीर स्थिति से जा रहा है। सभी दलों में एकता की भावना की बहुत आवश्यकता है।

हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे देश के शत्रु नहीं हैं। अभी हाल ही में हमारे देश पर दो देशों का आक्रमण हो चुका है। वे हमारे देश की प्रादेशिक अखण्डता को हानि पहुंचाना चाहते हैं। वे हमारे देश के लोगों में षड़यन्त्र की भावना फैलाना चाहते हैं।

हमारे देश की जनता को शीघ्र आगामी पांच वर्षों के लिये सरकार चुननी होगी। क्या हमारी पिछले पांच वर्षों की सरकार ने ठीक प्रकार से कार्य किया है या नहीं। उन्हें इस पर विचार करना होगा। देश में एकता की भावना की इस समय बहुत आवश्यकता है।

हमें याद रखना चाहिये कि यदि वित्तीय व्यवस्था की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया और यदि मूल्यों को स्थिर नहीं किया गया तो देश में बड़े पैमाने पर दुर्व्यवस्था फैल जायेगी। सरकार को अपने पिछले अनुभव से लाभ उठाना चाहिये।

राष्ट्रीय संकट के दौरान समूचे देश ने एकता का परिचय दिया है। ऐसे समय में लोगों ने अपने मतभेदों को भुला दिया था। आज फिर फूट के अंकुर दिखाई पड़ने लगे हैं। हमें इस प्रकार की सरकार बनाने के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे और जो किसी एक दल की न हो।

कांग्रेस एक बड़ा दल है। इसके महान् व्यक्ति नेता रह चुके हैं। हमें अपने दलगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र के हितों को ध्यान में रख कर कार्य करना चाहिये। देश की जनता के समक्ष

[डा० म०० श्री अणे]

एकता के विचार रखे जाने चाहियें, ताकि वे एक ठीक और प्रतिनिधि सरकार के लिये व्यक्तियों का चयन कर सकें ।

श्री जोकीम अल्वा (कनारा) : प्रतिपक्षी दलों में बहुत से ऐसे सज्जन हैं जो पहले हमारे साथी थे परन्तु खेद की बात है कि वे अब हमारे दल में नहीं हैं ।

यदि अफ्रीका से दक्षिण-पूर्वी एशिया तक देखा जाये तो पता चलेगा कि केवल हमारे ही देश में स्वतन्त्रता कायम है । अफ्रीका के 32 देशों में सैनिक सरकारें स्थापित हो गई हैं । वहां पर संसद् समाप्त कर दी गई है । इस क्षेत्र के लगभग सभी देशों की यह दशा है । प्रतिपक्ष वालों को इस तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिये ।

यहां पर आरोप लगाया गया है कि हम विदेशों से भीख मांग रहे हैं । मैं इससे सहमत नहीं हूं ।

आजकल विश्व समृद्ध देशों जैसे इंग्लैंड की मुद्रा की स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं है । हमें अमरीका पर इतना निर्भर नहीं करना चाहिये । श्री कृष्ण मेनन ने जो मांग की है कि डालर का अवमूल्यन होना चाहिये, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

रुपये के अवमूल्यन के समाचार से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है । यह निर्णय हम पर लादा गया है । हमें किसी देश की धमकियों के भय से निर्णय नहीं करने चाहिएं । अमरीका में कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं कि सहायता उन्हीं देशों को मिलनी चाहिये जो अमरीका की नीति का समर्थन करते हैं । इसलिये मैं मानने को तैयार नहीं कि अमरीका की सहायता बिना शर्तों के होती है ।

अवमूल्चन के निर्णय को हम पसन्द नहीं करते क्योंकि इससे रुपये के मूल्य में कमी हो गई है । यदि इसके साथ-साथ अन्य कड़े उपाय भी लागू किये जाते तो ठीक होता ।

सरकार को बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये । इससे देश की जनता को लाभ होगा । देश के केवल 100 परिवार और शायद 500 व्यक्ति होंगे जिनके खाते हैं, और जो देश के बैंकों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं । छोटे-छोटे व्यापारियों को इनसे अधिक लाभ नहीं है । सरकार को सामान्य बीमे का भी राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये । वित्त मंत्री जानते हैं कि किस प्रकार बड़े-बड़े व्यापारी चाय उद्योग और पटसन उद्योग से लाभ उठा रहे हैं । सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये ।

सरकार को चाहिये कि कमीशन बनाये जो एकाधिकारों की जांच करे । उसे बड़े समाचार-पत्रों के नियंत्रण पर भी विचार करना चाहिये । हमें इंग्लैंड की संसद् से सबक सीखना चाहिये । सरकार को बड़े-बड़े दोषियों को क्षमा नहीं करना चाहिये । हमें अपने देश में प्रतिरक्षा सम्बन्धी हथियारों का निर्माण जारी रखना चाहिये और इस प्रकार विदेशी मुद्रा बचानी चाहिये । अन्य देशों में तो सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उपभोक्ता वस्तुएं भी बनती हैं ।

1970 के पश्चात् हमें खाद्यान्नों का आयात बन्द कर देना चाहिये । हम उन देशों के आभारी हैं कि जिन्होंने हमारी सहायता की है । हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है । हमें अपने

लिये स्वयं अनाज पैदा करने के योग्य होना चाहिये। यदि हमें अनाज मंगाना भी पड़े तो हमें उसे खरीदना चाहिये और भिक्षा के रूप में नहीं लेना चाहिये।

विमानों का देश में ही निर्माण होना चाहिये। और विदेशी मुद्रा बचाई जानी चाहिये। रूस ने पिछले 20 वर्षों में बहुत उन्नति की है। क्या हम भी उसी प्रकार नहीं कर सकते? हमारी यह कोशिश होनी चाहिये कि हम आत्मनिर्भता प्राप्त करें।

हमारे देश के निर्यात-कर्त्ताओं को अच्छा सामान निर्यात करना चाहिये। जो घटिया किस्म का माल भेजें उसे दण्ड मिलना चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिये।

हमारा कपास का उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं बढ़ रहा है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। नेपाल से हमारा पटसन चीन को भेजा जा रहा है। इस बारे में कार्यवाही होनी चाहिये।

हमें अमरीका द्वारा वियतनाम की बमबारी का विरोध करना चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री ने इस बारे में जो कोशिश की है, वह सराहनीय है। वहां पर अमरीका बहुत अत्याचार कर रहा है। इससे हमें भी क्षति हो सकती है।

श्री उमानाथ (पुदुकोट्टै) : सब से पहले मैं सभा का ध्यान प्रधान मंत्री के मास्को में आयोजित एक भोज के दौरान दिये गये भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां उन्होंने कहा था कि कुछ दलों ने स्वतन्त्रता का दुरुपयोग किया है तथा राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हड़तालें आदि की हैं। विदेशों में इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है। क्या प्रधान मंत्री देश के करोड़ों लोगों में भरोसा नहीं रखती और विदेशियों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहती है।

सरकार की ओर से कहा गया है कि उद्योग, कृषि तथा विदेशी मुद्रा के क्षेत्रों में जो कठिन स्थिति बनी हुई है, इसी को देखते हुए अवमूल्यन किया गया है। यह देश पर हुए आक्रमणों के कारण हुआ है। मेरे विचार में तो योजना के लिये 1961–62 में ही कठिनाइयां खड़ी हो गई थी। यहां पर माना गया था कि हमारी राष्ट्रीय आय में 3.7 प्रतिशतता से कम होकर 4.1 प्रतिशत तक कमी हो गई है। इसी प्रकार 1961-62 में खाद्य-संकट उत्पादन में भी कमी हो गई थी। अर्थ-व्यवस्था में खराबी आने का कारण सरकार की गलत नीति है।

उद्योगों को विदेशी एकाधिकारों पर निर्भर बनाने की नीति तथा अन्य दूसरी इसी प्रकार की नीतियां अब बन चुकी हैं। वास्तव में सरकार चीन और पाकिस्तान का बहाना कर के अपने दोषों को छिपाना चाहती है। सरकार की गलत नीतियों के कारण ही देश की अर्थ-व्यवस्था खराब हो गई है। चीन के साथ शन्तिपूर्ण ढंग से समझौता करने के लिये बातचीत करने के स्थान पर सरकार ने अमरीका के कहने पर रुपये का अवमूल्यन कर दिया है।

सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद् के 1963 के निर्णय के अनुसार गैर-सरकारी कानूनी गतिविधियां (निवारण) विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस परिषद् के अन्य निर्णयों को कार्यान्वित कर दिया गया है? उनमें एक देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में था।

वियतनाम के बारे में हमारी सरकार का कहना है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के सदस्य हैं अतः हम मुक्ति दिलाने वाले पक्ष का पक्ष नहीं ले सकते। परन्तु पोलैंड भी तो सदस्य है।

[श्री उमानाथ]

उस देश ने स्पष्ट रूप से अपना मत व्यक्त किया है । इसका कारण यह है कि हमारी सरकार स्वयं अपनी स्वतन्त्रता समाप्त कर रही है । इसलिये वह अन्य देशों की स्वतन्त्रता के लिये कैसे कदम उठा सकती है। यह सरकार तो केवल थोड़े से पूंजीपतियों का विश्वास रख ती है।

श्री केप्पन (मंजातुपुजा) : अविश्वास के प्रस्तावों का अब पहले की तरह महत्व नहीं रहा है। आज अराजकता की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह ठीक नहीं है । प्रतिपक्ष वाले इस सरकार को हटाना चाहते हैं परन्तु इसके स्थान पर क्या वे अपनी सरकार बनाने के समर्थ हैं ?

साम्यवादी दल वाले कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का अरोप लगाते हैं परन्तु उनके अपने मंत्रिमंडल के समय केरल में स्थिति क्या अच्छी थी ?

वामपंथी साम्यवादी सरकार के इस प्रकार के भ्रष्टाचार के कई उदाहरण मिलते हैं। केरल में कारखाना चालू करने के लिए बिरला को एक रुपया प्रतिटन के हिसाब से बांस दिया जाता रहा जबकि कृषकों को 7 रुपये से 9 रुपये प्रतिटन तक बांस दिया जाता था।

अवमूल्यन केवल वास्तविकता को मानने की बात थी। यह ठीक ही कदम था और इसके लिए सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब यदि यह ठीक है कि रुपये का अवमूल्यन आवश्यक हो गया था तो यह आक्षेप कि अमेरिका ने ऐसा करने के लिए दबाव डाला, उचित नहीं है। शिकायत का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि अवमूल्यन करना था तो इसकी घोषणा पहले क्यों नहीं की गई। इस प्रकार की घोषणा कहीं भी नहीं की जाती है। 1949 में जब ब्रिटेन में पौण्ड का अवमूल्यन किया गया तो इस की घोषणा पहले ही नही की गयी थी । 1931 में इंगलैण्ड ने जब स्वर्णमान छोड़ा तो उसकी घोषणा पहले नहीं की गई। ऐसा ही अमेरिका की सरकार ने किया। यदि हम वास्तव में इस बात का विश्लेषण करें कि गत वर्षों में क्या हुआ तो हम देखेंगे कि अवमूल्यन बहुत से कारणों से हुआ जिन पर सरकार का नियंत्रण नहीं था। पाकिस्तानी आक्रमण, देश में असामान्य सूखा, कृषि उत्पादन का कम होना तथा निर्यात में 80-90 करोड़ रुपये की हानि आदि से अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ा। सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं में काफी धन लगाया गया है लेकिन अभी लाभ होना आरम्भ नहीं हुआ। वह दिन दूर नहीं है जब हमारी अर्थव्यवस्था स्वजनित हो जायेगी। हमारी त्रुटियां कुछ भी हों, परन्तु हमने देश को मजबूत सरकार दी थी। दूसरे गत 18 वर्षों में बुरी परिस्थितियों, बाढ तथा अन्य कारणों के अतिरिक्त, हमने करोड़ों लोगों को खाना दिया । पहले प्रत्येक 5 वर्षों में अकाल पड़ता था और लाखों व्यक्ति मर जाते थे परन्तु गत 18 वर्षों में ऐसी कोई बात नहीं हुई। साथ ही हमने औद्योगिक विकास के लिये मजबूत नींव डाल दी है । हमने बुनियादी उद्योग बनाये हैं। इनसे देश में और अधिक औद्योगिक विकास होगा। सरकार द्वारा चालित कई औद्योगिक संस्थानों का हमने निरीक्षण किया और उनके काम को देख कर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। सैन्य सामग्री कारखानों में उच्च कोटि के हथियार बनाये जा रहे हैं । हमने लोगों को अच्छा प्रशासन दिया है। जनता को विश्वास हो गया है कि विपक्षी दल अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर सकते। इसलिये जनता हमारा समर्थन करती है । अवमूल्यन करके हमने अच्छा ही किया है। इससे आयातित वस्तुयें कम हो जायेंगी और इसलिये हमें आयातित प्रतिस्थापन को अपनाना पड़ेगा। मूल्य स्तर को बनाये रखना होगा और इसके लिये हमें सख्त उपाय करने पड़ेंगे। इसलिये मैं प्रस्तावक से निवेदन करता हूँ कि वह अविश्वास प्रस्ताव को वापिस ले लें अन्यथा सभा इस पर अपना मतदान दे।

प्रधान मंत्री और अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अविश्वास प्रस्ताव से विपक्षी दल के विचार जानने का मौका मिलता है। तीन वर्ष पूर्व जब इसी प्रकार का अविश्वास का प्रस्ताव मेरे पिता के विरुद्ध लाया गया तो उन्होंने कहा था कि जिन करणों से-विभिन्न विरोधी दल एकत्रित हुये हैं वह अक्रियात्मक है न कि क्रियात्मक। इस अक्रियात्मकता का पता इस प्रस्ताव पर जो भाषण हुये उनसे चलता है। चर्चा के बीच जो व्याखान हुये उनसे पता चलता था कि विरोधी दलों में उसी प्रकार की भिन्नता है, वह न केवल एक दूसरे की बात का खण्डन कर रहे थे अपितु उनमें कोई तथ्य तथा उद्देश्य नहीं था।

विरोधी दलों का कहना है कि अवमूल्यन के विषय में हम पर दवाब डाला गया है। हम जोरदार शब्दों में कहना चाहते हैं कि हम पर कोई दवाब नहीं डाला गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने कुछ उपाय करने के लिए हमें परामर्श नहीं दिया। हमें हमारे अर्थशास्त्रियों ने भी परामर्श दिया था। हमने न केवल अपने अर्थशास्त्रियों से ही परामर्श लिया अपितु सरकार से बाहर के विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों से भी परामर्श बहुत पहले ले लिया था। एक विख्यात अर्थशास्त्री ने एक लेख में अवमूल्यन का समर्थन किया था। अवमूल्यन का फैसला एक दुखद निर्णय था परन्तु यह एक ऐसा निर्णय था जो हमें लेना आवश्यक था। यह कहा गया है कि गत बर्ष से चल रही गलत नीतियों के कारण ऐसा निर्णय किया गया है। यह सर्वथा असत्य है। कुछ परिस्थितियों का दबाव अवश्य था। वे परिस्थितियां थी हमारी सीमाओं पर आक्रमण तथा लगातार आक्रमणों के कारण तथा सूखे के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था पर भारी दबाब। यह कदम जानबूझ कर उठाया गया था ताकि आर्थिक स्थिति और अधिक खराब न होने पाये। यह कदम विश्वास तथा दूरदर्शिता से लिया गया ताकि सरकार आर्थिक स्थिति पर काबू पा सके और हमारा विचार है कि इसके स्थायी तथा दीर्घकालीन प्रभाव हमारी अर्थव्यस्था को मजबूत तथा स्वजनित बनायेंगे।

हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि अवमूल्यन कोई जादू का डंडा है और यह कदम उठाते ही हमारे सारे विकार दूर हो जायेंगे और मूल्य बढ़ने से रोक दिये जायेंगे। मूल्य अभी नहीं बढ़ने लगे बल्कि यह पिछले दो या तीन वर्षों से बढ़ रहे हैं। मूल्यवृद्धि को रोकने के सब उपाय असफल रहे हैं। इसलिए अवमूल्यन से शीघ्र ही कोई सुधार नहीं हो जायेगा। यह एक ऐसा उपाय है जिसके साथ और कार्रवाई भी ठीक की जाये तो इस से हमें उन्नति करने का फिर अवसर मिल जायेगा जो कि हमारे काबू से बाहर की परिस्थिति होने के कारण रुक गयी थी।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने तर्क दिया कि यदि हम अपने विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर लेते तो हमें रुपये के अवमूल्यन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। परन्तु उन देशों को भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा जिन्होंने विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया है। रूस तथा युगोस्लाविया ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया और इसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई। भारत में भी यदि अवमूल्यन को ठीक प्रकार से अपनाया गया और अगली कार्यवाही ठीक प्रकार से की गई तो नई वस्तुओं का निर्यात बढ़ जायेगा। यह खेद की बात है कि आर्थिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी इस विषय पर विरोधी दल केवल भावुक टिप्पणी कर सके हैं और उन्होंने आर्थिक तर्क की बिल्कुल उपेक्षा की है जबकि इस स्थिति में केवल वही संगत था।

प्रस्तावक ने स्वदेशी भावना को फिर उत्पन्न करने की अपील की है। स्वदेशी भावना को मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय समझती हूं और ऐसा मैं कर रही हूं। अवमूल्यन का उद्देश्य भी स्वदेशी भावना को जागृत करना है।

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना इस सभा तथा सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। मूल्य अवमूल्यन के पश्चात् नहीं बढ़ने लगे। वह पहले बढ़ रहे थे तथा उस पर काबू पाना कठिन हो गया था। किसी प्रकार की आयातित वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं के मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि के लिए अवमूल्यन उत्तरदायी नहीं है। मूल्यवृद्धि की समस्या को हमने सुलझाना है। कई दुकानें खोली गई हैं। अभी स्टोरों की संख्या पर्याप्त नहीं है। शीघ्र ही शहरी क्षेत्रों तथा देहाती क्षेत्रों में और ऐसे 'स्टोर' खोले जायेंगे।

जमाखोर तथा समाज विरोधी तत्वों पर न केवल दिल्ली और पंजाब में ही मुकदमा चलाया गया है अपितु अन्य राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। परन्तु जितना करना चाहिए था, उतना नहीं हो सका।

जहां तक अनुवर्ती कार्यवाही का सम्बन्ध है, विरोधी दल ने कोई अनुकूल सुझाव नहीं दिया है। जितने ठोस सुझाव दिये गये हैं उन पर अवश्य ही विचार किया जायेगा। कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों ने भी बहुत से सुझाव दिये हैं। उनपर पूरी तरह विचार किया जायगा। सब से महत्वपूर्ण बात तो जनसाधारण के उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना है। दूसरी मुख्य बात यह हैं कि हमें निर्यात को बढ़ावा देना चाहिये और उन वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में उदारता बरतनी चाहिये जिन से निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलती हैं। किसी प्रकार कि विलास वस्तुओं के आयात में उदारता नहीं बरती जायगी।

चौथी योजना अनुवर्ती कार्यवाही पर आधारित है। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिस से हमारी अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास कर सके। सरकारी क्षेत्र के लिए 16,000 रुपये रखा गया है। किन्तु मैंने योजना को इस दृष्टि से नहीं देखा कि उस पर कितना रुपया खर्च होगा। योजना इतनी बड़ी होनी चाहिए जिस से न कवल विद्यमान औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जा सके बल्कि उत्पादन की कमी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में जो असन्तुलन पैदा हो गया है उसे ठीक किया जा सके जिसके कारण हमारी निर्भरता विदेशी सहायता पर बढ़ती जा रही है। स्वतंत्र दल के कुछ सदस्य छोटी योजना का समर्थन करेंगे। इस का परिणाम यह होगा कि गरीबी निम्नस्तर के लोगों से चिपटी रहेगी। ऐसी योजना से समाज के केवल पूंजीपतिवर्ग को लाभ होगा और हम आत्मनिर्भर नहीं हो पायेंगे। इस लिये सरकार सरकारी क्षेत्र के विस्तार के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है चाहे कोई व्यक्ति से पसन्द करता है या नहीं। हम ऐसे उपाय करेंगे जिस से आर्थिक प्रणाली में असमानता दूर ही जाये। यदि धन कुछ लोगों के पास एकत्र हो गया तो देश की स्थिरता विचलित हो जायेगी। योजना अथवा अर्थव्यवस्था निर्माण का उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत बनाना है। योजना आयोग में तथा अन्य स्थानों पर मैंने इस बात पर जोर दिया है कि भूमिहीन कृषि श्रमिकों, आदिम जातियों, हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ऐसे वर्गों पर अब जितना ध्यान दिया जा रहा है उस से भी कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। (अन्तवार्धा) :

श्री रामसेवक यादव: हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के लिए ठोस तथा यर्थात कार्यक्रम क्या है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : योजना अभी बनाई जा रही है। तैयार होने पर वह सभा में प्रस्तुत की जायेगी और माननीय सदस्यों को उस समय योजना की आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। योजना के मार्गनिर्देशनों का हवाला मैंने अभी दिया है।

हमें यह याद रखना चाहिए कि छोटे से छोटे और गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी विश्व में आशा और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। यह खेद की बात है कि प्रतिपक्षी सदस्य आज देश के लोगों के आत्म विश्वास और आशा को तोड़ रहे हैं।

हमारा यह विश्वास है कि वियतनाम में युद्ध जारी रहना विश्व शान्ति के लिए तथा भारत के लिए भी खतरा है। वियतनाम समस्या के शान्तिपूर्वक हल से हमारा महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। इस के लिए हम गम्भीरता पूर्वक प्रयत्न कर रहे हैं। कालीकट में मैंने कहा था कि हम उस बा रे में कोई नई बाद नहीं कर सकते। अपने रेडियो भाषण में मैंने कोई नई बात नहीं कही है। वियतनाम के विषय में हमने अपने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

विरोधी सदस्य वियतनाम में मेरे द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे जो विचार यहां प्रकट कर रहे हैं ऐसे विचार उन देशों के नेताओं में से किसी ने भी व्यक्त नहीं किये है जिन देशों का मैंने दौरा किया है। एशिया अफ्रीका तथा यूरोप के कई देशों ने हमारे रवैये का स्वागत किया है।

श्री अ० कु० गोपलन द्वारा मेरे सुझाव की अलोचना लगभग वैसी ही है जैसी कि पैकिंग रेडियो ने की है। चीन ही एक मात्र देश है जिसने मेरे सुझावों को प्रत्यक्ष रुप से रद्द कर दिया है। वियतनाम की समस्या एक जटल समस्या है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि इसका कोई सैनिक हल नहीं हो सकता और हमारी सहानुभूति वियतनाम की जनता के साथ है।

ताशकन्द घोषणा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि मैत्री-पूर्ण सम्बन्ध से दोनों देशों को लाभ होगा। हम यह नहीं मानते कि हमारे बीच तनाव का मुख्य कारण काशमीर है। यह तो मूल रोग का एक चिन्ह मात्र है। मैं पाकिस्तान को आश्वासन देती हूं कि हम किसी भी मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

सरकार देश की रक्षा करने के दायित्वों के प्रति सजग है। किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि काशमीर में उदडंता पूर्वक उपद्रव किया जा सकता है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि जम्मू तथा काशमीर में बाहरी सहायता से उपद्रव करने वालों को उसी प्रकार कुचल दिया जायेगा जिस प्रकार वे भारत के किसी भी अन्य भाग में कुचल दिये जाते हैं।

विश्व में स्थिति बहुत गम्भीर है। तनाव कम करने, युद्ध रोकने तथा शान्ति बनाए रखने के लिए भारत जो भी कर सकता है, लगातार करता रहेगा। हमारा यह दृष्टिकोण खोखले प्रदर्शनों से बिलक्कुल भिन्न है। इस प्रकार का काम करने के लिए तथा अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था दृढ़ रखनी होगी और देश में एकता पैदा करनी होगी।

मुझे आर्थिक संकट तथा विदेशी सम्बन्धों से भी अधिक इस बात की चिन्ता है कि देश में हिंसा जाग उठी है जिस से देश में जनतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। मैं इस सिद्धान्त का भी पूर्ण खंडन करती हूं कि देश में जनता में असन्तोष के कारण हिन्सात्मक घटनायें हो रही हैं, हम सभी जानते हैं कि बड़े पैमाने पर जो आन्दोलन किये जाते हैं वह नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। यहां पर तो कुछ लोगों ने पूर्ण समाज पर आंतक जमाया हुआ है और वे ही इस प्रकार की घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं। यह बात देश के तथा हम सब के हित में है कि वे देश में ऐसी हिंसात्मक घटनायें न होने दें। हम अपने आप में विश्वास के कारण, अपनी नीतियों में विश्वास के कारण अपने कार्यक्रमों में विश्वास के कारण तथा इस महान देश की जनता में विश्सावस के कारण, हम विश्वास के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हैं।

श्री ही० ना० मुखर्जी : (कलकत्ता मध्य) : खेद की बात है कि प्रधान मंत्री के भाषण में अनभिज्ञता तथा भ्रान्ति की झलक दिखाई देती है । इस वाद-विवाद का एक विशेष पहलू यह रहा है कि इस में सभी व्यक्तियों द्वारा अवमूल्यन के विपक्ष में विचार प्रकट किये गये हैं । यह सरकार के सभी कुकर्मों का प्रतिकारात्मक आर्थिक तथ्य है । प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने वालों ने जो तर्क दिये हैं उन से यह मालूम होता है कि उन्होंने यह माना है कि अवमूल्यन बिल्कुल गलत है ।

अपने अनुचित कामों से पैदा हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार जब प्रतिपक्ष का सहयोग मांग रही है परन्तु इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद के दौरान हमें यह नहीं बताना है कि ऐसे समय में हमारा कर्तव्य क्या है । सरकार अवमूल्यन करके एक अपराधपूर्ण कार्य कर चुकी है । रेलवे मंत्री के कहने का अर्थ यह है कि अवमूल्य के बिना हम डालर की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते थे और हमारी सम्पूर्ण योजना ही दोषपूर्ण है ।

सरकार लोगों को यह कह कर धोखा नहीं दे सकती कि निर्णय दबाव के कारण नहीं किया गया है । यदि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सरकार को शीघ्र अवमूल्यन करने के लिये बाध्य न किया होता तो वह उसके अनुवर्ती दुस्प्रभावों को रोकने के लिए पहले से ही तैयार रहती । अब तक सरकार यह निश्चय नहीं कर पाई है कि इस बारे में उसने क्या करना है उन्हें अभी तक यह भी पता नहीं कि किन वस्तुओं का किस प्रकार से निर्यात बढ़ाया जाय, किन आयात स्थानापन्न वस्तुओं का किस प्रकार उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये या वर्तमान क्षमता का कितना उपयोग किया जा रहा है ।

सरकार केवल यह सोचती है कि पश्चिमी पूंजीपतियों को किस प्रकार प्रसन्न किया जाये उसे अर्ध-विकसित जगत की पीड़ित जनता से मित्रता टूट जाने की कोई चिंता नहीं । इस अर्ध-विकसित जगत में विकसित देश अरबों डालर का लाभ उठाते हैं । क्योंकि वह अपनी प्रयाप्त वस्तुओं के मूल्य हमारी तुलना में कम कर देते हैं और हमारे द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य बढ़ा देते हैं ।

खाद्यान्नों का आयात गलत बात नहीं परन्तु इन पिछले वर्षों में हमने उस सम्बन्ध में क्या किया । भूतपूर्व खाद्य मंत्री यह कहा करते थे कि अनाज का बफर स्टाक बनाया जायेगा । विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न मंगाने का उचित आधार है । हमें हर हालत में इसका भुगतान करना होगा और अब हमें आत्म-सम्मान खोकर इसका भुगतान करना होगा ।

वियतनाम के बारे में भारत पर केवल नैतिक दायित्व ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय और राजनैतिक दायित्व भी है । सरकार ने आज तक असैनिकीकृत क्षेत्र का उल्लंघन किये जाने का विरोध नहीं किया जब कि सरकार को ऐसा करना चाहिये था ।

उर्वरकों के मामले में रियायतों, अवमूल्यन के सम्बन्ध में योजना मंत्री की बातचीत और वियतनाम के मामले में असम्मानपूर्ण रवैये में कोई निश्चित सम्बन्ध है, हमें यह याद रखना चाहिये कि वियतनाम की जनता विश्व के सर्वशक्तिमान देश में पिछली कई दशाब्दियों से किस प्रकार संघर्ष कर रही है । मेकांग नदी पर एशियाई स्वतन्त्रता तथा आत्मसम्मान के लिए संघर्ष हो रहा है और हमारी सरकार उसके उत्तर में कुछ नहीं कर रही है और वह यह कभी नहीं कहती है कि वह इस प्रकार की बातों को सहन नहीं करेगी ।

सितम्बर, 1965 में हमारे देश ने एक होकर देश की रक्षा की और देश आत्म-निर्भरता की मांग की गई। परन्तु हम यह सभी कुछ भूल गये हैं। यदि सरकार यह समझती है कि प्रशासनिक तरीकों तथा दबाने वाली कार्यवाहियों से वह जनता के रोष को दबा सकती है तो वह भूल में है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्री-परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 61, विपक्ष में 267

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के बन्द होने के बारे में

RE : CLOSURE OF BENARAS HINDU UNIVERSITY

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad) : The name of the university in Hindi should be printed as "Kashi Vishwa-Vidyalaya". Is the hon. Minister aware that it is no use to cause the dispute between Engineering college and Arts College because the students of those two colleges have remained united this time ? If so, is he prepared to release the students who have been arrested ? Will he consider the question of the recognition of union and providing accommodation in hostels ? Will the hon. Minister take any concrete steps to introduce the reforms in the University ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मुझे आर्ट्स कालेज तथा टेक्नीकल कालेज के बीच किसी झगड़े की जानकारी नहीं है, बनारस से मुझे जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनमें विद्यार्थियों के हताहत होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। विश्वविद्यालय के आठ कर्मचारी हताहत हुए हैं।

बनारस विश्वविद्यालय के सुधार के सम्बन्ध में एक विधेयक सभा के विचाराधीन है। आशा है सभा इस विधेयक को पारित करने के लिए समय निकाल सकेगी।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Agitations and conspiracies are going on in India ; biggest and international famed University which was founded by Pt. Madan Mohan Malvia. Besides other Indians the parent of those children who are studying there or who have already graduated from that University are worried about all this. Keeping in view the past agitations Government however tried to know whether these agitations are limited only to teachers and students or whether some others are functioning behind the scene to defame the University ? When this University is likely to be reopened and supplementary examinations would be held.

श्री मु० क० चागला : इस बात में मैं अपने माननीय मित्र श्री प्रकाश वीर शास्त्री से सहमत हूं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के लिये हमें गर्व है। विश्वविद्यालय को तीन अवस्थाओं में खोला जायेगा। और सारा विश्वविद्यालय 29 अगस्त तक खोल दिया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I would like to know whether it is a fact that at the time when demonstration of the students was going on the officers of the college ordered the five hundred 'chaprasis' to apprehend the students. When these students who have been apprehended are likely to be released ?

श्री मु० क० चागला : यह बिल्कुल असत्य है कि चपरासियों ने विद्यार्थियों पर आक्रमण किया अथवा उनको उकसाया। विद्यार्थियों ने विद्या सम्बन्धी परिषद की स्थायी समिति पर हल्ला बोल दिया जो कि प्रश्न पर विचार कर रही थी। केवल 400 अथवा 500 विद्यार्थियों ने ही ऐसा किया है वे चाहते थे कि समिति एक विशेष निर्णय करे और मुझे प्रसन्नता है कि परिषद् दबाव के आगे झुकी नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I only wanted to know when the arrested students would be released ?

श्री मु० क० चागला: यदि विद्यार्थी दोषी हैं तो उनको नहीं छोड़ा जायेगा।

Shri Bade : The hon. Minister has stated in his statement that disorder spread because of the change which was made in Supplementary examinations system. According to my information, whether it is correct or not ; teachers have been authorised to give marks on seeing the year's progress. This creates favouratism, corruption and nepotism. I would like to know whether the hon. Minister has given some orders or directions for this change ?

श्री मु० क० चागला : मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। इस विश्वविद्यालय ने अमरीका तथा दूसरे देशों में प्रचलित पद्धति को अपनाया है जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि विद्यार्थी के भविष्य को लिखित परीक्षा से ही नहीं बल्कि उस अवधि के दौरान किये गये काम से भी आंका जाना चाहिये। केवल एक विद्यार्थी का मामला ऐसा है जो कि लिखित परीक्षा में पास हो गया था परन्तु वह 'सिजिनल' में असफल हुआ है। शेष विद्यार्थी लिखित परीक्षा में ही असफल हुए हैं।

श्री बड़े : क्या विद्यार्थियों से भाई-भतीजावाद और पक्षपात की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : 1957 की गड़बड़ के पश्चात् उच्च शक्ति वाली एक समिति नियुक्त की गई थी उसने कुछ सिफारिशें की थीं। मैं जानना चाहता हूं कि समिति ने स्थिति को सुधारने के लिये जिन उपायों का सुझाव दिया था उनको स्वीकार तथा क्रियान्वित किया गया है। यदि नहीं, तो क्या इसी कारण यह गड़बड़ बारबार हो रही है ?

श्री मु० क० चागला : मुदालियर समिति की बहुत सी सिफारिशों को विधेयक में शामिल किया गया है। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि यदि एक बार यह विधेयक पास हो जाता है तो विश्वविद्यालय के इतिहास में एक नया अध्याय खुल जायेगा।

श्री उमानाथ (पुडुकोट) : पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। विद्यार्थियों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिये कोई तरीका ढूंढने के लिये विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कभी विद्यार्थियों से बातचीत की है। यदि नहीं तो क्या विद्यार्थियों की वास्तविक शिकायतों से निपटने के लिये कोई स्थायी व्यवस्था ढूंढ़ने के लिये सरकार ने उनको परामर्श दिया है।

श्री मु० क० चागला : विधेयक में विद्यार्थियों तथा कर्मचारी वर्ग के प्रतिनिधियों की परिषद् बनाने का प्रस्ताव है जहां दोनों आपसी समस्याओं पर चर्चा कर सकेंगे। परन्तु जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की कुछ मांगों को स्वीकार किया है तथा कुछ को रद्द किया है रद्द करने के कारण भी बताये गये हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : ब्रिटिश काल में भी शिक्षा संस्थाएं पुलिस को बहुत कम बुलाती थीं। परन्तु आज यह एक आम बात हो गई है। क्या इस प्रथा को रोकने के लिये सरकार के कोई प्रस्ताव हैं जिससे शिक्षा संस्थाओं की पवित्रता खराब न हो।

श्री मु० क० चागला : मेरा अपना यह मत है कि अनुशासन की देखभाल करना विश्वविद्यालय का अधिकार तथा कर्त्तव्य है। परन्तु इस मामले विशेष में विश्वविद्यालय के अधिकारियों का यह मत था कि स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि वे स्वयं अनुशासन को नहीं बनाये रख सकते इसलिये उन्होंने पुलिस को बुलाया।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : क्या यह सच है कि तथाकथित विद्यार्थी संग्राम समिति के अध्यक्ष ने इलाहाबाद में हाल ही में एक वक्तव्य दिया है जिसमें कहा है कि यदि सभी मांगों को स्वीकार न किया गया तो वे अनिश्चित समय के लिये आन्दोलन को चलायेंगे। यदि हां, तो इस धमकी का मुकाबला करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है।

श्री मु० क० चागला : हां, मैंने इसको पढ़ा है और इससे मझे बड़ा दुख हुआ है। यदि विश्वविद्यालयों के प्रशासन को विद्यार्थियों की इच्छा के अनुसार चलाया जाता है तो यह भारत के लिये एक बुरा दिन होगा।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : क्या वहां पर विद्यार्थियों का कोई संघ नहीं है जिसको विश्वास में लिया जाय ताकि वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से कार्य हो सके।

श्री मु० क० चागला : विद्यार्थियों को बुला कर उनसे बातचीत करना वहां के अधिकारियों का कर्त्तव्य है। परन्तु विद्या सम्बन्धी परिषद् तथा विद्यार्थि आपस में सहमत नहीं थे। इस-लिये वे उठकर बाहर चले गये। जहां बैठक हो रही थी और उन्होंने स्थायी समिति पर दबाव डाल कर अपनी इच्छानुसार अध्यादेश जारी करवाना चाहा था। इस स्थिति को विश्वविद्यालय के अधिकारी किस प्रकार स्वीकार कर सकते थे?

Shri Yashpal Singh : Has the Government this aspect that the root cause of this trouble is this that the system of supplementary examinations has been done away with ? Secondly the students securing low marks i.e. third class are neither accepted by this University itself nor by any other University.

श्री मु० क० चागला : यह सच नहीं है कि अनुपूरक परीक्षाओं को समाप्त कर दिया गया है। नई पद्धति के अन्तर्गत ये परीक्षायें जारी रहेंगी। तकनीकी शिक्षा में उच्च स्तर को बनाये रखने के लिये पद्धति में परिवर्तन किया गया है।

Shri Vishwanath Pandey (Salempur) : The hon. Minister has stated that the University will be opened in three stages. This is no solution of the problem. I would like to know whether Government propose to constitute a high power Committee to solve the problem ?

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार में शक्तिवाली समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता हुई तो हम निश्चय ही ऐसा करेंगे। मैं इस सभा से यही अनुरोध करूंगा कि यथासम्भव शीघ्र इस विधेयक को पास कर दिया जाये।

भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE : INDIAN ACADEMY OF MEDICAL SCIENCE

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : 3 मार्च, 1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1469 के उत्तर में जिसमें यह पूछा गया था कि क्या भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी ने अपनी

[श्री चन्द्रभान सिंह]

सदस्यता के लिये स्नातकोत्तर परीक्षायें लेने का निर्णय कर लिया है, माननीय मंत्री ने कहा था कि 'हां' ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

इन परीक्षाओं की बहुत सी संस्थाओं ने मांग की है ।

चिकित्सा विषय में स्नातकोत्तर परीक्षाओं का लिया जाना बहुत ही आवश्यक है। इस समय देश में 89 मेडिकल कालेज हैं । हजारों छात्रों को उच्चतर परीक्षाएं पास करने के लिये बाहर जाना पड़ता है । इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर स्नातकोत्तर परीक्षाओं का लिया जाना बहुत ही आवश्यक है ।

ऐसा लगता था कि यह अकादमी शायद स्वयं इन परीक्षाओं को लेने का प्रयत्न कर रही है । यह एक महत्वपूर्ण बात है और देश के शिक्षा वर्ग के सदस्यों में यह गलतफहमी तथा शंका है कि इस राष्ट्रीय परीक्षा को किसी प्राइवेट निकाय को लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । इसलिये इस शंका के कारण स्वास्थ्य मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह गैर सरकारी निकाय परीक्षा के संचालन के कार्य को अपने हाथ में लेने का कोई प्रयत्न कर रहा है ।

दूसरे क्या सरकार एक ऐसा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जो कि देश में राष्ट्रीय परीक्षाओं का संचालन करे, बनाने की आवश्यकता पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस प्रकार का बोर्ड स्थापित करने के लिये सरकार कब तक कोई विधेयक सभा में प्रस्तुत करेगी जिस से कि इस बोर्ड द्वारा उच्चत्तर परीक्षाएं आरम्भ की जा सकें ।

श्री श० न० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद): मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अकादमी कब से चल रही है और सरकार द्वारा इसको कितनी वित्तीय तथा अन्य सहायता दी गई है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Even the first class Graduate get the admission in the Medical Colleges with great difficu lty what to talk of 2nd and IIIrd class graduates. Keeping in view the present needs of the country may I know whether Government is going to make such arrangements where all such students could get the admission ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : इस बात का विचाराधीन विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Second thing I would like to know whether Government propose to open a medical college under Vikram University ?

डा० सुशीला नायर : इस समय जो चर्चा हो रही है उसका मेडिकल कालेज खोलने तथा उन में प्रवेश पाने सम्बन्धी किसी बात का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी को शुरु लगभग 5 से 10 वर्ष हुए हैं । इस समय मेरे पास यह भी जानकारी नहीं है कि अब तक इसको कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ।

जहां तक डा० सिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है मुझे इस बात का पता है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा का निश्चित स्तर बनाये रखने के लिये किसी प्रकार की राष्ट्रीय परीक्षाओं की मांग

लगातार की जा रही है। जहां तक चिकित्सा संस्थाओं का सम्बन्ध है उनका कहना है कि विश्वविद्यालय अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड हैं जोकि इस कार्य को कर सकते हैं। सच यह है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभिन्न स्तर हैं।

हमारे पूछे जाने पर अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड ने बताया था कि वह इस कार्य को नहीं कर सकता क्योंकि इसका मतलब विश्वविद्यालय की स्वायतत्ता में हस्तक्षेप होगा। एक समय भारत की चिकित्सा परिषद् ने कहा था कि उनको यह कार्य सौंप दिया जाये परन्तु सावधानी से विचार करने पर यह उचित नहीं समझा गया। यह भी सुझाव दिया गया था कि इस के लिये एक विशेष सांविधिक बोर्ड की स्थापना की जाये। हमने इस पर विचार किया है और हमारा यह मत है कि इसके लिये अभी उपयुक्त समय नहीं आया है। विभिन्न देशों के कई विशेषज्ञों तथा प्रमुख वैज्ञानिकों ने भी हमें परामर्श दिया है कि इस उद्देश्य के हेतु एक विशेष बोर्ड स्थापित करना सरकार के लिये उचित नहीं है। ब्रिटेन में कई चिकित्सा कालेज हैं जो इस प्रकार की परीक्षायें लेने के बाद अपने सदस्य बनाते हैं। हमारे कई वहां की सदस्यता प्राप्त करने के लिये वहां जाते हैं तथा बहुत धन खर्च करते हैं। हमारी चिकित्सा विज्ञान अकादमी का कहना है कि वह अपने सदस्य बनाने के लिये उच्चतर स्तर की परीक्षाएं लेगी। इस समय वह शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, औषध-प्रभा विज्ञान, रोग विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान शल्य-चिकित्सा, प्रसूति-विद्या और स्त्री रोग विज्ञान की परीक्षायें लेती है उसने लगभग वही विधि अपनाई है जो एफ० आर० सी० एल० ने अपना रखा है। इस ने यह निर्णय लिया है कि इन परीक्षाओं में बैठने के लिये कम से कम तीन वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वह एक स्वतन्त्र तथा स्वयत्तशासी संस्था है और इन परिस्थितियों में उनके द्वारा परीक्षा लिये जाने के निर्णय के बारे में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि इसकी परीक्षाओं को राष्ट्रीय परीक्षा के तौर पर मान्यता दी जायेगी। यदि स्तर काफी ऊंचा हुआ तो देश के सभी चिकित्सा वैज्ञानिकों का सम्मान तथा मान्यता इसको प्राप्त होगी अन्यथा नहीं।

यह केवल गलतफहमी है कि राष्ट्रीय परीक्षा लेने का कार्य सरकार ने अकादमी को सौंपा है। ऐसा कोई कार्य भी नहीं किया जा रहा है जो भारत में उच्चतर चिकित्सा शिक्षा के विपरीत हो।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 5 अगस्त, 1966/14 श्रावण, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the August 5, 1966 Sravana 14, 1888 (Saka).

GMGIPND—LS III—1306(Ai)LS—2-2-68—565.